रजिस्ट्री सं॰ डी॰-221 REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2— अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 4] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 21, 2019/भाद्रपद 30, 1941 (शक) [खंड LV
NO. 4] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 21, 2019/BHADRAPADA 30, 1941 (SAKA) [VOL. LV

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2019/भाद्रपद 30, 1941 (शक)

दि मेंटल हेल्थकेयर ऐक्ट, 2017; (2) दि कंपनीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2017; (3) दि स्पेसिफिक रिलीफ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; (4) दि स्टेट बैंक्स (रिपील एंड अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; (5) दि नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; (6) दि रिक्विजिशनिंग एंड अक्विजिशन आफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; (7) दि क्रिमिनल ला (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; (8) दि होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; (9) दि नेशनल कमीशन फार बैकवर्ड क्लासेज (रिपील) ऐक्ट, 2018; (10) दि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2018; (11) दि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड दि शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2018; (12) दि कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल डिविजन एंड कमर्शियल अपीलेट डिवीजन आफ हाई कोर्ट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; (13) दि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; (14) दि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; (15) दि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2018; और (16) दि गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (कम्पेनसेशन टू स्टेट्स) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2018 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, September 21, 2019/*Bhadrapada* 30, 1941 (*Saka*)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Mental Healthcare Act, 2017; (2) The Companies (Amendment) Act, 2017; (3) The Specific Relief (Amendment) Act, 2018; (4) The State Banks (Repeal and Amendment) Act, 2018; (5) The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018; (6) The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Act, 2018; (7) The Criminal Law (Amendment) Act, 2018; (8) The

Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2018; (9) The National Commission for Backward Classes (Repeal) Act, 2018; (10) The National Sports University Act, 2018; (11) The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018; (12) The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018; (13) The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018; (14) The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018; (15) The Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018; and (16) The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2018 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) 367
The Mental Healthcare Act, 2017

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का अधिनियम संख्यांक 1) 421
The Companies (Amendment) Act, 2017

विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 18) 449
The Specific Relief (Amendment) Act, 2018

स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 19) 455
The State Banks (Repeal and Amendment) Act, 2018

परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 20) 457
The Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 21) 459
The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Act, 2018

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 22) 461
The Criminal Law (Amendment) Act, 2018

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 23) 467
The Homoeopathy Central Council (Amendment) Act, 2018

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 24) 469
The National Commission for Backward Classes (Repeal) Act, 2018

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 25) 471
The National Sports University Act, 2018

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 27) 503
The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 28) 505
The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Act, 2018

केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 31) 511
The Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018

एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 32) 521
The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018

पृष्ठ

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 33) 523
The Union Territory Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का अधिनियम संख्यांक 34) 525
The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Act, 2018

मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 10)

[7 अप्रैल, 2017]

मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और सेवाओं के लिए और मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और सेवाओं के परिदान के दौरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन और उनको पूरा करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में 13 दिसंबर, 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों के विषय में अभिसमय और उसके वैकल्पिक प्रोटोकाल को अंगीकार किया गया था और वह 3 मई, 2008 को प्रवृत्त हुआ था;

और भारत ने 1 अक्तूबर, 2007 को उक्त अभिसमय पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन किया;

और विद्यमान विधियों को उक्त अभिसमय के अनुरूप और सुमेलित करना आवश्यक है;

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; या उस तारीख से जिसको मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, नौ मास की अवधि के पूरा होने पर प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अग्रिम निदेश'' से धारा 5 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई अग्रिम निदेश अभिप्रेत है;

(ख) ''समुचित सरकार'' से अभिप्रेत है,—

(i) केन्द्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र, जिसका कोई विधान-मंडल नहीं है, के प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट स्थापन से भिन्न,—

(अ) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के संबंध में राज्य सरकार;

(आ) विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के संबंध में, उस संघ राज्यक्षेत्र की सरकार;

(ग) ''प्राधिकरण'' से, यथास्थिति, केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण या राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) ''बोर्ड'' से ऐसी रीति में जो विहित की जाए, धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा गठित मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) ''देख-रेख कर्ता'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति के साथ रहता है और उस व्यक्ति की देख-रेख करने के लिए उत्तरदायी है तथा इसके अंतर्गत नातेदार या कोई अन्य व्यक्ति भी है, जो इस कृत्य का या तो निःशुल्क या पारिश्रमिक के साथ पालन करता है;

(च) ''केन्द्रीय प्राधिकरण'' से धारा 33 के अधीन गठित केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(छ) ''नैदानिक मनोविज्ञानी'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास—

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित और मान्यताप्राप्त किसी संस्था से नैदानिक मनोविज्ञान की मान्यताप्राप्त अर्हता हो; या 1992 का 34

(ii) मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जो नैदानिक मनोविज्ञान या आयुर्विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान में मास्टर ऑफ फिलोसफी हो, जो उसने दो वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त और भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 द्वारा अनुमोदित और मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षित नैदानिक प्रशिक्षण या ऐसी मान्यताप्राप्त अर्हताएं, जो विहित की जाएं, भी हैं, पूरा करने के पश्चात् प्राप्त की है; 1956 का 3 1992 का 34

(ज) ''कुटुंब'' से व्यक्तियों का कोई ऐसा समूह अभिप्रेत है, जो रक्त, दत्तक या विवाह द्वारा सम्बन्धित है;

(झ) ''अवगत सहमति'' से किसी विनिर्दिष्ट मध्यक्षेप के लिए दी गई ऐसी सहमति अभिप्रेत है जो किसी बल, अनुचित प्रभाव, कपट, धमकी, भूल या दुर्व्यपदेशन के बिना और व्यक्ति को, व्यक्ति

द्वारा समझी जाने वाली भाषा और रीति में विनिर्दिष्ट मध्यक्षेप की पर्याप्त जानकारी, जिसके अन्तर्गत उसके जोखिम और फायदे भी हैं, और उसके अनुकल्पों को प्रकट करने के पश्चात् अभिप्राप्त की है;

(ञ) ''न्यूनतम निर्बंधनात्मक अनुकल्प'' या ''न्यूनतम निर्बंधनात्मक वातावरण'' या ''न्यून निर्बंधनात्मक विकल्प'' से उपचार के लिए कोई विकल्प देना या उपचार के लिए कुछ ऐसा नियत करना अभिप्रेत है, जो—

(i) व्यक्ति की उपचार की आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो; और

(ii) व्यक्ति के अधिकारों पर न्यूनतम निर्बंधन अधिरोपित करता हो;

(ट) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से कोई नगर निगम या नगरपालिक परिषद् या जिला परिषद्, या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य प्राधिकरण या निकाय भी हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य स्थापन पर प्रशासनिक नियंत्रण है या जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नगर या शहर या ग्राम में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कृत्य करने के लिए सशक्त हैं, अभिप्रेत है;

(ठ) ''मजिस्ट्रेट'' से अभिप्रेत है,—

1974 का 2

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (ट) के अर्थ के अंतर्गत किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, महानगर मजिस्ट्रेट;

(ii) किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त करे;

(ड) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के संबंध में, ''भारसाधक चिकित्सा अधिकारी'' से ऐसा मनश्चिकित्सक या चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जो तत्समय उस मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक है;

(ढ) ''चिकित्सा व्यवसायी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास ऐसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है, जो—

1956 का 102

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित है और जिसका नाम उस धारा के खंड (ट) में यथा परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है; या

1970 का 48

(ii) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ज) में परिभाषित है और जिसका नाम उस धारा की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथा परिभाषित भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में दर्ज किया गया है; या

1973 का 59

(iii) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में परिभाषित है और जिसका नाम उस धारा की उपधारा (1) के खंड (झ) में यथा परिभाषित, राज्य होम्योपैथी रजिस्टर में दर्ज किया गया है;

(ण) ''मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख'' के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का विश्लेषण और निदान तथा ऐसे व्यक्ति का, उसकी किसी मानसिक रुग्णता या आशंकित मानसिक रुग्णता के लिए उपचार और देख-रेख तथा पुनर्वास भी है;

(त) ''मानसिक स्वास्थ्य स्थापन'' से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी स्थापन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा स्वास्थ्य स्थापन अभिप्रेत है जो पूर्णत: या भागत: मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की देख-रेख के लिए समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, न्यास, चाहे प्राइवेट हो या सार्वजनिक, निगम, सहकारी सोसाइटी, संगठन या किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा स्थापित स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या अनुरक्षित किया गया है, जहां मानसिक रुग्णता

से ग्रस्त व्यक्ति देख-रेख, उपचार, स्वास्थ्य लाभ और पुनर्वासन के लिए, अस्थायी रूप से या अन्यथा भर्ती किए जाते हैं और रहते हैं या रखे जाते हैं; और इसके अंतर्गत समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, न्यास, चाहे प्राइवेट हो या सार्वजनिक, निगम, सहकारी सोसाइटी, संगठन या किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा स्थापित या अनुरक्षित साधारण अस्पताल या साधारण परिचर्या गृह भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत कुटुंबी निवास स्थान नहीं है जहां मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति अपने नातेदारों या मित्रों के साथ निवास करता है;

(थ) ''मानसिक स्वास्थ्य नर्स'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित भारतीय नर्स परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त साधारण परिचर्या में डिप्लोमा या डिग्री या मनश्चिकित्सीय परिचर्या में डिप्लोमा या डिग्री है और वह राज्य में की सुसंगत नर्स परिषद् में उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है; 1947 का 48

(द) ''मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक'' से अभिप्रेत है,—

(i) खंड (भ) में यथा परिभाषित कोई मनश्चिकित्सक; या

(ii) धारा 55 के अधीन संबद्ध राज्य प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कोई वृत्तिक; या

(iii) कोई ऐसा वृत्तिक जिसके पास मनोविज्ञान एवं मानस रोग में स्नातकोत्तर डिग्री (आयुर्वेद) या मनोरोग-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (होम्योपैथी) या मौलिजत (नफासियत) में स्नातकोत्तर डिग्री (यूनानी) या सिरापू मारुथुवम में स्नातकोत्तर डिग्री (सिद्ध) है;

(ध) ''मानसिक रुग्णता'' से चिन्तन, मन:स्थिति, अनुभूति, अभिविन्यास या स्मृति का ऐसा पर्याप्त विकार अभिप्रेत है, जिससे निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, एल्कोहल और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से सहबद्ध मानसिक दशा अत्यधिक क्षीण हो जाती है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के चित्त के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की ऐसी दशा है जिसे विशेष रूप से बुद्धिमत्ता की अवसामान्यता के रूप में वर्णित किया जाता है;

(न) ''अवयस्क'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(प) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तद्नुसार ''अधिसूचित'' पद का अर्थ लगाया जाएगा;

(फ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ब) ''मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बंदी'' से मानसिक रुग्णता से ग्रस्त ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अपराध का विचारणाधीन है या जिसे सिद्धदोष ठहराया गया है और किसी जेल या कारागार में निरुद्ध है;

(भ) ''मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में मास्टर ऑफ फिलोसफी हो जो उसने दो वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षित नैदानिक प्रशिक्षण या ऐसी मान्यताप्राप्त अर्हताएं जो विहित की जाएं, भी हैं, पूरा करने के पश्चात् प्राप्त की हों; 1956 का 3

(म) ''मनश्चिकित्सक'' से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई या राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई या मान्यताप्राप्त और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची में सम्मिलित या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त मनश्चिकित्सा 1956 का 3 1956 का 102

की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा है और इसके अंतर्गत किसी राज्य के संबंध में कोई ऐसा चिकित्सा अधिकारी भी है जिसको उस राज्य की सरकार ने मनश्चिकित्सा में उसके ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मनश्चिकित्सक घोषित कर दिया है;

(य) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(यक) ''नातेदार'' से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका मानसिक रुग्ण व्यक्ति से रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण के आधार पर कोई नाता है;

(यख) ''राज्य प्राधिकरण'' से धारा 45 के अधीन स्थापित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में परिभाषित हैं और इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों में उनके हैं।

1956 का 102
1970 का 48

अध्याय 2

मानसिक रुग्णता और मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार संबंधी विनिश्चय करने की क्षमता

मानसिक रुग्णता का अवधारण।

3. (1) मानसिक रुग्णता का अवधारण ऐसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत चिकित्सा मानकों (जिसके अंतर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन का रोगों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण का नवीनतम संस्करण भी है) के अनुसार किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

(2) कोई व्यक्ति या प्राधिकारी, ऐसे प्रयोजनों के सिवाय, जो मानसिक रुग्णता के उपचार या ऐसे अन्य विषयों से, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत आते हैं, सीधे सम्बन्धित हैं, किसी व्यक्ति को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा।

(3) किसी व्यक्ति की मानसिक रुग्णता का अवधारण,—

(क) व्यक्ति की राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक प्रास्थिति या किसी सांस्कृतिक, जातिगत या धार्मिक समूह की सदस्यता या किसी अन्य ऐसे कारण के लिए, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य स्तर से सीधे सुसंगत नहीं है;

(ख) किसी व्यक्ति के समुदाय में विद्यमान नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कर्मों या राजनैतिक मूल्यों या धार्मिक विश्वासों के विरोध,

के आधार पर नहीं किया जाएगा।

(4) यद्यपि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में पूर्व उपचार या भर्ती किया जाना, व्यक्ति की मानसिक रुग्णता का किसी मौजूदा या भावी अवधारण के लिए सुसंगत होगा किन्तु अपने आप में न्यायोचित नहीं होगा।

(5) किसी व्यक्ति की मानसिक रुग्णता के अवधारण में केवल यह विवक्षित नहीं होगा या उसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि व्यक्ति विकृतचित्त का है, जब तक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उस रूप में घोषित न कर दिया गया हो।

मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार का विनिश्चय करने की क्षमता।

4. (1) प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति भी है, उसकी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार के संबंध में विनिश्चय करने की क्षमता रखने वाला समझा जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति के पास—

(क) उस जानकारी को समझने की योग्यता है, जो उपचार या भर्ती या वैयक्तिक सहायता के विषय में विनिश्चय करने के लिए सुसंगत है; या

(ख) उपचार या भर्ती या वैयक्तिक सहायता के विषय में किसी विनिश्चय या विनिश्चय न करने के परिणामों को युक्तियुक्त रूप से पहले से ही ठीक-ठीक समझने की योग्यता है; या

(ग) उपखंड (क) के अधीन विनिश्चय को वाक्, अभिव्यक्ति, संकेत या किसी अन्य माध्यम से संसूचित करने की योग्यता है।

(2) किसी व्यक्ति को, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना ऐसी सरल भाषा, जिसे ऐसा व्यक्ति समझता हो या उसे सूचना को समझने हेतु समर्थ बनाने के लिए सांकेतिक भाषा या दृश्य सामग्री या अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए दी जाएगी।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने अपनी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार के संबंध में कोई ऐसा विनिश्चय किया है जो अन्य व्यक्तियों को अनुपयुक्त या अनुचित प्रतीत हो, वहां जब तक कि व्यक्ति के पास उपधारा (1) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार की क्षमता है तब तक उसका स्वत: ही यह अर्थ नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति के पास किसी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार का विनिश्चय करने की क्षमता नहीं है।

अध्याय 3

अग्रिम निदेश

अग्रिम निदेश।

5. (1) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो अवयस्क नहीं है, निम्नलिखित में से किन्हीं या सभी को विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित में अग्रिम निदेश करने का अधिकार होगा:—

(क) ऐसा उपाय जिसकी कोई व्यक्ति किसी मानसिक रुग्णता हेतु देख-रेख और उपचार के लिए वांछा करता है;

(ख) ऐसा उपाय जिसकी कोई व्यक्ति किसी मानसिक रुग्णता हेतु देख-रेख और उपचार के लिए वांछा नहीं करता है;

(ग) पूर्ववर्तिता के क्रम में व्यक्ति, जिसे या जिन्हें वह धारा 14 के अधीन यथा उपबंधित अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में, नियुक्त करना चाहता है।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई अग्रिम निदेश, उसकी पूर्व मानसिक रुग्णता या उसके लिए उपचार को विचार में लाए बिना किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी अग्रिम निदेश का अवलंब केवल तभी लिया जाएगा जब ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार का विनिश्चय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार का विनिश्चय करने की क्षमता पुन: प्राप्त नहीं कर लेता है।

(4) किसी व्यक्ति द्वारा उस समय किया गया कोई विनिश्चय जब वह मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार का विनिश्चय करने के लिए सक्षम था, ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी पूर्वतन लिखित अग्रिम निदेश पर अभिभावी होगा।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रतिकूल किया गया कोई अग्रिम निदेश आरंभ से ही शून्य होगा।

अग्रिम निदेश करने की रीति।

6. कोई अग्रिम निदेश ऐसी रीति में किया जाएगा जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए।

ऑनलाइन रजिस्टर का रखा जाना।

7. प्रत्येक बोर्ड, उसके पास रजिस्ट्रीकृत सभी अग्रिम निदेशों का, धारा 91 की उपधारा (1) के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए ऑनलाइन रजिस्टर रखेगा और उसे जब कभी अपेक्षित हो, संबंधित मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों को उपलब्ध कराएगा।

अग्रिम निदेशों का प्रतिसंहरण, संशोधन या रद्दकरण।

8. (1) धारा 6 के अधीन किया गया कोई अग्रिम निदेश किसी समय उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे किया है, प्रतिसंहृत, संशोधित या रद्द किया जा सकेगा।

(2) अग्रिम निदेश के प्रतिसंहरण, संशोधन या रद्द करने की प्रक्रिया धारा 6 के अधीन कोई अग्रिम निदेश करने की प्रक्रिया के समान होगी।

आपात उपचार पर अग्रिम निदेश का लागू न होना।

9. किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने अग्रिम निदेश किया है, धारा 103 के अधीन दिए गए आपात उपचार पर अग्रिम निदेश लागू नहीं होगा।

अग्रिम निदेश का अनुसरण करने का कर्तव्य।

10. धारा 11 के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति का उपचार करने वाले किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के प्रत्येक भारसाधक चिकित्सा अधिकारी और भारसाधक मनश्चिकित्सक का यह कर्तव्य होगा कि वह मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को उसके विधिमान्य अग्रिम निदेश के अनुसार उपचार का प्रस्ताव करे या उपचार करे।

अग्रिम निदेश का पुनर्विलोकन, परिवर्तन, उपांतरण या रद्द करने की शक्ति।

11. (1) जहां मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति के उपचार के दौरान किसी व्यक्ति का कोई मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या कोई नातेदार या कोई देख-रेख कर्ता किसी अग्रिम निदेश का अनुसरण नहीं करना चाहता है वहां व्यक्ति का ऐसा मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या नातेदार या देख-रेख कर्ता संबद्ध बोर्ड को अग्रिम निदेश का पुनर्विलोकन, परिवर्तन, उपांतरण या रद्द करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर सभी संबंधित पक्षकारों (जिनके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जिसका अग्रिम निदेश प्रश्नगत है) को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, या तो अग्रिम निदेश को कायम रखेगा या उसे उपांतरित या परिवर्तित या रद्द कर देगा, अर्थात्:—

(क) क्या व्यक्ति द्वारा अग्रिम निदेश उसकी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से और बल, असम्यक् असर या प्रपीड़न से मुक्त होकर किया गया था; या

(ख) क्या व्यक्ति का, ऐसी वर्तमान परिस्थितियों में, जो प्रत्याशित परिस्थिति से भिन्न हों, अग्रिम विनिश्चय लागू करने का आशय था; या

(ग) क्या व्यक्ति को ऐसा विनिश्चय करने के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित किया गया था; या

(घ) जब ऐसा अग्रिम निदेश किया गया था तब क्या व्यक्ति अपनी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार के संबंध में विनिश्चय करने के लिए सक्षम था; या

(ङ) क्या अग्रिम निदेश की सहमति किसी अन्य विधि या संवैधानिक उपबंधों के प्रतिकूल है।

(3) अग्रिम निदेश को लिखने वाले व्यक्ति और उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि, यथास्थिति, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या किसी चिकित्सा व्यवसायी या किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक ने जब अपेक्षित हो, अग्रिम निदेश तक पहुंच बना ली है।

(4) विधिक संरक्षक को किसी अवयस्क के संबंध में लिखित रूप में, अग्रिम निदेश करने का अधिकार होगा और अग्रिम निदेश से संबंधित सभी उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे अवयस्क को, उसके वयस्क होने तक लागू होंगे।

अग्रिम निदेशों का पुनर्विलोकन।

12. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण नियमित रूप से और आवधिक रूप से अग्रिम निदेशों के उपयोग का पुनर्विलोकन करेगा और उसके संबंध में सिफारिशें करेगा।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपने पुनर्विलोकन में कोई अग्रिम निदेश देने के लिए प्रक्रिया पर विनिर्दिष्ट ध्यान देगा और इस बात की भी परीक्षा करेगा कि विद्यमान प्रक्रिया से मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के अधिकार संरक्षित होते हैं या नहीं।

(3) केन्द्रीय प्राधिकरण अग्रिम निदेश करने की प्रक्रिया को उपांतरित कर सकेगा या किसी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों की संरक्षा के लिए अग्रिम निदेश की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त विनियम बना सकेगा।

अग्रिम निदेश के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य वृत्तिक का दायित्व।

13. (1) किसी चिकित्सा व्यवसायी या किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को किसी विधिमान्य अग्रिम निदेश का अनुसरण करने पर किन्हीं अकल्पित परिणामों के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा।

(2) किसी चिकित्सा व्यवसायी या किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को, यदि उसे विधिमान्य अग्रिम निदेश की प्रति नहीं दी गई है, किसी विधिमान्य अग्रिम निदेश का अनुसरण न करने के लिए दायी नहीं ठहराया जाएगा।

अध्याय 4

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति और प्रतिसंहरण।

14. (1) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो अवयस्क नहीं है, किसी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई नामनिर्देशन उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति के हस्ताक्षर या व्यक्ति के अंगूठे के निशान के साथ सादे कागज पर लिखित में किया जाएगा।

(3) नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा, वह इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का पालन करने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को, इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए लिखित में अपनी सम्मति देने के लिए सक्षम होगा।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया गया है वहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को अग्रताक्रम में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि समझा जाएगा, अर्थात्:—

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अग्रिम निदेश में नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त व्यक्ति; या

(ख) ऐसे व्यक्ति का कोई नातेदार या यदि वह उपलब्ध नहीं है या नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि होने के लिए इच्छुक नहीं है; या

(ग) ऐसे व्यक्ति का कोई देख-रेख कर्ता या यदि वह उपलब्ध नहीं है या नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि होने के लिए इच्छुक नहीं है; या

(घ) संबद्ध बोर्ड द्वारा उस रूप में नियुक्त कोई उपयुक्त व्यक्ति; या

(ङ) यदि ऐसा कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होने के लिए उपलब्ध नहीं है तो बोर्ड, निदेशक, समाज कल्याण विभाग को या उसके अभिहित प्रतिनिधि को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करेगा:

परंतु मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक द्वारा, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है, संबद्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति लंबित रहने तक नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थायी रूप से लगाया जा सकेगा। 1860 का 21

(5) उपधारा (4) के परंतुक में निर्दिष्ट संगठन का प्रतिनिधि, व्यक्ति के उपचार के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या भारसाधक मनश्चिकित्सक को लिखित आवेदन कर सकेगा और, यथास्थिति, ऐसा चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक, संबद्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति लंबित रहने के दौरान उसे अस्थायी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करेगा।

(6) कोई व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी समय ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण या परिवर्तन कर सकेगा।

(7) बोर्ड, यदि उसकी यह राय है कि मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई नियुक्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगा और इस धारा के अधीन किसी भिन्न प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकेगा।

(8) किसी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति का या किसी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति की अयोग्यता का अर्थ व्यक्ति की अपनी मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार के बारे में विनिश्चय करने की सामर्थ्यता में कमी के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

(9) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त सभी व्यक्तियों के पास मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार संबंधी विनिश्चय करने की सामर्थ्यता होगी किंतु उन्हें विनिश्चय करने के लिए उनके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से भिन्न-भिन्न स्तरों के समर्थन की अपेक्षा हो सकेगी।

अवयस्क का नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि।

15. (1) धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक उपधारा (2) के अधीन संबद्ध बोर्ड अन्यथा आदेश न दे, तब तक अवयस्कों की दशा में, उनके विधिक संरक्षक उनके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि होंगे।

(2) जहां अवयस्क के सर्वोत्तम हित में कार्य करने वाले किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संबद्ध बोर्ड को किए गए आवेदन पर या उसके समक्ष दिए गए साक्ष्य के आधार पर संबद्ध बोर्ड की यह राय है कि,—

(क) विधिक संरक्षक अवयस्क के सर्वोत्तम हितों में कार्य नहीं कर रहा है; या

(ख) विधिक संरक्षक अवयस्क के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अन्यथा उपयुक्त नहीं है,

वहां वह किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति को, जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त अवयस्क के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, नियुक्त कर सकेगा:

परंतु जहां कोई व्यक्ति नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है वहां बोर्ड, उस राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक को, जिसमें ऐसा बोर्ड अवस्थित है या उसके नामनिर्देशिती को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करेगा।

बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का प्रतिसंहरण, परिवर्तन, आदि।

16. बोर्ड मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के नातेदार द्वारा या ऐसे व्यक्ति की देख-रेख के लिए उत्तरदायी किसी मनश्चिकित्सक द्वारा या ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, जहां व्यक्ति भर्ती है या उसे भर्ती किए जाने का प्रस्ताव है, के भारसाधक किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे किए गए आवेदन पर धारा 14 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन या धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहृत, परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगा।

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के कर्तव्य।

17. नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय,—

(क) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की वर्तमान और पिछली इच्छाओं, जीवनवृत्त, मूल्यों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सर्वोत्तम हितों पर विचार करेगा;

(ख) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के विचारों पर उस सीमा तक जहां तक व्यक्ति विचाराधीन विनिश्चयों की प्रकृति को समझता है, विश्वास करेगा;

(ग) धारा 89 या धारा 90 के अधीन उपचार का विनिश्चय करने में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की सहायता करेगा;

(घ) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की पर्याप्त सहायता करने के लिए ऐसे निदान और उपचार की जानकारी मांगने का अधिकार होगा;

(ङ) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के निमित्त या उसके फायदे के लिए धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन यथा उपबंधित कौटुंबिक या गृह आधारित पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच बनाएगा;

(च) धारा 98 के अधीन छुट्टी देने संबंधी योजना में अंतर्वलित होगा;

(छ) धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 के अधीन भर्ती के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को आवेदन करेगा;

(ज) धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 के अधीन छुट्टी देने के लिए मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की ओर से संबद्ध बोर्ड को आवेदन करेगा;

(झ) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संबद्ध बोर्ड को आवेदन करेगा;

(ञ) धारा 87 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी उपयुक्त परिचारक को नियुक्त करेगा;

(ट) धारा 99 की उपधारा (3) के अधीन उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन अनुसंधान के लिए सम्मति देने या रोके जाने का अधिकार होगा।

अध्याय 5

मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार

मानसिक स्वास्थ्य की देख-रेख तक पहुंच बनाने का अधिकार।

18. (1) प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सरकार द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार तक पहुंच बनाने का अधिकार होगा।

(2) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार तक पहुंच बनाने के अधिकार से ऐसी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अभिप्रेत होंगी जो लिंग, लिंगभेद, लैंगिक अभिविन्यास, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या राजनैतिक विश्वास से वर्ग, नि:शक्तता के आधार पर या किसी अन्य आधार पर विभेद के बिना वहन करने योग्य खर्चे वाली, अच्छी क्वालिटी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भौगोलिक रूप से सुगम होंगी और ऐसी रीति में उपलब्ध होंगी जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों और उनके कुटुंबों और देख-रेख कर्ताओं को स्वीकार्य हों।

(3) समुचित सरकार, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित सेवाओं की श्रेणी के लिए ऐसे पर्याप्त उपबंध जो आवश्यक हों, करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सेवाओं की श्रेणी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी सेवाओं में निम्नलिखित होंगे,—

(क) बाह्य रोगी और अंतरंग रोगी की सेवाओं जैसी अत्यावश्यक मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं का उपबंध;

(ख) ऐसे स्वास्थ्य विश्राम गृहों, आश्रय स्थान, समर्थित वास-सुविधा का उपबंध जो विहित किए जाएं;

(ग) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के कुटुंब की सहायता के लिए या गृह आधारित पुनर्वासन के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपबंध;

(घ) ऐसे अस्पताल और समुदाय आधारित पुनर्वास स्थापन और सेवाएं जो विहित की जाएं;

(ङ) बालक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और वृद्धावस्था मानसिक सेवाओं के लिए उपबंध।

(5) समुचित सरकार,—

(क) प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देख-रेख सहित स्वास्थ्य देख-रेख के सभी स्तरों पर साधारण स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं में, और समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करेगी;

(ख) ऐसी रीति में उपचार उपलब्ध करवाएगी जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को समुदाय में और उनके कुटुम्बों के साथ रहने में सहायक है;

(ग) सुनिश्चित करेगी कि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रुग्णता के उपचार के लिए दीर्घकालिक देख-रेख का उपयोग, केवल आपवादिक परिस्थितियों में यथासंभव किसी अल्प अवधि के लिए और केवल अंतिम उपाय के रूप में तब किया जाएगा जब समुदाय आधारित समुचित उपचार का प्रयत्न किया जा चुका हो और वह असफल रहा हो;

(घ) सुनिश्चित करेगी कि मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति से (जिसके अंतर्गत बालक और वृद्ध व्यक्ति भी हैं) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए लंबी दूरी तक की यात्रा करने

की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसी सेवाएं, उस स्थान के निकट उपलब्ध करवाई जाएंगी जहां मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति निवास करता है;

(ङ) सुनिश्चित करेगी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक जिले में उपलब्ध हों;

(च) सुनिश्चित करेगी कि यदि उपधारा (4) के उपखंड (ङ) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उस जिले में उपलब्ध नहीं हैं जहां कोई मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति निवास करता है, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति जिले में के किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने का हकदार है और उस जिले में के ऐसे स्थापनों में उपचार का व्यय समुचित सरकार द्वारा वहन किया जाएगा:

परंतु समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित किसी स्वास्थ्य स्थापन में इस उपधारा के अधीन सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की ऐसी अवधि तक, समुचित सरकार ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में नियम बनाएगी।

(6) समुचित सरकार, ऐसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित सभी साधारण अस्पतालों पर धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट समुचित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की श्रेणी उपलब्ध कराएगी तथा आधारभूत और आपात मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख सेवाएं, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ऐसी सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित, उपरिमुखी लोक स्वास्थ्य प्रणाली को उपलब्ध होंगी।

(7) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, चाहे उनके पास गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड हो या नहीं, या जो दीन-हीन या बेघर हैं समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों में और उसके द्वारा अभिहित अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों में नि:शुल्क और किसी वित्तीय खर्चे के बिना मानसिक स्वास्थ्य उपचार और सेवाओं के हकदार होंगे।

(8) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं अन्य साधारण स्वास्थ्य सेवाओं के समान क्वालिटी की होंगी और मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी में कोई विभेद नहीं किया जाएगा।

(9) मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के न्यूनतम क्वालिटी मानक, राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

(10) धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन सेवाओं की श्रेणी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकार आवश्यक औषधि सूची अधिसूचित करेगी और आवश्यक औषधि सूची में की सभी औषधियां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य प्रणाली में के उपरिमुखियों से आरंभ होने वाले समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित स्वास्थ्य स्थापनों पर सभी समय सभी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को नि:शुल्क उपलब्ध होंगी:

परंतु जहां किसी स्वास्थ्य स्थापन में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक या प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के स्वास्थ्य वृत्तिक उपलब्ध हैं, वहां सभी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को वैसी ही किसी सूची से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और हौम्योपैथिक या प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से संबंधित समुचित आवश्यक औषधियां भी खर्च के बिना उपलब्ध कराई जाएंगी।

(11) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि इस धारा के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्तता, पूर्विकता, प्रगति और साम्या के निबंधनों के अनुसार आवश्यक बजट संबंधी उपलब्ध हो।

स्पष्टीकरण— उपधारा (11) के प्रयोजन के लिए,—

(i) ''पर्याप्तता'' पद से मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति के लिए कितना पर्याप्त है, का संबंध अभिप्रेत है;

(ii) ''पूर्विकता'' से अन्य बजट शीर्षों की तुलना का संबंध अभिप्रेत है;

(iii) ''साम्या'' से व्यक्तियों, उनके कुटुंबों और देख-रेख कर्ताओं पर स्वास्थ्य, मानसिक रुग्णता के सामाजिक और आर्थिक बोझ को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के उचित आबंटन का संबंध अभिप्रेत है;

(iv) ''प्रगति'' से राज्यों की अनुक्रिया में किसी सुधार को उपदर्शित करने का संबंध अभिप्रेत है।

समुदाय में जीवन निर्वाह का अधिकार।

19. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को,—

(क) समाज में रहने का, उसका भाग होने का अधिकार होगा और उसे समाज से अलग नहीं किया जाएगा; और

(ख) केवल इस कारण से कि उसका कोई कुटुंब नहीं है या उसके कुटुंब ने उसे स्वीकार नहीं किया है या वह बेघर है या समुदाय आधारित सुविधाओं के अभाव में किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में नहीं रखा जाएगा।

(2) जहां किसी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का उसके कुटुंब या नातेदारों के साथ रहना संभव नहीं है या जहां किसी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का उसके कुटुंब या नातेदारों द्वारा त्यजन कर दिया गया है, वहां समुचित सरकार, विधिक सहायता सहित यथा समुचित और कौटुम्बिक गृह के प्रति उसके अधिकार का उपयोग करने और कौटुम्बिक गृह में रहने को सुकर बनाने के लिए सहायता उपलब्ध करवाएगी।

(3) समुचित सरकार, युक्तियुक्त अवधि के भीतर ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें दीर्घकालिक वास मानसिक चिकित्सालयों जैसे अधिक निर्बंधनात्मक मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों में लंबे उपचार की अपेक्षा नहीं है, स्वास्थ्य विश्राम गृह, सामूहिक विश्राम गृह सहित अल्प निर्बंधनात्मक समुदाय आधारित स्थापन उपलब्ध कराएगी या उनकी स्थापना में सहायता करेगी।

क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण का अधिकार।

20. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ रहने का अधिकार होगा।

(2) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से संरक्षित होगा और उसके निम्नलिखित अधिकार होंगे, अर्थात्:—

(क) सुरक्षित और स्वास्थ्यकर पर्यावरण में जीवन निर्वाह;

(ख) पर्याप्त स्वच्छ दशाओं का होना;

(ग) अवकाश, मनोरंजन, शिक्षा और धार्मिक आचरणों के लिए युक्तियुक्त सुविधाओं का होना;

(घ) एकांतता को बनाए रखना;

(ङ) उचित परिधान जिससे ऐसे व्यक्ति को, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उसके शरीर को अनावृत्त होने से संरक्षित किया जा सके;

(च) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में कार्य करने के लिए और यदि कार्य करता है तो उसे समुचित पारिश्रमिक लेने के लिए बाध्य न करना;

(छ) समुदायों में जीवनयापन के लिए तैयार करने हेतु पर्याप्त उपबंध का होना;

(ज) स्वास्थ्यप्रद भोजन, स्वच्छता, निजी स्वच्छता की वस्तुओं के लिए स्थान और उन तक पहुंच बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का होना जिसमें विशिष्टतया महिलाओं की निजी स्वच्छता के लिए ऐसी मदों तक, जो ऋतुस्राव के दौरान अपेक्षित हों, पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त रूप से उपबन्ध हों;

(झ) मुंडन कराना (सिर के बालों की हजामत) अनिवार्य न होना;

(ञ) अपने व्यक्तिगत वस्त्रों को पहनना, यदि वे ऐसी इच्छा करें और स्थापन द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दी पहनने को बाध्य न किया जाना;

(ट) शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार के सभी रूपों से संरक्षित होना।

समानता और भेदभाव न करने का अधिकार।

21. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति के साथ, सभी स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख के उपबंध में शारीरिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के समान व्यवहार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(क) लिंग, लिंगभेद, लैंगिक उन्मुखता, धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक या राजनैतिक विश्वास, वर्ग या दिव्यांगता सहित किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं होगा;

(ख) मानसिक रुग्णता के लिए आपातकालीन सुविधाएं और आपातकालीन सेवाएं उसी ही क्वालिटी की होंगी और उनकी उपलब्धता वैसी ही होगी जैसी शारीरिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ग) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति वैसी ही रीति में, उसी विस्तार तक और वैसी ही क्वालिटी की एंबुलैंस सेवाओं के उपयोग के हकदार होंगे जैसी शारीरिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं;

(घ) स्वास्थ्य स्थापनों में जीवन निर्वाह की परिस्थितियां वैसी ही रीति की, उसी विस्तार तक और वैसी ही क्वालिटी की होंगी जैसी शारीरिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं; और

(ङ) शारीरिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली कोई अन्य स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को उसी रीति में, उसी विस्तार तक और समान क्वालिटी की उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में देख-रेख, उपचार प्राप्त करने वाली या पुनर्वास करने वाली किसी महिला के तीन वर्ष से कम आयु के किसी बालक को साधारणतया ऐसे स्थापन में उसके निवास के दौरान उससे पृथक्, नहीं किया जाएगा:

परंतु जहां उपचार करने वाले मनश्चिकित्सक की, महिला की उसके द्वारा की गई जांच के आधार पर और यदि समुचित हो तो अन्य व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यह राय है कि बालक को महिला से, उसकी मानसिक रुग्णता के कारण अपहानि का जोखिम है या ऐसा करना बालक के हित और सुरक्षा में है तो बालक को महिला के मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में प्रवास के दौरान उससे अस्थायी रूप से पृथक् कर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि महिला की, पृथक्करण की अवधि के दौरान स्थापन के कर्मचारिवृंद या उसके कुटुंब के, ऐसे पर्यवेक्षणाधीन जैसा समुचित हो, बालक तक पहुंच बनी रहेगी।

(3) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में महिला के प्रवास के दौरान प्रत्येक पंद्रह दिन में उसे उसके बालक से पृथक् रखने के विनिश्चय का पुनर्विलोकन किया जाएगा और जैसे ही वे परिस्थितियां जिनमें पृथक्करण अपेक्षित था, समाप्त हो जाती है, पृथक्करण को समाप्त कर दिया जाएगा:

परंतु किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के निर्धारण के अनुसार अनुज्ञात ऐसे पृथक्करण के लिए यदि वह तीस दिन से अनधिक तक निरंतर बना रहता है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने की अपेक्षा होगी।

(4) प्रत्येक बीमाकर्ता, मानसिक रुग्णता के उपचार के लिए ऐसे समान आधार पर जो शारीरिक रुग्णता के उपचार के लिए उपलब्ध हैं, चिकित्सा बीमा का उपबंध करेगा।

सूचना का अधिकार।

22. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति और उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को निम्नलिखित सूचना के अधिकार होंगे, अर्थात्:—

(क) यदि वह भर्ती है तो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के ऐसे उपबंध जिसके अधीन उसे भर्ती किया गया है और उस उपबंध के अधीन भर्ती के लिए मानदंड;

(ख) भर्ती के पुनर्विलोकन के लिए संबंधित बोर्ड को कोई आवेदन करने का उसका अधिकार;

(ग) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का स्वभाव और प्रस्तावित उपचार योजना जिसके अंतर्गत प्रस्तावित उपचार तथा ऐसे प्रस्तावित उपचार के ज्ञात अतिरिक्त परिणाम के प्रभाव की जानकारी भी है;

(घ) ऐसी किसी भाषा व प्ररूप में जानकारी प्राप्त करना जिसे ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति समझ सके।

(2) यदि मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को भर्ती या उपचार प्रारंभ करने के समय पूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती है तो व्यक्ति की देख-रेख करने वाले भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि जब व्यक्ति उसे प्राप्त करने की स्थिति में हो, तो उसे तत्काल संपूर्ण जानकारी दी जाए:

परंतु जहां मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को भर्ती या उपचार प्रारंभ करते समय जानकारी नहीं दी गई है वहां व्यक्ति की देख-रेख करने वाला भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को तुरंत जानकारी देगा।

गोपनीयता का अधिकार।

23. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को उसके मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख, उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य देख-रेख के संबंध में गोपनीयता का अधिकार होगा।

(2) किसी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की देख-रेख या उपचार करने वाले सभी स्वास्थ्य वृत्तिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित अपवादों के साथ सभी ऐसी जानकारी जो उसने देख-रेख या उपचार के दौरान प्राप्त की है, गोपनीय रखें, अर्थात्:—

(क) नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए जानकारी देना;

(ख) अन्य मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों और अन्य स्वास्थ्य वृत्तिकों को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की देख-रेख और उपचार करने हेतु समर्थ बनाने के लिए जानकारी देना;

(ग) ऐसी जानकारी देना, यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को अपहानि या हिंसा से संरक्षित करने के लिए आवश्यक है;

(घ) केवल ऐसी जानकारी दी जाएगी जो पहचान की गई अपहानि के विरुद्ध संरक्षा करने के लिए आवश्यक है;

(ङ) केवल ऐसी जानकारी देना जो जीवन संकट के निवारण के लिए आवश्यक हो;

(च) संबंधित बोर्ड या केन्द्रीय प्राधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य ऐसे कानूनी प्राधिकरण के, जो ऐसा करने के लिए सक्षम है, आदेश पर जानकारी देना; और

(छ) लोक क्षेम और सुरक्षा के हितों में जानकारी देना।

मानसिक रुग्णता के संबंध में सूचना देने पर निर्बंधन।

24. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की सम्मति के बिना किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उपचार करवाने वाले मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति से संबंधित कोई फोटो या कोई अन्य जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी।

(2) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का गोपनीयता संबंधी अधिकार यथार्थ या वास्तविक स्थान में इलैक्ट्रोनिक या अंकीय रूपविधान में भंडारित सभी सूचनाओं को भी लागू होगा।

चिकित्सा अभिलेखों तक पहुंच का अधिकार।

25. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त सभी व्यक्तियों को उनके ऐसे मूल चिकित्सा अभिलेखों तक, जो विहित किए जाएं, पहुंच प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) ऐसे अभिलेखों का भारसाधक मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक चिकित्सा अभिलेखों में की विनिर्दिष्ट सूचना को रोक सकेगा यदि ऐसे प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप,—

(क) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को गंभीर मानसिक अपहानि हो सकती है; या

(ख) अन्य व्यक्तियों को अपहानि होने की संभावना है।

(3) जब चिकित्सा अभिलेखों में की कोई सूचना व्यक्ति से विधारित की जाती है, तो मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को ऐसी सूचना देने हेतु आदेश के लिए संबंधित बोर्ड को आवेदन करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा।

निजी संपर्कों और संसूचनाओं का अधिकार।

26. (1) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के मानकों के अधीन रहते हुए युक्तियुक्त समयों पर आगन्तुकों को मना करने या उनका सत्कार करने और टेलीफोन या मोबाइल फोन की कॉल से इंकार करने का या उसे ग्रहण करने का अधिकार होगा।

(2) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति इलैक्ट्रोनिक ढंग से, जिसके अंतर्गत ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना भी है, मेल भेज सकेगा और प्राप्त कर सकेगा।

(3) जहां मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को यह सूचित करता है कि वह समुदाय में के किसी नामित व्यक्ति से कोई डाक या ई-मेल प्राप्त करना नहीं चाहता है, वहां भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के साथ नामित व्यक्ति द्वारा ऐसे पत्र व्यवहार को निर्बंधित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) से उपधारा (3) में अंतर्विष्ट कोई बात किन्हीं परिस्थितियों में खंड (क) से खंड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भेंट करने, उन्हें टेलीफोन कॉल करने और उनसे प्राप्त करने तथा उनसे या उनको डाक या ई-मेल प्राप्त करने या भेजने को लागू नहीं होंगी, अर्थात्:—

(क) कोई न्यायाधीश या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(ख) संबद्ध बोर्ड या केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण के सदस्य;

(ग) कोई संसद् सदस्य या राज्य विधान-मंडल का कोई सदस्य;

(घ) व्यक्ति का नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, वकील या विधिक प्रतिनिधि;

(ङ) व्यक्ति के उपचार का भारसाधक चिकित्सा व्यवसायी;

(च) समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति।

विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

27. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दिए गए उसके अधिकारों में से किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, ऐसी संरक्षणीय संस्था का भारसाधक व्यक्ति जो विहित किया जाए, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को यह सूचित करने का कर्तव्य होगा कि वह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 या अन्य सुसंगत विधियों के अधीन या न्यायालय के किसी आदेश के अधीन, यदि ऐसा आदेश दिया जाए, नि:शुल्क विधिक सेवाओं का हकदार होगा और वह उसे सेवाओं की उपलब्धता के लिए संपर्क ब्यौरे उपलब्ध कराएगा।

1987 का 39

सेवाओं के उपबंधों में कमी के बारे में शिकायत करने का अधिकार।

28. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में देख-रेख, उपचार और सेवाओं के उपबंध में किसी कमी के संबंध में, —

(क) स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को और यदि उसके प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है;

(ख) संबंधित बोर्ड को और यदि वह उसके प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है;

(ग) राज्य प्राधिकरण को,

शिकायत करने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) में शिकायत करने के उपबंध, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में या किसी मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक द्वारा व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई न्यायिक उपचार मांगने के उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

अध्याय 6

समुचित सरकार के कर्तव्य

मानसिक स्वास्थ्य का उन्नयन और निवारक कार्यक्रम।

29. (1) समुचित सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह देश में मानसिक स्वास्थ्य उन्नयन और मानसिक रुग्णता के निवारण के कार्यक्रमों की योजना बनाए, उन्हें डिजाइन करे तथा उन्हें कार्यान्वित करे।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकार विशिष्टतया देश में आत्महत्याओं और आत्महत्या के प्रयासों को कम करने के लिए लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाएगी, उनके लिए डिजाइन तैयार करेगी और उन्हें कार्यान्वित करेगी।

मानसिक स्वास्थ्य और रुग्णता के बारे में जागरुकता पैदा करना तथा मानसिक रुग्णता के साथ लगे कलंकों को कम करना।

30. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि,—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से, जिनके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और ऑनलाइन मीडिया भी हैं, नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जा रहा है या नहीं;

(ख) मानसिक रुग्णता से संबद्ध कलंक को कम करने हेतु कार्यक्रम प्रभावी रीति से योजनाबद्ध डिजाइन, वित्तपोषित और क्रियान्वित किए गए हैं या नहीं;

(ग) समुचित सरकार के पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों, समुचित सरकार के पदधारियों को इस अधिनियम के अधीन मुद्दों पर नियतकालिक सुग्राहीकरण और जागरुकता प्रशिक्षण दिया जा रहा है या नहीं,

सभी उपाय करेगी।

समुचित सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण, आदि के संबंध में उपाय करना।

31. (1) समुचित सरकार, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य मध्यक्षेप करने हेतु उपलब्ध मानव संसाधनों की वृद्धि के लिए और उपलब्ध मानव संसाधनों के कौशल का सुधार करने के लिए उच्चतर शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना तैयार करके, उन्हें विकसित और कार्यान्वित करके देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के मानवीय संसाधन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपाय करेगी।

(2) समुचित सरकार, लोक स्वास्थ्य देख-रेख स्थापनों में के सभी चिकित्सा अधिकारियों को और कारागारों या जेलों में के सभी चिकित्सा अधिकारियों को आधारिक और आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण देगी।

(3) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से दस वर्ष के भीतर जनसंख्या के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों की संख्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूरा करने हेतु उपाय करेगी।

समुचित सरकार में समन्वयन।

32. समुचित सरकार, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख संबंधित विषयों का पता लगाने के लिए संबंधित मंत्रालय और ऐसे विभागों द्वारा जो स्वास्थ्य, विधि, गृह, मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, नियोजन, शिक्षा, महिला और बाल विकास, आयुर्विज्ञान शिक्षा से संबंधित हैं, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वयन सुनिश्चित करने के सभी उपाय करेगी।

अध्याय 7

केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना।

33. केन्द्रीय सरकार, उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, नौ मास की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

केन्द्रीय प्राधिकरण की संरचना।

34. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का सचिव या अपर सचिव—पदेन अध्यक्ष;

(ख) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में मानसिक स्वास्थ्य का भारसाधक संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य;

(ग) भारत सरकार के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग का संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य;

(घ) स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक—पदेन सदस्य;

(ङ) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग कार्य विभाग का संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य;

(च) भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय का संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य;

(छ) केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के निदेशक—पदेन सदस्य;

(ज) केन्द्रीय सरकार के सुसंगत मंत्रालयों या विभागों से ऐसे अन्य पदेन प्रतिनिधि;

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) की मद (iii) में यथा परिभाषित एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक जिसके पास उक्त क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;

(ञ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास उक्त क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;

(ट) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा नैदानिक मनोविज्ञानी, जिसके पास उक्त क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;

(ठ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाली एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स जिसके पास उक्त क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;

(ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधि हों जो मानसिक रुग्ण हैं या रहे थे—सदस्य;

(ढ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले या देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के दो व्यक्ति—सदस्य;

(ण) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का, जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति—सदस्य;

(त) मानसिक स्वास्थ्य से सुसंगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, यदि आवश्यक समझे जाएं।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के खंड (ज) से खंड (त) में निर्दिष्ट सदस्यों को ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विहित की जाएं।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते।

35. (1) धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ज) से खंड (त) में निर्दिष्ट केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे:

परंतु कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य पदेन सदस्य, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में इस शर्त पर पद धारण करेंगे जिसके आधार पर उन्हें नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

त्यागपत्र।

36. केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परंतु कोई सदस्य, जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अविलम्ब पदत्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पदग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा।

रिक्तियों का भरा जाना।

37. केन्द्रीय सरकार, रिक्ति को भरने के लिए प्राधिकरण के किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण किसी रिक्ति होने की तारीख से दो मास के भीतर और उस प्राधिकरण के किसी सदस्य की अधिवर्षिता या पदावधि पूरी होने के तीन मास पूर्व नामनिर्देशन करेगी।

रिक्तियों, आदि से केन्द्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

38. केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

कतिपय मामलों में बैठकों में सदस्यों का भाग न लेना।

39. कोई सदस्य, जिसका केन्द्रीय प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, चाहे वह धनीय हो या अन्यथा, सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, ऐसी बैठक में अपने हितों की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन केन्द्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उस विषय के संबंध में प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

40. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला प्राधिकरण का एक ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो भारत सरकार में निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो।

(2) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्ग अवधारित कर सकेगा।

(3) केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत अर्हताएं, अनुभव और नियुक्ति की रीति भी है) वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य।

41. (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी केन्द्रीय प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और वह—

(क) केन्द्रीय प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन का प्रशासन;

(ख) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कार्य संबंधी कार्यक्रमों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन;

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्य संबंधी कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव लेखबद्ध करने;

(घ) केन्द्रीय प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करने तथा बजट का निष्पादन करने,

के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए—

(क) पूर्ववर्ष में केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए एक साधारण रिपोर्ट;

(ख) कार्य के कार्यक्रम;

(ग) पूर्ववर्ष के वार्षिक लेखे; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए बजट,

प्रस्तुत करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

केन्द्रीय प्राधिकरण की आस्तियों, दायित्वों का अंतरण।

42. केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना पर,—

1987 का 14

(क) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व केन्द्रीय प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण—मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे केन्द्रीय प्राधिकरण की आस्तियों में सभी अधिकारों और शक्तियों तथा सभी सम्पत्तियों को, चाहे जंगम हों या स्थावर, जिनके अंतर्गत विशिष्टतया, ऐसी सम्पत्तियों में के या उनसे उद्भूत, जो ऐसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कब्जे में हैं, नकद अतिशेष, जमा और अन्य सभी हित और अधिकार, उनसे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज भी हैं, सम्मिलित समझा जाएगा; और दायित्वों में सभी ऋणों, किसी भी प्रकार के दायित्वों और बाध्यताओं को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस दिन के ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उक्त केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में नामांकन के दौरान संगृहीत सभी आंकड़े और जानकारी, किए गए अधिप्रमाणन के सभी ब्यौरे, उपगत ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं तथा ऐसे सभी विषय और बातें, जिन्हें किए जाने हेतु वह वचनबद्ध है, केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उपगत, उसके साथ या उसके लिए की गई, या किए जाने हेतु उसके द्वारा वचनबद्ध होना समझी जाएंगी;

(ग) उस दिन से ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण को शोध्य सभी धनराशियां केन्द्रीय प्राधिकरण को शोध्य समझी जाएंगी; और

(घ) उस दिन से ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित किए जाने हैं, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

केन्द्रीय प्राधिकरण के कृत्य।

43. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण,—

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को रजिस्टर करेगा और रजिस्ट्रीकृत स्थापनों के सभी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर देश में के सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का एक रजिस्टर रखेगा और उसे अद्यतन बनाएगा तथा ऐसे स्थापनों के किसी रजिस्टर को प्रकाशित करेगा (जिसके अंतर्गत इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रकाशन भी है);

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न प्रकारों के मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के लिए क्वालिटी और सेवा उपबंध सन्नियम विकसित करेगा;

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का अधीक्षण करेगा और सेवाओं के उपबंध में कमियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा;

(घ) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के सभी राज्य प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों की सूची प्रकाशित करेगा (जिसके अंतर्गत इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रकाशन भी है);

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों और उनके क्रियान्वयन के बारे में विधि प्रवर्तन पदधारियों, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों और अन्य स्वास्थ्य वृत्तिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा;

(च) केन्द्रीय सरकार को मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और सेवाओं से संबंधित सभी विषयों पर सलाह देगा;

(छ) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जिनका केन्द्रीय सरकार विनिश्चय करे:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की प्रति केंद्रीय प्राधिकरण को दी जाएगी। 1987 का 14

(2) इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस भी है) वह होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

केन्द्रीय प्राधिकरण की बैठकें।

44. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण की बैठक (वर्ष में कम से कम दो बार) ऐसे समय और स्थानों पर होगी तथा अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठक की गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) यदि अध्यक्ष, किसी कारण से, केन्द्रीय प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ज्येष्ठतम् सदस्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(4) केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी विनिश्चय अध्यक्ष या केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होंगे।

(5) यदि कोई सदस्य जो किसी कंपनी का निदेशक है और उसके ऐसे निदेशक के रूप में केन्द्रीय प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है तो वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को केन्द्रीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उक्त विषय के संबंध में प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

अध्याय 8

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना।

45. प्रत्येक राज्य सरकार, उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, नौ मास की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण'' नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

राज्य प्राधिकरण की संरचना।

46. (1) राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा,—

(क) राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग का सचिव या प्रधान सचिव—पदेन अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में मानसिक स्वास्थ्य का भारसाधक संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य;

(ग) स्वास्थ्य सेवाएं या आयुर्विज्ञान शिक्षा का निदेशक—पदेन सदस्य;

(घ) राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य;

(ङ) राज्य सरकार के सुसंगत मंत्रालयों या विभागों से ऐसे अन्य पदेन प्रतिनिधि;

(च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राज्य में के किसी मानसिक अस्पताल का प्रमुख या किसी सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनश्चिकित्सा विज्ञान का विभागाध्यक्ष—सदस्य;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला ख्यातिप्राप्त राज्य का एक मनश्चिकित्सक जो सरकारी सेवा में नहीं हो—सदस्य;

(ज) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (थ) की मद (iii) में यथा परिभाषित एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक जिसके पास उस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;

(झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास उस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा नैदानिक मनोविज्ञानी जिसके पास उस क्षेत्र का कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स, जिसके पास उस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधि हों जो मानसिक रुग्ण हैं या रहे थे—सदस्य;

(ड) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले या देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के दो व्यक्ति—सदस्य;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति—सदस्य।

(2) राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के खंड (ङ) से खंड (ढ) में निर्दिष्ट सदस्यों को ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विहित की जाए।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते।

47. (1) धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ङ) से खंड (ढ) में निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्य नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे:

परंतु कोई सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य पदेन सदस्य, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में इस शर्त पर पद धारण करेंगे जिसके आधार पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

त्यागपत्र।

48. राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा:

परन्तु कोई सदस्य, जब तक उसे राज्य सरकार द्वारा अविलम्ब पदत्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पदग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा।

रिक्तियों का भरा जाना।

49. राज्य सरकार, रिक्ति को भरने के लिए, राज्य प्राधिकरण के किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण किसी रिक्ति के होने की तारीख से दो मास के भीतर और उस प्राधिकरण के किसी सदस्य की अधिवर्षिता या पदावधि पूरी होने के तीन मास पूर्व नामनिर्देशन कर सकेगी।

रिक्तियों, आदि से राज्य प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

50. राज्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से कि,—

(क) राज्य प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है,

अविधिमान्य नहीं होगी।

कतिपय मामलों में बैठकों में सदस्य का भाग न लेना।

51. कोई सदस्य, जिसका राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, चाहे वह धनीय हो या अन्यथा, सुसंगत परिस्थितियां उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हितों की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन राज्य प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उस विषय के संबंध में राज्य प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

52. (1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला राज्य प्राधिकरण का एक ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो।

(2) राज्य प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से, राज्य प्राधिकरण द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्ग अवधारित कर सकेगा।

(3) राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत अर्हताएं, अनुभव और नियुक्ति की रीति भी हैं) वे होंगी, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य।

53. (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और वह—

(क) राज्य प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन;

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कार्य सम्बन्धी कार्यक्रमों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन;

(ग) राज्य प्राधिकरण के कार्य संबंधी कार्यक्रमों के प्रस्ताव को लेखबद्ध करने;

(घ) राज्य प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करने और बजट का निष्पादन करने,

के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष राज्य प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए,—

(क) पूर्ववर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए एक साधारण रिपोर्ट;

(ख) कार्य के कार्यक्रम;

(ग) पूर्ववर्ष के वार्षिक लेखे; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए बजट,

प्रस्तुत करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

54. राज्य प्राधिकरण की स्थापना से ही— राज्य प्राधिकरण की आस्तियों, दायित्वों का अंतरण।

1987 का 14 (क) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य प्राधिकरण की आस्तियां और दायित्व राज्य प्राधिकरण को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण—मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे राज्य प्राधिकरण की आस्तियों में सभी अधिकारों और शक्तियों तथा सभी सम्पत्तियों को, चाहे जंगम हों या स्थावर, जिनके अन्तर्गत विशिष्टतया, ऐसी सम्पत्तियों में के या उनसे उद्भूत, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे राज्य प्राधिकरण के कब्जे में हैं, नकद अतिशेष, जमा और अन्य सभी हित और अधिकार, उनसे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज भी हैं, सम्मिलित समझा जाएगा; और दायित्वों में सभी ऋणों, किसी भी प्रकार के दायित्वों और बाध्यताओं को सम्मिलित समझा जाएगा;

(ख) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दिन के ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे राज्य प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उक्त राज्य प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में नामांकन के दौरान संगृहीत सभी आंकड़े और जानकारी, किए गए अधिप्रमाणन के सभी ब्यौरे, उपगत ऋण बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं तथा ऐसे सभी विषय और बातें जिन्हें किए जाने हेतु वह वचनबद्ध है, राज्य प्राधिकरण द्वारा उपगत, उसके साथ या उसके लिए की गई, या किए जाने हेतु वचनबद्ध होना समझी जाएंगी;

(ग) उस दिन से ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य प्राधिकरण को शोध्य सभी राशियां राज्य प्राधिकरण को शोध्य समझी जाएंगी; और

(घ) उस दिन से ठीक पूर्व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ऐसे राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित की जानी हैं, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

55. (1) राज्य प्राधिकरण— राज्य प्राधिकरण के कृत्य।

(क) धारा 43 में निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के सिवाय राज्य में के सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को रजिस्टर करेगा और ऐसे स्थापनों के रजिस्टर बनाए रखेगा और उसे प्रकाशित करेगा (जिसके अन्तर्गत इंटरनेट पर आनलाइन प्रकाशन भी है);

(ख) राज्य में के विभिन्न प्रकारों के मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के लिए क्वालिटी और सेवा के उपबंध सन्नियम विकसित करेगा;

(ग) राज्य में के सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का अधीक्षण और सेवाओं के उपबंधों में कमियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा;

(घ) राज्य में मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों के रूप में कार्य करने के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को रजिस्टर करेगा और ऐसे रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों की सूची, ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों और उनके क्रियान्वयन के बारे में विधिक प्रवर्तन पदधारियों, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों और अन्य स्वास्थ्य वृत्तिकों सहित सभी सुसंगत व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा;

(च) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जिनका राज्य सरकार विनिश्चय करे, निर्वहन करेगा:

1987 का 14 परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य में के मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को (उनको छोड़कर जो धारा 43 में निर्दिष्ट हैं) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की प्रति राज्य प्राधिकरण को दी जाएगी।

(2) इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए उद्गृहीत फीस भी है) वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

राज्य प्राधिकरण की बैठकें।

56. (1) राज्य प्राधिकरण की बैठक (एक वर्ष में कम से कम चार बार) ऐसे समय और स्थानों पर होगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) यदि अध्यक्ष, किसी कारण से, राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो ज्येष्ठतम् सदस्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(4) राज्य प्राधिकरण के सभी विनिश्चय अध्यक्ष या राज्य प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होंगे।

(5) यदि कोई सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और उसके ऐसे निदेशक के रूप में राज्य प्राधिकरण की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है तो वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उस विषय के संबंध में राज्य प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

अध्याय 9

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुदान।

57. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा, किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, केन्द्रीय प्राधिकरण को उतनी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु ठीक समझे।

केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि।

58. (1) केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और उधार;

(ii) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीसें और प्रभार; और

(iii) ऐसे अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसी सभी धनराशियां जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोजन, प्राधिकरण के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक को पूरा करने और प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके उपगत व्ययों को चुकाने के लिए किया जाएगा।

केन्द्रीय प्राधिकरण के लेखा और संपरीक्षा।

59. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक और प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के हैं और उसे विशिष्टतया पुस्तक, बहियों, लेखा संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे उसकी संपरीक्षा, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और केंद्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

केन्द्रीय प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट।

60. केंद्रीय प्राधिकरण, ऐसे रूप में और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसके वार्षिक लेखाओं और संपरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियों सहित उसकी प्रतियां केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा और केंद्रीय सरकार सदन के दोनों सदनों के समक्ष उन्हें रखवाएगी।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

61. राज्य सरकार, राज्य विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य प्राधिकरण को उतनी धनराशि का अनुदान कर सकेगी जितनी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु ठीक समझे।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि।

62. (1) राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—

(i) राज्य सरकार द्वारा राज्य प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और उधार;

(ii) इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीसें और प्रभार; और

(iii) ऐसे अन्य स्रोतों से राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसी सभी धनराशियां जिनका राज्य सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोजन, राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक और प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके उपगत व्ययों को चुकाने के लिए किया जाएगा।

राज्य प्राधिकरण के लेखा और संपरीक्षा।

63. (1) राज्य प्राधिकरण, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) राज्य प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राज्य प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और राज्य प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक के हैं और उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और राज्य प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट।

64. राज्य प्राधिकरण, ऐसे प्ररूप में और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पूर्ववर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी वार्षिक लेखाओं और संपरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियों सहित उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 10

मानसिक स्वास्थ्य स्थापन

मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण।

65. (1) कोई व्यक्ति या संगठन तब तक कोई मानसिक स्वास्थ्य स्थापन स्थापित नहीं करेगा या नहीं चलाएगा जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत नहीं कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ''प्राधिकरण'' पद से—

(क) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के संबंध में, केन्द्रीय प्राधिकरण;

(ख) राज्य में के मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के संबंध में, [जो खंड (क) में निर्दिष्ट स्वास्थ्य स्थापन नहीं हैं] राज्य प्राधिकरण,

अभिप्रेत है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति या संगठन जो मानसिक स्वास्थ्य स्थापन स्थापित करने या उसे चलाए जाने का प्रस्ताव करता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण में उक्त स्थापन को रजिस्टर करेगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के किसी प्रवर्ग या वर्ग को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा से छूट दे सकेगी।

स्पष्टीकरण—यदि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, तो ऐसा मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, इस वचनबद्धता के साथ कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को, यदि कोई हों, पूरा करता है, ऐसे प्ररूप में, जो प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए, आवेदन के साथ उक्त रजिस्ट्रीकरण की प्रति प्रस्तुत करेगा। 2010 का 23

(3) प्राधिकरण, उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करता है, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परंतु प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट किए जाने की अवधि तक वह मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परंतु यह और कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानक विनिर्दिष्ट किए जाने पर, पहले परंतुक में निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य स्थापन उस तारीख से, जिसको ऐसे मानक विनिर्दिष्ट किए जाते हैं, छह मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण को यह कथन करते हुए कि ऐसा स्थापन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा स्थापन न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, प्राधिकरण ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए और रजिस्ट्रीकरण को जारी रखने के लिए—

(क) प्रसुविधाओं और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम मानकों को पूरा करेगा जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(ख) ऐसे स्थापन में लगाए गए कार्मिकों की ऐसी न्यूनतम अर्हताएं पूरा करेगा जो कि प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विहित की जाएं;

(ग) अभिलेखों के अनुरक्षण और रिपोर्ट करने के लिए ऐसे उपबंधों को पूरा करेगा जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विहित किए जाएं; और

(घ) ऐसी कोई अन्य शर्तें पूरा करेगा जो कि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(5) प्राधिकरण—

(क) मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को ऐसे विभिन्न प्रवर्गों में वर्गीकृत कर सकेगा, जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ख) मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(ग) मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के लिए न्यूनतम मानकों को विनिर्दिष्ट करते समय स्थानीय दशाओं का ध्यान रख सकेगा।

(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा।

मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण, निरीक्षण और जांच के लिए प्रक्रिया।

66. (1) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे प्ररूप में, ऐसे ब्यौरों और फीस, जो विहित की जाए, के साथ प्राधिकरण को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान है, प्राधिकरण के गठन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्राधिकरण को अपने अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) प्राधिकरण, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां और जानकारी अंतर्विष्ट करते हुए एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो विहित की जाए।

(5) प्राधिकरण से अनंतिम रजिस्ट्रीकरण जारी करने से पूर्व कोई जांच करने की अपेक्षा नहीं होगी।

(6) प्राधिकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन की सभी विशिष्टियां मुद्रित प्ररूप में और ऑनलाइन डिजिटल प्ररूप में प्रकाशित करेगा।

(7) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण उसके जारी किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और वह नवीकरणीय होगा।

(8) जहां इस अधिनियम के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विशिष्ट प्रवर्गों के लिए मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं, वहां उस प्रवर्ग में के मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, ऐसे मानकों के अधिसूचित किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर उस प्रवर्ग के लिए आवेदन करेंगे और स्थायी रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेंगे।

(9) प्राधिकरण, मानकों को मुद्रित और ऑनलाइन डिजिटल रूपविधान में प्रकाशित करेगा।

(10) जब तक इस अधिनियम के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के विशिष्ट प्रवर्गों के लिए मानक विनिर्दिष्ट नहीं कर दिए जाते, तब तक प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से पूर्व तीस दिन के भीतर अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(11) यदि आवेदन, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पश्चात् दिया जाता है तो प्राधिकरण ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अनुज्ञात करेगा।

(12) कोई मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, प्राधिकरण को स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(13) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन यह साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि स्थापन ने न्यूनतम विनिर्दिष्ट मानकों को ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पालन किया है।

(14) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन जैसे ही मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुपालन से संबंधित अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, प्राधिकरण वैसे ही ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए आक्षेप फाइल करने के लिए, यदि कोई हों, लोक सूचना देगा और अपनी वेबसाइट पर तीस दिन की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

(15) प्राधिकरण, उपधारा (14) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप, यदि कोई हों, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को, ऐसी अवधि के भीतर जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाए, प्रत्युत्तर देने के लिए संसूचित करेगा।

(16) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को उपधारा (15) के अधीन ऐसे स्थापन को संसूचित आक्षेपों के प्रतिनिर्देश सहित मानकों के अनुपालन का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(17) प्राधिकरण का यह समाधान हो जाने पर कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन रजिस्ट्रीकरण के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को पूरा करता है, ऐसे स्थापन के लिए स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा।

(18) प्राधिकरण इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर—

(क) स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने; या

(ख) आवेदन को उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् नामंजूर करने,

संबंधी आदेश पारित करेगा:

परंतु यदि प्राधिकरण, खंड (ख) के अधीन आवेदन नामंजूर करता है तो वह मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को ऐसी कमियों को, जिनके कारण आवेदन नामंजूर हुआ है, सुधारने के लिए छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि अनुदत्त करेगा और ऐसा स्थापन रजिस्ट्रीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकेगा।

(19) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकरण ने उसके द्वारा प्राप्त किन्हीं आक्षेपों को, मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों को उपधारा (15) के अधीन न तो संसूचित किया है और न ही उपधारा (18) के अधीन कोई आदेश पारित किया है, तो प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया समझा जाएगा और प्राधिकरण स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा।

मानसिक स्वास्थ्य स्थापन की संपरीक्षा।

67. (1) प्राधिकरण प्रत्येक तीन वर्ष में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा (जिसके अन्तर्गत स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि भी हैं) जो विहित किए जाएं, सभी रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों की संपरीक्षा कराएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम मानकों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।

(2) प्राधिकरण, इस धारा के अधीन संपरीक्षा करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा जो विहित की जाए।

(3) प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा कि क्यों न इस अधिनियम के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाए, यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने में असफल रहा है; या

(ख) ऐसा या ऐसे व्यक्ति या इकाइयां, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का प्रबंध सौंपा गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए हैं; या

(ग) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ने मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया है।

(4) प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के

अन्तर्गत आता है, तो किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो वह मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के विरुद्ध कर सकेगा, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश,—

(क) जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है, अपील किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होते ही; और

(ख) जहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की गई है और अपील खारिज हो गई है, खारिज करने के आदेश की तारीख से,

प्रभावी होगा।

(6) प्राधिकरण, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने पर तुरन्त मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को, उसके प्रचालन करने से, यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आसन्न संकट है, अवरुद्ध करेगा।

(7) प्राधिकरण, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा यदि बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए सिफारिश की जाए।

निरीक्षण और जांच।

68. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अननुपालन या उसके किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो विहित किया जाए, निरीक्षण या जांच का आदेश दे सकेगा।

(2) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ऐसे निरीक्षण या जांच में अभ्यावेदन किए जाने का हकदार होगा।

(3) प्राधिकरण, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को संसूचित करेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् वह ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आवश्यक परिवर्तन करने के लिए स्थापन को आदेश दे सकेगा।

(4) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन उपधारा (3) के अधीन किए गए प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करेगा।

(5) यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, उपधारा (3) के अधीन किए गए प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा।

(6) प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यदि यह संदेह करने का कोई कारण है कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के बिना मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का प्रचालन कर रहा है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रवेश और खोजबीन कर सकेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ऐसे निरीक्षण या जांच में सहयोग करेगा और वह ऐसे निरीक्षण या जांच में अभ्यावेदन करने का हकदार होगा।

प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील।

69. रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण से इंकार करने वाले या रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाले प्राधिकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ऐसे आदेश से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य में के उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा:

परंतु उच्च न्यायालय, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के प्रमाणपत्र, फीस और रजिस्टर।

70. (1) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में सहजदृश्य स्थान पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को ऐसी रीति में प्रदर्शित करेगा जिससे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यह दृश्यमान हो।

(2) यदि प्रमाणपत्र नष्ट हो गया है या खो गया है या विकृत्त हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो प्राधिकरण मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के अनुरोध पर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाएं, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय होगा और स्थापन के स्वामित्व के परिवर्तन की दशा में विधिमान्य होगा।

(4) नए स्वामी द्वारा प्राधिकरण को मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के स्वामित्व में हुआ कोई परिवर्तन, स्वामित्व में परिवर्तन की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर संसूचित किया जाएगा।

(5) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के प्रवर्ग में परिवर्तन की दशा में, ऐसा स्थापन प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन उस प्रवर्ग में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए नए सिरे से आवेदन करेगा।

मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रजिस्टर का डिजिटल रूपविधान में रखा जाना।

71. प्राधिकरण, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन रजिस्टर के नाम से ज्ञात डिजिटल प्ररूप में एक रजिस्टर रखेगा और उसमें इस प्रकार अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विशिष्टियां ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, पृथक् रजिस्टर में दर्ज करेगा।

जानकारी प्रदर्शित करने का मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का कर्तव्य।

72. (1) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, स्थापन के भीतर सहजदृश्य स्थान पर (जिसके अन्तर्गत उसकी वेबसाइट भी है) संपर्क ब्यौरे जिनमें संबद्ध बोर्ड का पता और टेलीफोन नम्बर भी है, प्रदर्शित करेगा।

(2) प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, व्यक्ति को संबद्ध बोर्ड को आवेदन करने के लिए आवश्यक प्ररूप उपलब्ध करवाएगा और बोर्ड को भर्ती के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन करने के लिए टेलीफोन काल करने हेतु स्वतन्त्र पहुंच भी प्रदान करेगा।

अध्याय 11

मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड

मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्डों का गठन।

73. (1) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड के नाम से ज्ञात बोर्डों का गठन करेगा।

(2) बोर्डों की अपेक्षित संख्या, स्थान और अधिकारिता, राज्य प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श से विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(3) राज्य प्राधिकरण द्वारा इस धारा के अधीन राज्य में किसी जिले या जिलों के समूहों के लिए बोर्डों के गठन की रीति वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी।

(4) केंद्रीय सरकार उपधारा (3) के अधीन नियम बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात्:—

(क) उस राज्य में जिसमें ऐसे बोर्ड का गठन किया जाना है, बोर्ड का प्रत्याशित या वास्तविक कार्यभार;

(ख) राज्य में विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों की संख्या;

(ग) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या;

(घ) उस जिले की जनसंख्या जिसमें बोर्ड का गठन किया जाना है;

(ङ) उस जिले की भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थिति जिसमें बोर्ड का गठन किया जाना है।

बोर्ड की संरचना।

74. (1) प्रत्येक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) कोई जिला न्यायाधीश या राज्य न्यायिक सेवा का कोई अधिकारी जो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित है या कोई सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ख) उन जिलों के जिनमें बोर्ड गठित किया जाना है, जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त का प्रतिनिधि;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से एक मनश्चिकित्सक होगा और दूसरा कोई चिकित्सा व्यवसायी होगा;

(घ) दो सदस्य, जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति या देख-रेख कर्ता या मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों या देख-रेख कर्ताओं के संगठनों या मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे।

(2) कोई व्यक्ति बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा या उसे राज्य प्राधिकरण द्वारा हटा दिया जाएगा, यदि—

(क) उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ख) उसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ग) उसे सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है; या

(घ) वह ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) वह ऐसी अन्य निरर्हताएं रखता है जो सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य, राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसे त्यागपत्र के स्वीकृत हो जाने पर, रिक्ति धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन प्रवर्ग से संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

75. (1) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे और पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(2) प्रत्येक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय मानदेय और अन्य भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

प्राधिकरण और बोर्ड के विनिश्चय।

76. (1) यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड के विनिश्चय सर्वसम्मति द्वारा किए जाएंगे जिसके न हो सकने पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(2) यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड के सदस्यों की बैठक की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

बोर्ड को आवेदन।

77. (1) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या उसका नामनिर्देशित प्रतिनिधि या रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, ऐसे व्यक्ति की सम्मति से जो किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के किसी विनिश्चय से व्यथित है या इस अधिनियम के अधीन, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, प्रतितोष या समुचित अनुतोष की ईप्सा से बोर्ड को आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसा कोई आवेदन करने के लिए कोई फीस या प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन में आवेदक का नाम, उसके संपर्क ब्यौरे, उसके अधिकारों के उल्लंघन के ब्यौरे, ऐसा मानसिक स्वास्थ्य स्थापन या कोई अन्य स्थान जहां ऐसा उल्लंघन हुआ था और बोर्ड से ईप्सित प्रतितोष, अंतर्विष्ट होंगे।

(4) आपवादिक परिस्थितियों में, बोर्ड, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किसी व्यक्ति से मौखिक रूप में या टेलीफोन द्वारा भी आवेदन स्वीकार कर सकेगा।

बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां होना।

78. बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी। 1860 का 45

बैठकें।

79. बोर्ड की बैठक ऐसे समय और स्थानों पर होगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगा जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियां।

80. (1) बोर्ड, धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए नब्बे दिन की अवधि के भीतर सुनवाई करने और उसका निपटान करने का प्रयास करेगा।

(2) बोर्ड—

(क) धारा 14 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए;

(ख) धारा 87 के अधीन अवयस्क की भर्ती को चुनौती देने वाले;

(ग) धारा 89 की उपधारा (10) या उपधारा (11) के अधीन समर्थित भर्ती को चुनौती देने वाले,

किसी आवेदन का निपटारा ऐसे आवेदनों के प्राप्त होने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(3) बोर्ड, धारा 90 के अधीन समर्थित भर्ती को चुनौती देने वाले किसी आवेदन का निपटारा, आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(4) बोर्ड, उपधारा (3) में निर्दिष्ट आवेदन से भिन्न किसी आवेदन का निपटारा आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर करेगा।

(5) बोर्ड की कार्यवाहियां बंद कमरे में होंगी।

(6) बोर्ड, सामान्यत: सुनवाई का स्थगन नहीं करेगा।

(7) किसी आवेदन के पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेंगे या अपनी पसंद के काउंसेल या प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

(8) बोर्ड, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति से संबंधित किसी आवेदन के संबंध में ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में जहां ऐसा व्यक्ति भर्ती है, सुनवाई करेगा और कार्यवाहियों का संचालन करेगा।

(9) बोर्ड, आवेदन में प्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति और बोर्ड के अध्यक्ष की अनुज्ञा से सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(10) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके मामले में सुनवाई की जा रही है, बोर्ड को, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा करने की वांछा करता है, मौखिक साक्ष्य देने का अधिकार होगा।

(11) बोर्ड को ऐसे अन्य साक्षियों की उपस्थिति और परिसाक्ष्यों की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो वह समुचित समझे।

(12) मामले के पक्षकारों को किसी ऐसे दस्तावेज का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जिसका किसी अन्य पक्षकार द्वारा बोर्ड को किए गए अपने निवेदनों में अवलम्ब लिया गया है और वे उसकी प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे।

(13) बोर्ड, सुनवाई के पूरी होने के पांच दिन के भीतर लिखित में पक्षकारों को अपने विनिश्चय की संसूचना देगा।

(14) कोई सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशिष्ट मामले में अंतर्वलित है, उस मामले के संबंध में सुनवाई के दौरान बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा।

केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार किए जाने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त किया जाना।

81. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, चिकित्सा व्यवसायियों और मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख करने या उपचार का विनिश्चय करने के लिए व्यक्तियों के निर्धारण की प्रक्रियाएं जब आवश्यक हो या उनकी क्षमता अन्तर्विष्ट करते हुए, एक मार्गदर्शक दस्तावेज तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करेगा।

(2) प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी और मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख या उपचार हेतु विनिश्चय करने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता का निर्धारण करते समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट मार्गदर्शक दस्तावेज का पालन करेगा और उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

82. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सभी या कोई विषय सम्मिलित होगा, अर्थात्:—

(क) किसी अग्रिम निदेश को रजिस्टर करना, उसका पुनर्विलोकन, परिवर्तन, उपांतरण करना या उसे रद्द करना;

(ख) किसी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति करना;

(ग) धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के विनिश्चय के विरुद्ध मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति या उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त करना और उसका विनिश्चय करना;

(घ) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी सूचना को प्रकट न करने के संबंध में आवेदन प्राप्त करना और उनका विनिश्चय करना;

(ङ) धारा 28 के अधीन विनिर्दिष्ट देख-रेख और सेवाओं में कमियों के विषय में शिकायतों का न्यायनिर्णयन करना;

(च) कारागार या जेलों का दौरा और निरीक्षण करना और ऐसे कारागार या जेल में स्वास्थ्य सेवाओं के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगना।

(2) जहां बोर्ड या केन्द्रीय प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण के ध्यान में यह लाया जाता है कि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन ने मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया है, वहां बोर्ड या प्राधिकरण निरीक्षण और जांच कर सकेंगे तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्रवाई कर सकेंगे।

(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, प्राधिकरण से परामर्श करके मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा, जो वह समुचित समझे।

(4) यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन प्राधिकरण या बोर्ड के आदेशों या निदेशों का पालन नहीं करता है या जानबूझकर ऐसे आदेश या निदेश की उपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगी और प्राधिकरण स्वयं या बोर्ड की सिफारिशों पर ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रद्द कर सकेगा।

प्राधिकरण या बोर्ड के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील।

83. प्राधिकरण या बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति या स्थापन ऐसे विनिश्चय से तीस दिन की अवधि के भीतर उस राज्य के उच्च न्यायालय में, जिसमें बोर्ड अवस्थित है, अपील कर सकेगा:

परंतु उच्च न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

84. (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण को, ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु उचित समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों का उपयोजन—

(क) केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक को चुकाने के लिए;

(ख) बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक को चुकाने के लिए; और

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण और बोर्डों के, उनके कृत्यों के निर्वहन में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपगत व्यय के लिए,

किया जाएगा।

अध्याय 12

भर्ती, उपचार और छुट्टी

मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में स्वंतत्र रोगी के रूप में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की भर्ती।

85. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ''स्वतंत्र रोगी या कोई स्वतंत्र भर्ती'' मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी ऐसे व्यक्ति की किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती को निर्दिष्ट करती है जो मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार संबधी विनिश्चय करने में सक्षम है या जिसे विनिश्चय करने में अल्पतम सहायता की अपेक्षा है।

(2) जहां तक संभव हो सके, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में सभी भर्तियां स्वतंत्र भर्तियां होंगी सिवाय तब के जब ऐसी दशाएं विद्यमान हों, जो समर्थित भर्ती को अनिवार्य बनाती हैं।

स्वतंत्र भर्ती और उपचार।

86. (1) कोई व्यक्ति, जो अवयस्क नहीं है और जो स्वयं को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त समझता है और उपचार के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती होने की वांछा रखता है, स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक से स्वतंत्र रोगी के रूप में भर्ती होने का अनुरोध कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर यदि चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) कोई व्यक्ति ऐसी गंभीर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है जिससे उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जाना अपेक्षित है;

(ख) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती और उपचार से फायदा होने की संभावना है;

(ग) व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती की प्रकृति और प्रयोजन को समझ गया है और उसने किसी बाध्यता या अनुचित प्रभाव के बिना अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से भर्ती के लिए अनुरोध किया है और वह बिना किसी सहायता के मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार संबंधी विनिश्चय करने में सक्षम है या उसे ऐसे विनिश्चय करने में दूसरों से अल्पतम सहायता की अपेक्षा है,

स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, ऐसे व्यक्ति को स्थापन में भर्ती करेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, प्रस्तावित उपचार का प्रयोजन, प्रकृति और उसके संभावित परिणामों और उपचार को स्वीकार न करने के सम्भावित परिणाम को समझने में असमर्थ है या उसे विनिश्चय करने में लगभग शत-प्रतिशत तक अत्यधिक सहायता की अपेक्षा है, तो यह समझा जाएगा कि वह भर्ती के प्रयोजन को समझने में असमर्थ है और इसलिए उसे इस धारा के अधीन स्वतंत्र रोगी के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा।

(4) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में एक स्वतंत्र रोगी के रूप में भर्ती व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के आदेश और अनुदेशों या उपविधियों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(5) किसी स्वतंत्र रोगी का उसकी सूचित सम्मति के बिना उपचार नहीं किया जाएगा।

(6) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन किसी स्वतंत्र रोगी को उसके स्वयं के अनुरोध पर भर्ती करेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को व्यक्ति की भर्ती के लिए नामनिर्देशित प्रतिनिधि या नातेदार या देख-रेख कर्ता की सम्मति या उपस्थिति की अपेक्षा नहीं होगी।

(7) धारा 88 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई स्वतंत्र रोगी, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की सम्मति के बिना ऐसे स्थापन से स्वयं की छुट्टी करा सकेगा।

अवयस्क की भर्ती।

87. (1) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में किसी अवयस्क को, इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् ही भर्ती किया जाएगा।

(2) अवयस्क का नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अवयस्क की भर्ती के लिए स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी को आवेदन करेगा।

(3) ऐसे किसी आवेदन के प्राप्त होने पर, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक स्थापन में ऐसे अवयस्क को भर्ती कर सकेगा, यदि दो मनश्चिकित्सक या एक मनश्चिकित्सक और एक मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या एक मनश्चिकित्सक और एक चिकित्सा व्यवसायी ने स्वतंत्र रूप से, भर्ती के दिन या पूर्ववर्ती सात दिन में अवयस्क की परीक्षा की है और दोनों का परीक्षा के आधार पर और यदि समुचित हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर स्वतंत्र रूप से यह निष्कर्ष है कि—

(क) अवयस्क ऐसी गंभीर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है जिससे उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जाना अपेक्षित है;

(ख) अवयस्क की इच्छाओं को, यदि अभिनिश्चय हो और इस विनिश्चय पर पहुंचने के लिए कारणों को ध्यान में रखते हुए भर्ती किया जाना उसके स्वास्थ्य, भलाई या सुरक्षा के बारे में, अवयस्क के सर्वोत्तम हित में होगा;

(ग) अवयस्क की मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख की आवश्यकताएं तब तक पूरी नहीं हो सकती हैं जब तक उसे भर्ती न किया जाए; और

(घ) भर्ती के विकल्प के रूप में दर्शित किए गए समुदाय आधारित सभी विकल्प असफल हो गए हैं या वे अवयस्क की आवश्यकताओं के लिए अनुपयुक्त प्रमाणित होते हैं।

(4) इस प्रकार भर्ती किए गए किसी अवयस्क को पृथक् रूप में ऐसे वातावरण में रखा जाएगा जो उसकी आयु और विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हो और उसमें कम से कम वही क्वालिटी होगी जो अन्य चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती किए गए अन्य अवयस्कों को प्रदान की गई है।

(5) नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि या नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त कोई परिचारक, सभी परिस्थितियों में, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अवयस्क की भर्ती की सम्पूर्ण अवधि के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अवयस्क के साथ रहेगा।

(6) ऐसी अवयस्क बालिकाओं की दशा में, जहां नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि पुरुष है, वहां नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि द्वारा महिला परिचारक नियुक्त की जाएगी जो सभी परिस्थितियों में उसकी भर्ती की संपूर्ण अवधि के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अवयस्क बालिका के साथ रहेगी।

(7) अवयस्क का उपचार उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की सूचित सम्मति के साथ किया जाएगा।

(8) यदि इस धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि अवयस्क की भर्ती का और अधिक समर्थन नहीं करता है या मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से अवयस्क की छुट्टी का अनुरोध करता है तो अवयस्क की मानसिक स्वास्थ्य स्थापन द्वारा छुट्टी कर दी जाएगी।

(9) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक द्वारा, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में किसी अवयस्क की भर्ती के बहत्तर घंटे की अवधि के भीतर संबद्ध बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

(10) संबद्ध बोर्ड को, यदि बोर्ड ऐसा करने की वांछा करता है, अवयस्क से मिलने और उससे साक्षात्कार करने या चिकित्सा अभिलेखों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार होगा।

(11) अवयस्क की किसी ऐसी भर्ती के बारे में, जो तीस दिन की अवधि के लिए जारी रहती है, संबद्ध बोर्ड को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(12) संबद्ध बोर्ड, सूचित किए जाने के सात दिन की अवधि के भीतर और प्रत्येक पश्चात्वर्ती तीस दिन पर अवयस्कों की तीस दिन से अधिक जारी सभी भर्तियों का आज्ञापक पुनर्विलोकन करेगा।

(13) संबद्ध बोर्ड, कम से कम अवयस्क के नैदानिक अभिलेखों का पुनर्विलोकन करेगा और यदि आवश्यक हो, अवयस्क का साक्षात्कार कर सकेगा।

स्वतंत्र रोगियों की छुट्टी।

88. (1) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, धारा 86 के अधीन भर्ती किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध पर या यदि व्यक्ति धारा 86 के अधीन अपनी भर्ती से असहमत है तो उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तत्काल स्वतंत्र रोगी के रूप में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से छुट्टी देगा।

(2) जहां धारा 87 के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में किसी अवयस्क को भर्ती किया गया है और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में उसके ठहरने के दौरान वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी उसे धारा 86 के अधीन एक स्वतंत्र रोगी के रूप में वर्गीकृत करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध जो ऐसे स्वतंत्र रोगियों को लागू होते हैं जो अवयस्क नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की यह राय है कि —

(क) ऐसा व्यक्ति अपने विनिश्चयों की प्रकृति और प्रयोजनों को समझने में असमर्थ है और उसे उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से महत्वपूर्ण या अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है; या

(ख) उसने हाल ही में स्वयं को शारीरिक अपहानि कारित करने की धमकी दी है या देने का प्रयास किया है या वह धमकी दे रहा है या देने का प्रयास कर रहा है; या

(ग) उसने हाल ही में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हिंसात्मक व्यवहार किया है या हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाने के लिए भयभीत किया है या कर रहा है; या

(घ) उसने हाल ही में स्वयं की देख-रेख करने में उस सीमा तक असमर्थता दर्शित की है या कर रहा है, जिससे व्यक्ति द्वारा स्वयं को अपहानि होने का जोखिम है,

तो कोई मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक धारा 86 के अधीन स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में भर्ती किसी व्यक्ति की छुट्टी को चौबीस घंटे की अवधि के लिए रोक सकेगा जिससे धारा 89 के अधीन भर्ती के लिए आवश्यक निर्धारण अनुज्ञात किया जा सके।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति को धारा 89 के अधीन सहायता प्राप्त रोगी के रूप में भर्ती किया जाएगा या उसे चौबीस घंटे की अवधि के भीतर या धारा 89 के अधीन किसी सहायता प्राप्त रोगी की भर्ती के लिए निर्धारणों के पूरा होने पर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, स्थापन से छुट्टी दे दी जाएगी।

मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में तीस दिन तक अत्यधिक सहायता की आवश्यकताओं वाले मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती और उपचार (समर्थित भर्ती)।

89. (1) इस धारा के अधीन, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि द्वारा आवेदन के आधार पर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को स्थापन में भर्ती करेगा, यदि—

(क) एक मनश्चिकित्सक और अन्य मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या चिकित्सा व्यवसायी द्वारा भर्ती के दिन या पूर्ववर्ती सात दिन में स्वतंत्र रूप से व्यक्ति की जांच की गई है और दोनों का, जांच के आधार पर, स्वतंत्र रूप से और, यदि समुचित हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह निष्कर्ष है कि व्यक्ति को ऐसी गंभीर मानसिक रुग्णता है कि ऐसे व्यक्ति ने—

(i) हाल ही में स्वयं को शारीरिक अपहानि कारित करने की धमकी दी है या देने का प्रयास किया है या वह धमकी दे रहा है या देने का प्रयास कर रहा है; या

(ii) हाल ही में अन्य व्यक्ति के प्रति हिंसात्मक व्यवहार किया है या हिंसात्मक व्यवहार कर रहा है या किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक अपहानि पहुंचाने के लिए भयभीत किया है या कर रहा है; या

(iii) हाल ही में उसने स्वयं की देख-रेख करने में उस सीमा तक असमर्थता दर्शित की है या कर रहा है, जिससे व्यक्ति द्वारा स्वयं को अपहानि होने का जोखिम है;

(ख) यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या चिकित्सा व्यवसायी, अग्रिम निदेश पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई हो, यह प्रमाणित करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जाना ही सम्भावित न्यूनतम निर्बंधनात्मक देख-रेख विकल्प है; और

(ग) व्यक्ति एक स्वतंत्र रोगी के रूप में देख-रेख और उपचार प्राप्त करने के लिए अपात्र है क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार संबंधी विनिश्चय करने में असमर्थ है और उसे विनिश्चय करने के लिए उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है।

(2) इस धारा के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति की भर्ती तीस दिन की अवधि तक सीमित होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन वर्णित अवधि की समाप्ति पर या पूर्वतर, यदि व्यक्ति उपधारा (1) में यथाकथित भर्ती के मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो इस धारा के अधीन रोगी स्थापन में और अधिक नहीं रहेगा।

(4) कोई व्यक्ति उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के अवसान पर धारा 90 के उपबंधों के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती रह सकेगा।

(5) यदि धारा 90 के अधीन शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं तो व्यक्ति धारा 86 के अधीन एक स्वतंत्र रोगी के रूप में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में बना रह सकेगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसकी भर्ती की प्रास्थिति, जिसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से उसकी छुट्टी का अधिकार भी है, के बारे में सूचित करेगा।

(6) इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को,—

(क) कोई अग्रिम निदेश, यदि कोई हो; या

(ख) उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रोगी की, उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की सहायता से सूचित सहमति,

पर विचार किए जाने के पश्चात् उपचार प्रदान किया जाएगा।

(7) यदि इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति अपने उपचार के संबंध में विनिश्चय करने के लिए अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से शत-प्रतिशत सहायता की अपेक्षा करता है तो नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि अस्थायी रूप से ऐसे व्यक्ति की ओर से उपचार योजना पर सहमति दे सकेगा।

(8) उस दशा में, जहां सहमति उपधारा (7) के अधीन दी गई है, वहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक ऐसी सहमति को चिकित्सा अभिलेख में अभिलिखित करेगा और प्रत्येक सात दिन में रोगी की सहमति देने की क्षमता का पुनर्विलोकन करेगा।

(9) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक सम्बद्ध बोर्ड को,—

(क) किसी महिला या किसी अवयस्क की भर्ती के तीन दिन के भीतर;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की जो महिला या अवयस्क नहीं है भर्ती के सात दिन के भीतर,

रिपोर्ट करेगा।

(10) इस धारा के अधीन भर्ती कोई व्यक्ति या उसका नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि या किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, व्यक्ति की सम्मति से सम्बद्ध बोर्ड को इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में व्यक्ति को भर्ती करने संबंधी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(11) संबद्ध बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन के लिए अनुरोध की प्राप्ति के सात दिन के भीतर उस पर अपने निष्कर्ष देगा जो सभी संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकर होंगे।

(12) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस धारा के अधीन मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की स्थिति का लगातार पुनर्विलोकन करे।

(13) यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तें लागू नहीं होती हैं तो वह इस धारा के अधीन भर्ती को समाप्त कर देगा और तद्नुसार व्यक्ति और उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को सूचित करेगा।

(14) उपधारा (13) में निर्दिष्ट शर्तों का लागू नहीं होना मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को स्वतंत्र रोगी के रूप में बने रहने से निवारित नहीं करेगा।

(15) इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को छुट्टी दिए जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति को उसकी छुट्टी की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर इस धारा के अधीन पुनः भर्ती नहीं किया जाएगा।

(16) यदि उपधारा (15) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को उस उपधारा में निर्दिष्ट सात दिन की अवधि के भीतर पुनः भर्ती किए जाने की अपेक्षा है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 90 के उपबंधों के अनुसार पुनः भर्ती किया गया माना जाएगा।

(17) यदि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की यह राय है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को तीस दिन की अवधि के पश्चात् और उपचार की अपेक्षा है या संभाव्यता है कि और उपचार अपेक्षित है तो, ऐसा चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, तीस दिन से अधिक के लिए उसकी भर्ती हेतु दो मनश्चिकित्सकों द्वारा जांच कराए जाने के लिए मामले को निर्दिष्ट करने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा।

मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में तीस दिन की अवधि से अधिक अत्यधिक सहायता की आवश्यकताओं वाले मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती और उपचार (तीस दिन से अधिक समर्थित भर्ती)।

90. (1) यदि धारा 89 के अधीन भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को तीस दिन से अधिक सतत् भर्ती और उपचार की अपेक्षा है या उस धारा की उपधारा (15) के अधीन छुट्टी प्राप्त मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को ऐसी छुट्टी के सात दिन के भीतर पुनः भर्ती की आवश्यकता है, तो उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार भर्ती किया जाएगा।

(2) किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के आवेदन पर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति की भर्ती जारी रखेगा, यदि—

(क) दो मनश्चिकित्सकों ने पूर्ववर्ती सात दिन में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की जांच की है और जांच के आधार पर और अन्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर दोनों का स्वतंत्र रूप से यह निष्कर्ष है कि व्यक्ति को ऐसी गंभीर मानसिक रुग्णता है कि उस व्यक्ति ने—

(i) कुछ समय से सतत रूप से स्वयं को शारीरिक अपहानि पहुंचाने की धमकी दी है या देने का प्रयास किया है; या

(ii) कुछ समय से सतत रूप से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति हिंसक व्यवहार किया है या कुछ समय से सतत रूप से किसी अन्य व्यक्ति को, उसके द्वारा शारीरिक अपहानि पहुंचाने के लिए भयभीत किया है; या

(iii) कुछ समय से सतत रूप से स्वयं की देख-रेख करने में उस सीमा तक असमर्थता दर्शित की है कि जिससे व्यक्ति द्वारा स्वयं को अपहानि होने का जोखिम है;

(ख) दोनों मनश्चिकित्सक किसी अग्रिम निदेश, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह प्रमाणित करते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जाना ही, देख-रेख का न्यूनतम निर्बंधनात्मक विकल्प है;

(ग) व्यक्ति एक स्वतंत्र रोगी के रूप में देख-रेख और उपचार प्राप्त करने के लिए इसलिए अपात्र बना रहता है क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार का विनिश्चय नहीं कर सकता है तथा उसे अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से विनिश्चय करने के लिए अत्यधिक सहायता की आवश्यकता है।

(3) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक इस धारा के अधीन सभी भर्ती या पुन: भर्ती की रिपोर्ट, ऐसी भर्ती या पुन: भर्ती किए जाने के सात दिन के भीतर संबद्ध बोर्ड को देगा।

(4) बोर्ड, इस धारा के अधीन मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की अंतिम भर्ती या पुन: भर्ती की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी भर्ती या पुन: भर्ती की अनुज्ञा देगा या ऐसे व्यक्ति की छुट्टी का आदेश करेगा।

(5) बोर्ड, उपधारा (4) के अधीन ऐसे व्यक्ति की भर्ती या पुन: भर्ती को अनुज्ञात करते समय या उसकी छुट्टी का आदेश करते समय—

(क) ऐसे व्यक्ति की संस्थागत देख-रेख की आवश्यकता;

(ख) क्या ऐसी देख-रेख समुदाय में अल्प-निर्बंधनात्मक स्थितियों के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है,

की जांच करेगा।

(6) इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की पुन: भर्ती किए जाने या भर्ती को जारी रखने संबंधी आवेदन के सभी मामलों में बोर्ड, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति के उपचार का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक से समुदाय आधारित उपचार की योजना और इस योजना को पूरा करने में की गई प्रगति या की जाने वाली संभावित प्रगति की योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(7) उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्ति को उस मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में बने रहने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिसमें उसे भर्ती किया गया था या ऐसे स्थापन में उसकी पुन: भर्ती केवल ऐसे स्थान पर, जहां ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, समुदाय आधारित सेवाओं के न होने के आधार पर की गई थी।

(8) इस धारा के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति की भर्ती पहली बार नब्बे दिन की अवधि के लिए सीमित होगी।

(9) इस धारा के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति की नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए भर्ती को पहली बार एक सौ बीस दिन की अवधि के लिए और तत्पश्चात् उपधारा (1) से उपधारा (7) के उपबंधों का पालन करने के पश्चात् प्रत्येक समय एक सौ अस्सी दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा।

(10) यदि बोर्ड उपधारा (9) के अधीन या उपधारा (9) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर भर्ती करने या उसे जारी रखने या पुन: भर्ती करने की अनुज्ञा देने से इंकार करता है या उससे पूर्व यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भर्ती के मानदंड के भीतर नहीं आता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से छुट्टी दे दी जाएगी।

(11) इस धारा के अधीन मानसिक रुग्णता से ग्रस्त भर्ती प्रत्येक व्यक्ति को,—

(क) कोई अग्रिम निदेश; या

(ख) उपधारा (12) के अधीन रहते हुए उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की सहायता से व्यक्ति की संसूचित सहमति,

पर विचार किए जाने के पश्चात् उपचार प्रदान किया जाएगा।

(12) यदि इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति अपने उपचार के संबंध में विनिश्चय करने के लिए अपने नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से शत-प्रतिशत सहायता की अपेक्षा करता है तो नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति की ओर से उसकी उपचार योजना पर अस्थायी रूप से सहमति दे सकेगा।

(13) उस दशा में जहां उपधारा (12) के अधीन सहमति दी गई है, वहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक ऐसी सहमति को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त उस व्यक्ति के चिकित्सा अभिलेखों में अभिलिखित करेगा और ऐसे व्यक्ति की सहमति देने की क्षमता का प्रत्येक पंद्रह दिन की समाप्ति पर पुनर्विलोकन करेगा।

(14) इस धारा के अधीन भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या उसका नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि या किसी रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, व्यक्ति की सम्मति से संबद्ध बोर्ड को, इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में व्यक्ति को भर्ती करने संबंधी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय सभी पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

(15) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि मानसिक स्वास्थ्य के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन शर्तें लागू नहीं होती हैं तो ऐसा चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, ऐसे व्यक्ति की ऐसे स्थापन से छुट्टी कर देगा और तद्नुसार उस व्यक्ति को तथा उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को सूचित करेगा।

(16) उपधारा (15) में निर्दिष्ट मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति एक स्वतंत्र रोगी के रूप में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में बना रह सकेगा।

अनुपस्थिति की इजाजत।

91. मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 के अधीन भर्ती, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि के लिए जो ऐसा चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक आवश्यक समझे, स्थापन से अनुपस्थित रहने की इजाजत दे सकेगा।

इजाजत या छुट्टी के बिना अनुपस्थिति।

92. यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 103 लागू होती है मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से इजाजत या छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के अनुरोध पर पुलिस अधिकारी द्वारा संरक्षा में ले लिया जाएगा और उसे तुरंत मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में वापस भेज दिया जाएगा।

मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों का एक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से दूसरे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को स्थानांतरण।

93. (1) यथास्थिति, धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 या धारा 103 के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किसी व्यक्ति को, बोर्ड के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से ले जाया जा सकेगा और राज्य के भीतर किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थापन या केन्द्रीय प्राधिकरण की सहमति से किसी अन्य राज्य के किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती किया जा सकेगा:

परंतु इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में दिए गए किसी आदेश के अधीन किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति और उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को अंतरण की संसूचना और उसके कारण नहीं बता दिए गए हों।

(2) राज्य सरकार, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी बंदी को उस स्थान से जहां तत्समय उसे निरुद्ध किया गया है, किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थापन या राज्य में सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान में या किसी अन्य राज्य में उस अन्य राज्य की सरकार की सहमति से किसी अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थापन या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान में ले जाए जाने का निदेश देने वाला ऐसा साधारण या विशेष आदेश कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

आपात उपचार।

94. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को किसी स्वास्थ्य स्थापन में या समुदाय में, कोई चिकित्सा उपचार, जिसके अंतर्गत मानसिक रुग्णता के लिए उपचार भी है, नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की, जहां नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि उपलब्ध है, सूचित सहमति के अधीन रहते हुए और वहां उपलब्ध कराया जा सकेगा, जहां वह,—

(क) व्यक्ति की मृत्यु या उसके स्वास्थ्य की अनुत्क्रमणीय क्षति को; या

(ख) व्यक्ति द्वारा स्वयं को या अन्य व्यक्तियों को गंभीर क्षति पहुंचाने से; या

(ग) व्यक्ति को, जहां उस व्यक्ति की मानसिक रुग्णता से प्रत्यक्षत: उत्पन्न ऐसे व्यवहार का विश्वास किया जाता है, उसकी स्वयं की या अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाने से,

रोकने के लिए तुरंत आवश्यक है।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''आपात उपचार'' में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का निर्धारण के लिए किसी नजदीकी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में परिवहन सम्मिलित है।

(2) इस धारा की कोई बात किसी चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति को ऐसा चिकित्सा उपचार देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगी, जो उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट आपात उपचार से प्रत्यक्षत: संबंधित नहीं है।

(3) इस धारा की कोई बात किसी चिकित्सा अधिकारी या मनश्चिकित्सक को उपचार के रूप में वैद्युत-संक्षोभजनक चिकित्सा के उपयोग के लिए अनुज्ञात नहीं करेगी।

(4) इस धारा में निर्दिष्ट आपात उपचार बहत्तर घंटे तक या मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में निर्धारण किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सीमित होगा:

परंतु यह कि समुचित सरकार द्वारा घोषित आपदा या आपात स्थिति के दौरान इस उपधारा में निर्दिष्ट आपात उपचार की अवधि को सात दिन तक विस्तारित किया जा सकेगा।

प्रतिषिद्ध प्रक्रियाएं।

95. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति पर निम्नलिखित उपचारों का उपयोग नहीं किया जाएगा—

(क) मांसपेशी शिथिल किए बिना और बेहोशी का उपयोग किए बिना वैद्युत-संक्षोभजनक चिकित्सा;

(ख) अवयस्कों की वैद्युत-संक्षोभजनक चिकित्सा;

(ग) पुरुषों या स्त्रियों का बन्ध्याकरण, जब ऐसा बन्ध्याकरण मानसिक रुग्णता के उपचार के रूप में आशयित हो;

(घ) किसी रीति या रूप में, चाहे जो भी हो, जंजीर से बांधना।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अवयस्क के उपचार के भारसाधक मनश्चिकित्सक की राय में वैद्युत-संक्षोभजनक चिकित्सा अपेक्षित है तो ऐसा उपचार संरक्षक की सूचित सहमति और संबंधित बोर्ड की पूर्व अनुमति से किया जा सकेगा।

मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की मनोशल्य चिकित्सा पर निर्बंधन।

96. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मानसिक रुग्णता के उपचार के रूप में मनोशल्य चिकित्सा का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) उस व्यक्ति की, जिस पर शल्य चिकित्सा की जानी है, सूचित सहमति; और

(ख) संबंधित बोर्ड से शल्य चिकित्सा करने का अनुमोदन,

प्राप्त न कर लिया गया हो।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण इस धारा के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकेगा।

अवरोध और एकान्तता।

97. (1) मानसिक रुग्णताग्रस्त किसी व्यक्ति को एकान्तता या एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा और जहां आवश्यक हो, भौतिक अवरोध का केवल तभी उपयोग किया जा सकेगा जब,—

(क) संबद्ध व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों की आसन्न और तत्काल अपहानि को रोकने का केवल एकमात्र साधन यही है;

(ख) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में व्यक्ति के उपचार के भारसाधक मनश्चिकित्सक द्वारा इसे प्राधिकृत किया गया है।

(2) भौतिक अवरोध का उपयोग उस अवधि से अधिक के लिए नहीं किया जाएगा जो महत्वपूर्ण अपहानि के तत्काल जोखिम के निवारण के लिए आत्यंतिक रूप से आवश्यक हो।

(3) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि अवरोध की पद्धति, प्रकृति, उसके अधिरोपण की न्यायोचितता और अवरोध की अवधि को व्यक्ति के चिकित्सा टिप्पणों में तुरंत अभिलिखित किया जाए।

(4) किसी भी परिस्थिति में अवरोध का उपयोग दंड या भयोपरतिकारी के रूप में नहीं किया जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन अवरोध का उपयोग ऐसे स्थापन में केवल कर्मचारिवृंद की कमी के आधार पर नहीं करेगा।

(5) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को चौबीस घंटे की अवधि के भीतर अवरोध के प्रत्येक प्रक्रम के बारे में सूचित किया जाएगा।

(6) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे अवरुद्ध किया गया है, ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां वह स्वयं को या अन्य व्यक्तियों को कोई क्षति न पहुंचा सके और उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के चिकित्सा कार्मिक के नियमित निरंतर पर्यवेक्षण में रखा जाएगा।

(7) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन, संबंधित बोर्ड को मासिक आधार पर भेजी जाने वाली रिपोर्ट में अवरोध के सभी प्रक्रमों को सम्मिलित करेगा।

(8) केन्द्रीय प्राधिकरण इस धारा के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकेगा।

(9) बोर्ड, किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को अवरोध लागू करने से प्रविरत रहने का आदेश कर सकेगा, यदि बोर्ड की यह राय है कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन सतत रूप से और जानबूझकर इस धारा के उपबंधों की अवज्ञा कर रहा है।

छुट्टी की योजना।

98. (1) जब कभी किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में मानसिक रुग्णता के उपचाराधीन किसी व्यक्ति को समुदाय में या किसी भिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के लिए छुट्टी दी जानी है या जहां किसी नए मनश्चिकित्सक ने व्यक्ति की देख-रेख और उपचार के उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी ले ली है, वहां वह मनश्चिकित्सक, जो व्यक्ति की देख-रेख और उपचार के लिए जिम्मेदार है, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति से नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, कुटुंब के ऐसे सदस्य या देख-रेख कर्ता से, जिसके पास मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति अस्पताल से छुट्टी के पश्चात् निवास करेगा, भविष्य में व्यक्ति की देख-रेख और उपचार के लिए जिम्मेदार मनश्चिकित्सक से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जो समुचित हों, इस बारे में परामर्श करेगा कि उस व्यक्ति के लिए कौन-सा उपचार या सेवाएं समुचित होंगी।

(2) व्यक्ति की देख-रेख के लिए जिम्मेदार मनश्चिकित्सक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के परामर्श से यह सुनिश्चित करेगा कि इस बारे में एक योजना विकसित की जाए कि मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को कैसा उपचार या सेवाएं दी जाएंगी।

(3) इस धारा के अधीन छुट्टी की योजना किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से छुट्टी किए गए सभी व्यक्तियों को लागू होगी।

अनुसंधान।

99. (1) अनुसंधान करने वाले सभी वृत्तिक, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त सभी व्यक्तियों से किसी ऐसे अनुसंधान में भाग लेने के लिए जिसमें व्यक्ति का साक्षात्कार या मनोवैज्ञानिक, भौतिक, रासायनिक या औषधीय मध्यक्षेप अंतर्वलित हैं, स्वतंत्र और सूचित सहमति प्राप्त करेंगे।

(2) ऐसे किसी अनुसंधान की दशा में, जिसमें, किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो स्वतंत्र और सूचित सहमति देने में असमर्थ है किन्तु जो ऐसे अनुसंधान में भाग लेने का प्रतिरोध नहीं करता है, कोई मनोवैज्ञानिक, भौतिक, रासायनिक या औषधीय मध्यक्षेप अंतर्वलित हैं, ऐसा अनुसंधान करने की अनुज्ञा संबंधित राज्य प्राधिकरण से अभिप्राप्त की जाएगी।

(3) राज्य प्राधिकरण, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि से अभिप्राप्त सूचित सहमति के आधार पर अनुसंधान को मंजूर कर सकेगा, यदि राज्य प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) प्रस्तावित अनुसंधान उन व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता है जो स्वतंत्र और सूचित सहमति देने में समर्थ हैं;

(ख) प्रस्तावित अनुसंधान व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रही जनसंख्या के मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए आवश्यक है;

(ग) प्रस्तावित अनुसंधान का प्रयोजन मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं से संगत ज्ञान अभिप्राप्त करना है;

(घ) प्रस्तावित अनुसंधान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के हितों का पूर्ण प्रकटन किया गया है और उसमें हितों का द्वंद्व अंतर्वलित नहीं है; और

(ङ) प्रस्तावित अनुसंधान में ऐसा अनुसंधान करने में सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों और संबंधित विनियमों का पालन किया गया है तथा जहां ऐसा अनुसंधान किया जाना है वहां की नीति विषयक समिति से नैतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(4) इस धारा के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति के, जो सूचित सहमति देने में असमर्थ है, स्वास्थ्य संबंधी दशा के टिप्पणों के अध्ययन पर आधारित अनुसंधान को तब तक निर्बंधित नहीं करेंगे, जब तक व्यक्तियों के नाम की अनामिकता सुरक्षित है।

(5) मानसिक रुग्णताग्रस्त व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि, जिसने इस अधिनियम के अधीन किसी अनुसंधान में भाग लेने की सूचित सहमति प्रदान की है, अनुसंधान की अवधि के दौरान किसी भी समय सहमति को वापस ले सकेगा।

अध्याय 13

अन्य अभिकरणों के उत्तरदायित्व

मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की बाबत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य।

100. (1) किसी पुलिस थाने के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(क) पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर स्वच्छंद विचरण करते पाए जाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षा में ले जिसके प्रति अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है और स्वयं की देख-रेख करने में असमर्थ है; या

(ख) पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षा में ले जिसके प्रति अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति मानसिक रुग्णता के कारण स्वयं या अन्य व्यक्तियों के लिए जोखिम है।

(2) किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस व्यक्ति को, जिसे उपधारा (1) के अधीन संरक्षा में लिया गया है या उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को, यदि अधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति को उन आधारों को समझने में कठिनाई होगी, ऐसी संरक्षा में उसे लिए जाने के आधार सूचित करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन संरक्षा में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को, यथासंभव शीघ्र किन्तु संरक्षा में लिए जाने के चौबीस घंटे के भीतर व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए नजदीक के लोक स्वास्थ्य स्थापन में ले जाया जाएगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन संरक्षा में लिए गए किसी भी व्यक्ति को किन्हीं भी परिस्थितियों में पुलिस लॉक अप या कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा।

(5) लोक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी, व्यक्ति का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होगा और मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की आवश्यकताओं पर विशिष्ट परिस्थितियों में यथा लागू इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ध्यान दिया जाएगा।

(6) लोक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का, यदि व्यक्ति के निर्धारण पर यह निष्कर्ष है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रकृति या डिग्री की कोई मानसिक रुग्णता नहीं है जिसमें उसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती करना अपेक्षित है, वह अपने निर्धारण की सूचना उस पुलिस अधिकारी को देगा जिसने उस व्यक्ति को संरक्षा में लिया था और पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को उसके निवास स्थान पर या बेघर व्यक्तियों की दशा में बेघर व्यक्तियों के किसी सरकारी स्थापन में ले जाएगा।

(7) मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो बेघर है या जो समुदाय में स्वच्छंद विचरण करते हुए पाया जाता है, गुमशुदा व्यक्ति की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करवाई जाएगी और थाना अधिकारी का ऐसे व्यक्ति के कुटुंब का पता लगाने का और उसके कुटुंब को व्यक्ति के ठिकाने के बारे में सूचित करने का कर्तव्य होगा।

प्राइवेट निवास स्थान में के मानसिक रुग्णता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति, जिससे बुरा बर्ताव किया जाता है या जिसकी उपेक्षा की जाती है, की मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट।

101. (1) पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर निवास करने वाला कोई व्यक्ति मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है और उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है या उपेक्षा की जाती है, तुरंत ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति निवास करता है, इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे व्यक्ति की देख-रेख करने के लिए जिम्मेदार है उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है या उसकी उपेक्षा कर रहा है इस तथ्य की रिपोर्ट उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को करेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति निवास करता है।

(3) यदि मजिस्ट्रेट के पास पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है या उसकी उपेक्षा की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करा सकेगा और धारा 102 के उपबंधों के अनुसार कोई आदेश पारित कर सकेगा।

मजिस्ट्रेट द्वारा मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में प्रवहण या भर्ती करना।

102. (1) जब मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे मानसिक रुग्णता हो सकती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट,—

(क) लिखित आदेश कर सकेगा कि व्यक्ति को निर्धारण और उपचार के लिए किसी लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में ले जाया जाए, यदि आवश्यक हो और मानसिक स्वास्थ्य स्थापन उस व्यक्ति के साथ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यवहार करेगा; या

(ख) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को, उस व्यक्ति का निर्धारण करने और आवश्यक उपचार, यदि कोई हो, की योजना बनाने हेतु समर्थ बनाने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में, ऐसी अवधि के लिए जो दस दिनों से अधिक की नहीं होगी, मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति की भर्ती को प्राधिकृत करने के लिए लिखित आदेश कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण की अवधि के पूरा होने पर, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और व्यक्ति के साथ इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बंदी।

103. (1) बंदी अधिनियम, 1900 की धारा 30 के अधीन या वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 144 के अधीन या सेना अधिनियम, 1950 की धारा 145 के अधीन या नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 143 या धारा 144 के अधीन या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 330 या धारा 335 के अधीन कोई आदेश जिसमें मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी बंदी को किसी उपयुक्त मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में भर्ती करने का निदेश दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्थापन में, जिसमें ऐसे व्यक्ति को उसमें देख-रेख और उपचार के लिए विधिपूर्वक अंतरित किया जा सकता है, भर्ती किए जाने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा: 1900 का 3 1950 का 45 1950 का 46 1957 का 62 1974 का 2

परंतु कारागार के चिकित्सा खंड में के मनश्चिकित्सीय वार्ड में मानसिक रुग्णता ग्रस्त किसी बंदी का अंतरण, इस धारा के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा:

परंतु यह और कि जहां चिकित्सा खंड में मनश्चिकित्सीय वार्ड का कोई उपबंध नहीं है, वहां बंदी को बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अंतरित किया जा सकेगा।

(2) ऐसी पद्धति, रीतियां और प्रक्रिया, जिनके द्वारा इस धारा के अधीन किसी बंदी के अंतरण को प्रभावी किया जाएगा, वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) किसी कारागार या जेल का चिकित्सा अधिकारी, संबंधित बोर्ड को यह प्रमाणित करते हुए कि कारागार या जेल में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त कोई बंदी नहीं है, एक त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेगा।

(4) बोर्ड, कारागार या जेल का दौरा कर सकेगा और चिकित्सा अधिकारी से यह पूछ सकेगा कि मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी बंदी, यदि कोई है, को कारागार या जेल में क्यों रखा गया है और उसे उपचार के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अंतरित क्यों नहीं किया गया है।

(5) किसी ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निरुद्ध किया गया है, प्रत्येक छह मास में एक बार ऐसे प्राधिकारी को, जिसके आदेश के अधीन ऐसा व्यक्ति निरुद्ध किया गया है, उस व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट देगा।

(6) समुचित सरकार, प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में कम से कम एक कारागार के चिकित्सा खंड में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन की स्थापना करेगी और मानसिक रुग्णता से ग्रस्त बंदियों को साधारणतया उक्त मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में निर्दिष्ट किया जाएगा और उनमें उनकी देख-रेख की जाएगी।

(7) उपधारा (5) के अधीन स्थापित मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और वह ऐसे मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा, जो विहित किए जाएं।

अभिरक्षणीय संस्थाओं में व्यक्ति।

104. (1) यदि राज्य द्वारा चलाई जा रही अभिरक्षणीय संस्था (जिसके अंतर्गत भिक्षुक गृह, अनाथालय, महिला संरक्षण गृह और बालक गृह भी हैं) के भारसाधक व्यक्ति को यह प्रतीत होता है कि संस्था का कोई निवासी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त है या उसके मानसिक रुग्णता से ग्रस्त होने की संभावना है तो वह संस्था के ऐसे निवासी को निर्धारण और उपचार के लिए, जैसा कि आवश्यक हो, समुचित सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्तपोषित नजदीकी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को ले जाएगा।

(2) मानसिक स्वास्थ्य स्थापन का भारसाधक चिकित्सा अधिकारी, मानसिक रुग्णताग्रस्त व्यक्ति के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपेक्षित उपचार का विनिश्चय इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

न्यायिक प्रक्रिया में मानसिक रुग्णता का प्रश्न।

105. यदि किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष किसी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मानसिक रुग्णता का सबूत प्रस्तुत किया जाता है और अन्य पक्षकार द्वारा उसे चुनौती दी जाती है तो न्यायालय उसे और संवीक्षा के लिए सम्बद्ध बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा और बोर्ड, स्वयं या विशेषज्ञों की समिति द्वारा उस व्यक्ति का जिसके बारे में मानसिक रुग्णता से ग्रस्त होना अभिकथित है, परीक्षण करने के पश्चात् न्यायालय को अपनी राय देगा।

अध्याय 14

वृत्तिकों द्वारा उनकी वृत्ति के अधीन न आने वाले कृत्यों का निर्वहन करने पर निर्बंधन

वृत्तिकों द्वारा उनकी वृत्ति के अधीन न आने वाले कृत्यों का निर्वहन करने पर निर्बंधन।

106. कोई मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या चिकित्सा व्यवसायी ऐसे किसी कृत्य का निर्वहन नहीं करेगा या ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिसे इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है या ऐसी किसी औषध या उपचार को विनिर्दिष्ट या सिफारिश नहीं करेगा जो उसकी वृत्ति के क्षेत्र द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

अध्याय 15

अपराध और शास्तियां

इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में मानसिक स्वास्थ्य स्थापन स्थापित करने या चलाए जाने के लिए शास्तियां।

107. (1) जो कोई रजिस्ट्रीकरण के बिना कोई मानसिक स्वास्थ्य स्थापन चलाएगा, वह ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो पहले उल्लंघन के लिए पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी शास्ति का, जो पचास हजार रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो दूसरे उल्लंघन के लिए दो लाख रुपए तक की हो सकेगी या ऐसी शास्ति का, जो दो लाख रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(2) जो कोई जानबूझकर किसी ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक की हैसियत में सेवा करेगा, वह शास्ति का, जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी, दायी होगा।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस धारा के अधीन शास्ति का न्यायनिर्णयन राज्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(4) जो कोई शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहेगा, राज्य प्राधिकरण, उस जिले के कलक्टर को, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कोई संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार या वृत्ति चलाता है या जहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन अवस्थित है, वह आदेश अग्रेषित कर सकेगा और कलक्टर, ऐसे व्यक्तियों या मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को ऐसे वसूल करेगा मानो वह भू–राजस्व की बकाया हो।

(5) इस अध्याय के अधीन शास्तियों के रूप में वसूली गई सभी राशियों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।

अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड।

108. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह पहले उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से और किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

109. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 16

प्रकीर्ण

जानकारी मंगाने की शक्ति।

110. (1) केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण या बोर्ड से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा आवधिक रूप से या जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड द्वारा संपादित उसके कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उस सरकार को समर्थ बनाने हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण या बोर्ड से साधारण या विशेष आदेश द्वारा आवधिक रूप से या जब भी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, राज्य प्राधिकरण या आयोग या बोर्ड द्वारा संपादित कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उस सरकार को समर्थ बनाने हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

111. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के निर्वहन में, उन विषयों से भिन्न, जो तकनीकी और प्रशासनिक विषयों से संबंधित हैं, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर लिखित में उसे दे:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने से पहले प्राधिकरण को, यथासाध्य, उसके विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस संबंध में, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति।

112. (1) यदि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि,—

(क) केन्द्रीय प्राधिकरण के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण वह इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन करने या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

(ख) केन्द्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन या कर्तव्यों के पालन में बार-बार व्यतिक्रमी रहा है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से केन्द्रीय प्राधिकरण को छह माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व, केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगी और केन्द्रीय प्राधिकरण के अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिक्रमण की अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिक्रमण की तारीख से ही उस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे;

(ख) सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा, उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण का पुनर्गठन होने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा;

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्तियां उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व केन्द्रीय प्राधिकरण का, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नए सिरे से नियुक्ति करके पुनर्गठन करेगी और उस दशा में ऐसे व्यक्ति को, जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद खाली किया है, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई कोई कार्यवाही और ऐसी कार्यवाही किए जाने की परिस्थितियों की एक पूरी रिपोर्ट, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

राज्य सरकार की राज्य प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति।

113. (1) यदि किसी समय राज्य सरकार की यह राय है कि—

(क) राज्य प्राधिकरण के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण वह इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन करने या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

(ख) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन या कर्तव्यों के पालन में बार-बार व्यतिक्रमी रहा है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से राज्य प्राधिकरण को छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, अतिष्ठित कर सकेगी:

परंतु राज्य सरकार, ऐसी अधिसूचना जारी करने से पूर्व, राज्य प्राधिकरण को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगी और राज्य प्राधिकरण के अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिक्रमण की अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिक्रमण की तारीख से ही उस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे;

(ख) सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा, उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण का पुनर्गठन होने तक राज्य सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा;

(ग) राज्य प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी संपत्तियां उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक राज्य सरकार में निहित होंगी।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर या उससे पूर्व राज्य प्राधिकरण का, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नए सिरे से नियुक्ति करके पुनर्गठन करेगी और उस दशा में, ऐसे व्यक्ति को जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद खाली किया है, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना और इस धारा के अधीन की गई कोई कार्यवाही और ऐसी कार्यवाही किए जाने की परिस्थितियों की एक पूरी रिपोर्ट, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी।

पूर्वोत्तर के राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष उपबंध।

114. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों को, संचार, यात्रा और परिवहन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित उपांतरणों के साथ लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण का अध्यक्ष सभी राज्यों के लिए एक या अधिक बोर्डों का गठन कर सकेगा;

(ख) धारा 80 की उपधारा (2) में ''सात दिन'' की अवधि के प्रतिनिर्देश और उस धारा की उपधारा (3) में ''इक्कीस दिन'' की अवधि के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन क्रमश: ''दस दिन'' और ''तीस दिन'' के रूप में किया जाएगा;

(ग) धारा 87 की उपधारा (9) में ''बहत्तर घंटे'' की अवधि के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन ''एक सौ बीस घंटे'' और उस धारा की उपधारा (3) और उपधारा (12) में ''सात दिन'' की अवधि के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन ''दस दिन'' के रूप में किया जाएगा;

(घ) धारा 88 की उपधारा (3) में ''चौबीस घंटे'' की अवधि के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन ''बहत्तर घंटे'' के रूप में किया जाएगा;

(ङ) धारा 89 की उपधारा (9) के खंड (क) और खंड (ख) में ''तीन दिन'' और ''सात दिन'' की अवधि के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन क्रमश: ''सात दिन'' और ''दस दिन'' के रूप में किया जाएगा;

(च) धारा 90 की उपधारा (3) में ''सात दिन'' और उस धारा की उपधारा (4) में ''इक्कीस दिन'' की अवधि के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन क्रमश: ''दस दिन'' और ''तीस दिन'' के रूप में किया जाएगा;

(छ) धारा 94 की उपधारा (4) में ''बहत्तर घंटे'' की अवधि के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन ''एक सौ बीस घंटे'' के रूप में किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) से खंड (छ) के उपबंध उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्यों तथा लक्षद्वीप और अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्रों को भी लागू होंगे।

(3) इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावहीन होने से पहले की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय इस अधिनियम के प्रारम्भ से दस वर्षों की अवधि के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएंगे और ऐसे प्रभावहीन होने
1897 का 10 पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसे लागू होगी मानो यह अधिनियम किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो।

1860 का 45 **115.** (1) भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो आत्महत्या करने का प्रयास करेगा जब तक कि अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता है, गंभीर दवाब से ग्रस्त होने की उपधारणा की जाएगी और उक्त संहिता के अधीन उसका विचारण और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। आत्महत्या के प्रयास की दशा में गंभीर दबाव की उपधारणा।

(2) समुचित सरकार का ऐसे व्यक्ति की, जो गम्भीर दवाब से ग्रस्त है और जिसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, आत्महत्या करने के प्रयास की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए देख-रेख, उपचार और पुनर्वास करने का कर्तव्य होगा।

116. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय की बाबत, जिसको अवधारित करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकरण या बोर्ड को सशक्त किया गया है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और किसी न्यायालय द्वारा या अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश प्रदान नहीं किया जाएगा। अधिकारिता का वर्जन।

1987 का 14 **117.** केन्द्रीय सरकार, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 द्वारा शासित किए जा रहे मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के हित में यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है तो आवश्यक अस्थायी स्कीमें बनाकर समुचित अंतरिम उपाय कर सकेगी। संक्रमणकालीन उपबंध।

1860 का 45 **118.** प्राधिकरण और बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। प्राधिकरण और बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारिवृंद का लोक सेवक होना।

119. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अनुसरण में, शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, समुचित सरकार के विरुद्ध या, यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध नहीं की जाएगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

120. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

121. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी:

परंतु प्रथम नियम केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, बनाए जाएंगे।

(3) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (छ) के उपखंड (ii) के अधीन नैदानिक मनोविज्ञानी से संबंधित अर्हताएं;

(ख) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ब) के अधीन मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित अर्हताएं;

(ग) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति;

(घ) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ङ) धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण (जिसके अंतर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस है) की प्रक्रिया;

(च) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति;

(छ) धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ज) धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस है);

(झ) धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों और लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप;

(ञ) वह प्ररूप जिसमें और समय, जिसके भीतर धारा 60 के अधीन कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(ट) धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों के लेखाओं और वार्षिक विवरण का प्ररूप;

(ठ) वह प्ररूप जिसमें और समय जिसके भीतर धारा 64 के अधीन कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(ड) राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी राज्य में के किसी जिले या जिलों के समूहों के लिए बोर्ड के गठन की रीति;

(ढ) धारा 74 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों की अन्य निरर्हताएं;

(ण) कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

(4) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख और उपचार के सबूत की रीति;

(ख) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन स्वास्थ्य विश्राम गृहों, आश्रय स्थान और समर्थित वास-सुविधा का उपबंध;

(ग) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन अस्पताल और समुदाय आधारित पुनर्वास स्थापन और सेवाएं;

(घ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन मूल चिकित्सा अभिलेख, जिन तक मानसिक रुग्णता-ग्रस्त व्यक्ति को पहुंच प्राप्त होगी;

(ङ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अभिरक्षक संस्थाएं;

(च) धारा 65 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन द्वारा इस वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों, यदि कोई हों, को पूरा करता है;

(छ) धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(ज) धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप, ब्यौरे और उसके साथ संलग्न की जाने वाली फीस;

(झ) धारा 66 की उपधारा (4) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप जिसमें विशिष्टियां और ब्यौरे अंतर्विष्ट हों;

(ञ) धारा 66 की उपधारा (11) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की फीस;

(ट) धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों की संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए व्यक्ति (जिसके अंतर्गत स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि भी हैं) और उपधारा (2) के अधीन ऐसी संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ठ) धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का निरीक्षण या जांच करने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति;

(ड) धारा 68 की उपधारा (6) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के बिना प्रचालित होने वाले मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में प्रवेश और तलाशी लेने की रीति;

(ढ) धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस;

(ण) धारा 71 के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें प्राधिकरण द्वारा डिजिटल प्रारूप में मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का रजिस्टर रखा जाएगा, इस प्रकार अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विशिष्टियों को, पृथक् रजिस्टर में रखा जाना;

(त) धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन बोर्डों का गठन;

(थ) धारा 75 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय मानदेय और अन्य भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(द) धारा 103 की उपधारा (2) के अधीन बंदियों के अंतरण की पद्धति, रीति और प्रक्रिया;

(ध) ऐसे मानक और प्रक्रिया, जिसके अनुरूप धारा 103 की उपधारा (6) के अधीन केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण होंगे;

(न) धारा 110 के अधीन आवधिक सूचना देने का प्ररूप; और

(प) कोई अन्य विषय, जिसका नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी बाबत इन नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

केन्द्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।

122. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 6 के अधीन अग्रिम निदेश करने की रीति;

(ख) धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन मानसिक रुग्णताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों की संरक्षा के लिए अग्रिम निदेश की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त विनियम;

(ग) धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत अर्हता, अनुभव और नियुक्ति की रीति भी है) ;

(घ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा उसकी बैठकों के कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियम (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति है);

(ङ) धारा 65 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन प्रसुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानक;

(च) धारा 65 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में लगे हुए कार्मिकों की न्यूनतम अर्हताएं;

(छ) धारा 65 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन अभिलेखों के अनुरक्षण और रिपोर्ट करने संबंधी उपबंध;

(ज) धारा 65 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन कोई अन्य शर्तें;

(झ) धारा 65 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थापन के प्रवर्ग;

(ञ) धारा 66 की उपधारा (12) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन द्वारा किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप और उसके साथ संलग्न की जाने वाली फीस;

(ट) धारा 66 की उपधारा (13) के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने की रीति;

(ठ) धारा 66 की उपधारा (14) के अधीन आक्षेप फाइल करने की रीति;

(ड) धारा 87 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण और बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान तथा उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में पालन किए जाने वाले प्रक्रिया के नियम;

(ढ) धारा 96 की उपधारा (2) और धारा 97 की उपधारा (8) के अधीन विनियम;

(ण) कोई अन्य विषय, जिसका विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं ।

राज्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।

123. (1) राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 18 की उपधारा (9) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के न्यूनतम क्वालिटी मानक;

(ख) धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिसमें अर्हता, अनुभव और नियुक्ति की रीति भी है);

(ग) धारा 55 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन वह रीति जिसमें राज्य प्राधिकरण रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों की सूची प्रकाशित करेगा;

(घ) धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरण की बैठकों का समय और स्थान तथा उसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियम, (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति है);

(ङ) धारा 66 की उपधारा (12) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापन द्वारा किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप और उसके साथ संलग्न की जाने वाली फीस;

(च) धारा 66 की उपधारा (14) के अधीन आक्षेप फाइल किए जाने की रीति;

(छ) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

नियमों और विनियमों का रखा जाना।

124. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु, यथास्थिति, नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

125. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

1987 का 14

126. (1) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) निरसित अधिनियम के अधीन की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई बात या कार्रवाई (जिसके अंतर्गत बनाया गया कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, किया गया कोई आदेश या की गई कोई घोषणा या निष्पादित कोई दस्तावेज या लिखत या दिया गया कोई निदेश या की गई कोई कार्यवाही या अधिरोपित कोई शास्ति या जुर्माना भी है) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी;

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन स्थापित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन तब तक कार्य करना जारी रखेंगे, जब तक इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण का गठन नहीं कर लिया जाता है;

(ग) निरसित अधिनियम के अधीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण या मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य प्राधिकरण में नियुक्त ऐसा कोई व्यक्ति या कुलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किया हुआ है, ऐसे प्रारंभ पर इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उन्हें हटा नहीं दिया जाता है या अधिवर्षिता प्राप्त नहीं कर लेते हैं;

(घ) निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किया हुआ है, ऐसे प्रारंभ पर इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे हटा नहीं दिया जाता है या अधिवर्षिता नहीं प्राप्त कर लेता है;

(ङ) निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति तब तक इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन अनुदत्त की गई मानी जाएगी जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन रद्द या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है;

(च) निरसित अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ पर उस न्यायालय में वैसे ही जारी रह सकेगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही नहीं किया गया हो;

(छ) निरसित अधिनियम के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई किसी अपील, किंतु जिसका इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व निपटान नहीं किया गया है, का वैसे ही निपटान किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम अधिनियमित ही नहीं किया गया हो।

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट मामलों का उल्लेख, निरसन के प्रभाव के विषय में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को साधारण रूप से लागू किए जाने के प्रतिकूल नहीं होंगे या उसे प्रभावी नहीं करेगा। 1897 का 10

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017

(2018 का अधिनियम संख्यांक 1)

[3 जनवरी, 2018]

कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध में प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2013 का 18

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (6) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजन के लिए,—

(क) ''महत्वपूर्ण प्रभाव'' पद से कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण या किसी करार के अधीन कारबार विनिश्चयों का नियंत्रण या उसमें भागीदारी अभिप्रेत है;

(ख) ''संयुक्त उद्यम'' पद से ऐसा कोई संयुक्त ठहराव अभिप्रेत है, जिसके द्वारा वे पक्षकार, जिनका ठहराव पर संयुक्त नियंत्रण है, ठहराव की शुद्ध आस्तियों पर अधिकार रखते हैं;';

(ii) खंड (28) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(28) ''लागत लेखापाल'' से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत है और जो उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का विधिमान्य प्रमाणपत्र रखता है;'; 1959 का 23

(iii) खंड (30) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3घ में निर्दिष्ट लिखतों; 1934 का 2 और

(ख) किसी कंपनी द्वारा जारी ऐसी अन्य लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए,

को डिबेंचर नहीं समझा जाएगा;'';

(iv) खंड (41) के परंतुक में, ''समनुषंगी'' शब्द के पश्चात् ''या सहयोजित कंपनी'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(v) खंड (46) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''कंपनी'' पद के अंतर्गत कोई निगमित निकाय भी है;';

(vi) खंड (49) का लोप किया जाएगा;

(vii) खंड (51) में,—

(क) उपखंड (iv) में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उपखंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

''(v) ऐसा अन्य अधिकारी, जो निदेशकों के एक से अधिक स्तर से नीचे का नहीं हो, जो बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में अभिहित पूर्णकालिक नियोजन में है; और

(vi) ऐसा अन्य अधिकारी, जो विहित किया जाए;'';

(viii) खंड (57) में, ''और प्रतिभूति प्रीमियम लेखे'' शब्दों के स्थान पर '',प्रतिभूति प्रीमियम लेखे और लाभ और हानि लेखे के अतिशेष या जमा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ix) खंड (71) के उपखंड (क) में, ''कंपनी नहीं है;'' शब्दों के पश्चात् ''और'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(x) खंड 72 के परंतुक के खंड (अ) में, ''जब वह'' शब्दों के पश्चात् ''इस अधिनियम या पूर्व कंपनी विधि से भिन्न'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(xi) खंड (76) में, उपखंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(viii) कोई निगमित निकाय, जो—

(अ) ऐसी कंपनी की नियंत्री, समनुषंगी या कोई सहयोजित कंपनी है;

(आ) ऐसी किसी नियंत्री कंपनी की समनुषंगी है, जिसकी वह भी एक समनुषंगी है; या

(इ) कोई विनिधानकर्ता कंपनी है या किसी कंपनी का उद्यमी है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए ''विनिधानकर्ता कंपनी या कंपनी के उद्यमी'' से ऐसा निगमित निकाय अभिप्रेत है जिसके द्वारा कंपनी में विनिधान के परिणामस्वरूप कंपनी निगमित निकाय की सहबद्ध कंपनी बन जाएगी;'';

(xii) खंड (85) में,—

(क) उपखंड (i) में, ''पांच करोड़ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दस करोड़ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (ii) में,—

(अ) ''उसके अंतिम लाभ और हानि लेखा के अनुसार'' शब्दों के स्थान पर ''ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि लेखा के अनुसार'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) ''बीस करोड़ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक सौ करोड़ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(xiii) खंड (87) के उपखंड (ii) में, ''कुल शेयर पूंजी'' शब्दों के स्थान पर ''कुल मतदान शक्ति'' शब्द रखे जाएंगे;

(xiv) खंड (91) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(91) ''आवर्त'' से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा माल के विक्रय, प्रदाय या वितरण या प्रदान की गई सेवाओं से लाभ या हानि लेखे में मान्य राजस्व की सकल रकम अभिप्रेत है;'।

नई धारा 3क का अंत:स्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सदस्यों का कतिपय मामलों में पृथक्त: दायी होना।

''3क. यदि किसी भी समय सदस्यों की संख्या किसी पब्लिक कंपनी की दशा में, सात से कम, किसी प्राइवेट कंपनी की दशा में, दो से कम तक घटा दी जाती है और इस प्रकार सदस्यों की संख्या घटाए जाने के समय कंपनी छह मास से अधिक के लिए कारबार करती है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय के दौरान कंपनी का सदस्य है, जब उन छह मास के पश्चात् कंपनी कारबार करती है और इस तथ्य का संज्ञान रखता है कि वह, यथास्थिति, सात सदस्यों या दो सदस्यों से कम के साथ कारबार कर रही है, कंपनी के उस समय के दौरान संविदा किए गए संपूर्ण ऋणों के संदाय का पृथक्त: दायी होगा और उस पर उसके लिए पृथक्त: वाद लाया जा सकेगा।''।

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(i) रजिस्ट्रार, उपधारा (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना और दस्तावेजों के आधार पर अनुमोदन की तारीख से बीस दिन की कालावधि या ऐसी अन्य कालावधि, जो विहित की जाए, के लिए नाम को आरक्षित कर सकेगा:

परंतु नाम के आरक्षण के लिए या किसी विद्यमान कंपनी द्वारा नाम के परिवर्तन के लिए किसी आवेदन की दशा में, रजिस्ट्रार, अनुमोदन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के लिए नाम को, आरक्षित कर सकेगा।''।

धारा 7 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) की मद (ग) में, ''यह शपथपत्र'' शब्दों के स्थान पर ''यह घोषणा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) में, ''उसके निगमन के पन्द्रह दिन से ही'' शब्दों के स्थान पर ''उसके निगमन के तीस दिन के भीतर'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में, ''पन्द्रह दिन के भीतर'' शब्दों के स्थान पर ''तीस दिन के भीतर'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 21 में, ''ऐसे किसी अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे किसी अधिकारी या कर्मचारी'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 26 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में,—

(i) ''हस्ताक्षरित होगा तथा उसमें'' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''ऐसी सूचना का कथन होगा और वित्तीय सूचना पर ऐसी रिपोर्टें उपदर्शित होंगी, जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु जब तक प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस उपधारा के अधीन वित्तीय सूचना पर, सूचना और रिपोर्टों को विनिर्दिष्ट नहीं करता है, तब तक वित्तीय सूचना पर ऐसी वित्तीय सूचना या रिपोर्टों की बाबत प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियम लागू होंगे।''; 1992 का 15

(ii) खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) का लोप किया जाएगा।

धारा 35 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ग) प्रत्येक ऐसे भ्रामक कथन, जिसका किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाना तात्पर्यित है या ऐसे अंतर्विष्ट है जो किसी विशेषज्ञ की किसी रिपोर्ट या मूल्यांकन की प्रति होना या उससे उद्धरण होना तात्पर्यित है, के बारे में यह कि यह कथन का सही और ऋजु प्रतिनिधित्व था या रिपोर्ट या मूल्यांकन की सही प्रति या उसका सही और ऋजु उद्धरण था; और उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार था और प्रोस्पेक्टस के जारी किए जाने के समय तक उसका यह विश्वास था कि कथन करने वाला व्यक्ति उसे करने के लिए सक्षम था और यह कि उक्त व्यक्ति ने प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए धारा 26 की उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित सहमति दे दी थी और उस सहमति को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रोस्पेक्टस की प्रति परिदत्त करने से पहले या उसके अधीन आबंटन के पहले प्रतिवादी की जानकारी में वापस नहीं लिया था।''।

धारा 42 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

10. मूल अधिनियम की धारा 42 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्राइवेट स्थापन के आधार पर शेयरों का निर्गमन।

'42. (1) कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन प्रतिभूतियों का प्राइवेट स्थापन कर सकेगी।

(2) कोई प्राइवेट स्थापन केवल व्यक्तियों के ऐसे चयनित समूह को ही किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा पहचान कर लिए गए हैं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''पहचान किए गए व्यक्ति'' कहा गया है) जिनकी संख्या ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, किसी वित्तीय वर्ष में पचास से अधिक या ऐसी संख्या से अधिक नहीं होगी, जो विहित की जाए [जिसके अंतर्गत अर्हित संस्थागत क्रेता और कंपनी के ऐसे कर्मचारी नहीं है, जिन्हें धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के निबंधनानुसार कर्मचारी स्टाक विकल्प की किसी स्कीम के अधीन प्रतिभूतियों की प्रस्थापना की गई है]।

(3) प्राइवेट स्थापन करने वाली कोई कंपनी ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पहचान किए गए ऐसे व्यक्तियों को प्राइवेट स्थापन प्रस्थापना और आवेदन जारी करेगी, जिनके नाम और पते कंपनी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलिखित किए गए हैं:

परंतु प्राइवेट स्थापन प्रस्थापना और आवेदन में त्यजन का कोई अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1 — ''प्राइवेट स्थापन'' से किसी कंपनी द्वारा प्राइवेट स्थापन प्रस्थापना-सह-आवेदन के माध्यम से व्यक्तियों के चयनित समूह को प्रतिभूतियों के अभिदाय या जारी करने के लिए कोई प्रस्थापना या आमंत्रण अभिप्रेत है, जो इस धारा में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है (पब्लिक प्रस्थापना के रूप में करने के सिवाय)।

1992 का 15

स्पष्टीकरण 2 — ''अर्हित संस्थागत क्रेता'' से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और अपेक्षा प्रकटन) विनियम, 2009 में यथापरिभाषित अर्हित संस्थागत क्रेता अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 3 — यदि सूचीबद्ध या असूचीबद्ध कोई कंपनी, विहित संख्या से अधिक व्यक्तियों को प्रतिभूतियां आबंटित करने की प्रस्थापना करती है या अभिदाय आमंत्रित करती है या आबंटित करती है या आबंटित करने के लिए करार करती है, चाहे प्रतिभूतियों के लिए संदाय प्राप्त किया गया है या नहीं या चाहे कंपनी, भारत में या भारत के बाहर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करने का आशय रखती है या नहीं, तो उसको जनता के लिए प्रस्थापना समझा जाएगा और तदनुसार, इस अध्याय के भाग 1 के उपबंधों द्वारा शासित होगी।

(4) प्राइवेट स्थापन निर्गमन में अभिदाय करने के लिए रजामंद प्रत्येक पहचान किया गया व्यक्ति, प्राइवेट स्थापन में और ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए आवेदन में चेक या डिमांड ड्राफ्ट या अन्य बैंकिंग चैनल द्वारा, न कि नकदी द्वारा, संदत्त अभिदाय धन सहित आवेदन करेगा:

परंतु कोई कंपनी प्राइवेट स्थापन के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग तब तक नहीं करेगी जब तक आबंटन नहीं कर दिया गया हो और रजिस्ट्रार के पास उपधारा (8) के अनुसार आबंटन की विवरणी फाइल नहीं कर दी गई हो।

(5) इस धारा के अधीन कोई नई प्रस्थापना या आमंत्रण तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक पूर्व में की गई किसी प्रस्थापना या आमंत्रण की बाबत आबंटन पूर्ण नहीं किए गए हैं या उस प्रस्थापना या आमंत्रण को कंपनी द्वारा वापस न ले लिया गया हो या उसको परित्यक्त न कर दिया गया हो:

परंतु कोई कंपनी किसी भी समय, उपधारा (2) के अधीन पहचान किए गए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के अध्यधीन पहचान किए गए व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, जो विहित किया जाए, प्रतिभूतियों का एक से अधिक निर्गमन कर सकेगी।

(6) इस धारा के अधीन कोई प्रस्थापना या आमंत्रण देने वाली कोई कंपनी, ऐसी प्रतिभूतियों के लिए आवेदन धन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर अपनी प्रतिभूतियां आबंटित करेगी और यदि कंपनी, उस अवधि के भीतर प्रतिभूतियां आबंटित करने में समर्थ नहीं है तो वह साठ दिन पूरा होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन धन का प्रतिदाय अभिदाताओं को करेगी और यदि कंपनी पूर्वोक्त अवधि के भीतर आवेदन धनराशि का प्रतिदाय करने में असफल रहती है तो वह साठ दिन की समाप्ति से बारह प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित उस धन का प्रतिदाय करने के लिए दायी होगी:

परंतु इस धारा के अधीन आवेदन पर प्राप्त धनराशियों को किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् बैंक खाते में रखा जाएगा और निम्नलिखित से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोजित नहीं किया जाएगा,—

(क) प्रतिभूतियों के आबंटन के संबंध में समायोजन के लिए; या

(ख) जहां कंपनी प्रतिभूतियों को आबंटित करने में असमर्थ है, वहां धनराशियों के प्रतिदाय के लिए।

(7) इस धारा के अधीन प्रतिभूतियां प्रस्थापित करने वाली कोई कंपनी, कोई लोक विज्ञापन जारी नहीं करेगी तथा ऐसे किसी निर्गमन के बारे में जन साधारण को सूचना देने के लिए किसी मीडिया, विपणन या संवितरण चैनलों या अभिकर्ताओं का उपयोग नहीं करेगी।

(8) जब कभी कोई कंपनी इस धारा के अधीन प्रतिभूतियों का कोई आबंटन करती है, तब वह सभी आबंटितियों के पूरे नाम, पते, आबंटित प्रतिभूतियों की संख्या और ऐसी अन्य सुसंगत जानकारी, जो विहित की जाए, की पूरी सूची सहित आबंटन की एक विवरणी, आबंटन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी।

(9) यदि कोई कंपनी उपधारा (8) के अधीन विहित अवधि के भीतर आबंटन की विवरणी फाइल करने में व्यतिक्रम करती है, तो कंपनी, उसके प्रवर्तक और निदेशक, ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम चालू रहता है, एक हजार रुपए किन्तु पच्चीस लाख रुपए से अनधिक की शास्ति के दायी होंगे।

(10) उपधारा (11) के अध्यधीन यदि कोई कंपनी, इस धारा के उल्लंघन में कोई प्रस्थापना करती है या कोई धन स्वीकार करती है, तो कंपनी, उसके प्रवर्तक और निदेशक, ऐसी शास्ति के दायी होंगे, जो उपधारा (6) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज सहित प्राइवेट स्थापन के माध्यम से प्राप्त रकम या दो करोड़ रुपए, इनमें जो भी कम हो, तक हो सकेगी और कंपनी शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के तीस दिन के भीतर अभिदाताओं को समस्त धन का प्रतिदाय भी करेगी।

(11) उपधारा (9) और उपधारा (10) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों की अनुपालना में नहीं किए गए किसी प्राइवेट स्थापन निर्गमन को पब्लिक प्रस्थापना समझा जाएगा और इस अधिनियम और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के सभी उपबंध लागू होंगे।'। 1956 का 42 1992 का 15

धारा 47 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में, ''धारा 43 और धारा 50 की उपधारा (2) के उपबंधों'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''धारा 43, धारा 50 की उपधारा (2) और धारा 188 की उपधारा (1) के उपबंधों'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

धारा 53 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

(i) उपधारा (2) में ''बट्टे कीमत'' शब्दों के स्थान पर ''बट्टे'' शब्द रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई कंपनी अपने लेनदारों को बट्टे पर शेयरों का निर्गमन तब कर सकेगी जब उसके ऋण का संपरिवर्तन, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी (विनियमन) अधिनियम, 1949 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों या निदेशों या विनियमों के अनुसार किसी कानूनी संकल्प योजना या ऋण पुनर्संरचना स्कीम के अनुसरण में शेयरों में कर दिया गया हो।''। 1934 का 2 1949 का 10

धारा 54 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

धारा 62 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 62 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ग) में, ''रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं,'' शब्दों के स्थान पर ''रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा अध्याय 3 के लागू उपबंधों की अनुपालना और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(2) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट सूचना, निर्गमन को खोले जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व सभी विद्यमान शेयर धारकों को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रोनिक पद्धति या कुरियर या परिदान का सबूत रखने वाली किसी अन्य पद्धति के माध्यम से प्रेषित की जाएगी।''।

धारा 73 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ग) प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल को या उससे पहले ऐसी राशि जमा करना, जो निक्षेप प्रतिसंदाय आरक्षिति लेखा के रूप में ज्ञात किसी अनुसूचित बैंक के किसी पृथक् बैंक खाते में किसी पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले उसके निक्षेपों की रकम के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगी;'';

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ङ) में ''संदाय में व्यतिक्रम नहीं किया है;'' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''और जहां कोई व्यतिक्रम हुआ था, वहां कंपनी ने व्यतिक्रम को दूर कर दिया था और ऐसे व्यतिक्रम को दूर करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि बीत गई है;''।

धारा 74 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ख) ऐसे प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर या उस अवधि के अवसान पर या उससे पहले, जिसके लिए निक्षेप स्वीकार किए गए थे, जो भी पहले हो, उसका प्रतिसंदाय करेगी:

परंतु ऐसे किन्हीं निक्षेपों का नवीकरण अध्याय 5 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।''।

धारा 76क का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 76क में,—

(क) खंड (क) में ''एक करोड़ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक करोड़ रुपए या कंपनी द्वारा स्वीकृत निक्षेप की रकम से दुगना, इनमें जो भी कम हो'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में,—

(i) ''सात वर्ष या जुर्माना सहित'' शब्दों के स्थान पर ''सात वर्ष और जुर्माना सहित'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''या दोनों सहित'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 77 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) में तीसरे परंतुक के पश्चात्,निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि यह धारा ऐसे प्रभारों को लागू नहीं होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विहित किए जाएं।''।

धारा 78 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 78 में, ''धारा 77 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 77 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 82 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में,—

(i) ''और धारा 77 की उपधारा (1) के उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन दी गई किसी प्रज्ञापना को लागू होंगे'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु रजिस्ट्रार कंपनी या भारक के आवेदन पर संदाय की ऐसी प्रज्ञापना या चुकाए जाने को ऐसी अतिरिक्त फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, ऐसे संदाय या चुकाए जाने के तीन सौ दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञात कर सकेगा।''।

धारा 89 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 89 में,—

(i) उपधारा (6) में ''धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (7) में ''धारा 403 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन'' शब्दों के स्थान पर ''उसमें'' शब्द रखा जाएगा;

(iii) उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(10) इस धारा और धारा 90 के प्रयोजनों के लिए किसी शेयर में फायदाग्राही हित में, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी संविदा, ठहराव के माध्यम से या अन्यथा किसी व्यक्ति का अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अधिकार या हकदारी का—

(i) ऐसे शेयर के साथ संलग्न किसी या सभी अधिकारों का उपयोग करना या करवाना; या

(ii) ऐसे शेयर के संबंध में किसी लाभांश या अन्य वितरण को प्राप्त करना या उसमें भाग लेना,

सम्मिलित है।''।

धारा 90 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

22. मूल अधिनियम की धारा 90 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

किसी कंपनी में महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामियों का रजिस्टर।

'90. (1) प्रत्येक व्यष्टि, जो अकेले या मिलकर या एक या अधिक व्यक्तियों या न्यास जिसके अंतर्गत कोई न्यास और भारत से बाहर निवासी व्यक्ति भी हैं, कार्य कर रहा है जो किसी कंपनी के शेयर में पच्चीस प्रतिशत या ऐसी अन्य प्रतिशतता जो विहित की जाए, से अन्यून फायदाग्राही हित रखते हैं या धारा 2 के खंड (27) में यथा परिभाषित महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी'' कहा गया है) का कंपनी के ऊपर वस्तुत: उपयोग करते हैं, फायदाग्राही हित या अधिकारों के अर्जन और उसमें किसी परिवर्तन का ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अपने हित और अन्य विशिष्टियों की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए कंपनी को एक घोषणा करेगा:

परंतु केंद्रीय सरकार, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों को विहित कर सकेगी जिनसे इस उपधारा के अधीन घोषणा करने की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) प्रत्येक कंपनी उपधारा (1) के अधीन व्यष्टिकों द्वारा घोषित हित और उसमें परिवर्तनों का एक रजिस्टर रखेगी, जिसमें व्यष्टि का नाम, उसकी जन्म की तारीख, पता, कंपनी में स्वामित्व के ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन रखा गया रजिस्टर कंपनी के किसी भी सदस्य के लिए ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, निरीक्षण के लिए खुला होगा।

(4) प्रत्येक कंपनी, कंपनी के महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी और उसमें परिवर्तनों की विवरणी ऐसे समय और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी, जिसमें नाम, पता और अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, अंतर्विष्ट होंगे।

(5) कंपनी किसी व्यक्ति (चाहे कंपनी का सदस्य हो या नहीं) को विहित रीति में सूचना देगी, जिसके बारे में कंपनी यह जानती है या उसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह—

(क) कंपनी का महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी है; या

(ख) उसके पास महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी की पहचान की या ऐसी जानकारी रखने के लिए संभाव्य अन्य व्यक्ति की जानकारी है; या

(ग) कंपनी का, उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान, किसी भी समय जिसको सूचना जारी की गई है, महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी रहा है,

और जिसे इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित कंपनी के महत्वपूर्ण फायदाग्राही स्वामी के रूप में रजिस्टर नहीं किया गया है।

(6) उपधारा (5) के अधीन सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी, संबंधित व्यक्ति द्वारा सूचना की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर प्रदान की जाएगी।

(7) कंपनी,—

(क) जहां कोई व्यक्ति कंपनी को सूचना द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित जानकारी को देने में असफल रहता है; या

(ख) जहां दी गई जानकारी समाधानप्रद नहीं है,

वहां अधिकरण को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, प्रश्नगत शेयरों को हित के अंतरण के संबंध में निर्बंधन लगाने, शेयरों से संलग्न सभी अधिकारों को निलंबित करने और ऐसे अन्य विषयों के लिए, जो विहित किया जाए, निदेश देने का आदेश करने के लिए आवेदन करेगी।

(8) उपधारा (7) के अधीन किए गए किसी आवेदन पर अधिकरण संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् शेयरों से संलग्न अधिकारों को आवेदन की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो विहित की जाए, के भीतर निर्बंधित करने के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा।

(9) अधिकरण के आदेश से व्यथित कंपनी या व्यक्ति उपधारा (8) के अधीन निर्बंधनों को शिथिल करने या हटाने के लिए कोई आवेदन कर सकेगा।

(10) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा करने में असफल रहता है तो वह जुर्माने से जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है तो और जुर्माने से, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(11) यदि कोई कंपनी, जिससे उपधारा (2) के अधीन रजिस्टर रखे जाने और उपधारा (4) के अधीन सूचना फाइल करने की अपेक्षा है, ऐसा करने में असफल रहती है या उसमें यथा उपबंधित निरीक्षण से इंकार करती है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसी असफलता जारी रहती है तो और जुर्माने से, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(12) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मिथ्या या गलत सूचना प्रस्तुत करता है या किसी तात्त्विक जानकारी को छिपाता है, जिसकी उसे इस धारा के अधीन की गई घोषणा में जानकारी है तो वह धारा 447 के अधीन कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा।'।

धारा 92 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 92 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ञ) में, ''उनके नामों, पतों, निगमन, रजिस्ट्रीकरण के देशों और उनके द्वारा धारित शेयरधारिता की प्रतिशतता उपदर्शित करते हुए'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, ''एकल व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी तथा कंपनियों का ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग या जो विहित किए जाएं,'' के लिए वार्षिक विवरणी का संक्षिप्त प्ररूप विहित कर सकेगी।';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) प्रत्येक कंपनी वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर रखेगी और ऐसी वार्षिक विवरणी के वेब-लिंक का बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकटन किया जाएगा।'';

(iii) उपधारा (4) में ''धारा 403 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(iv) उपधारा (5) में ''धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, अतिरिक्त फीस के साथ'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व अतिरिक्त फीस के साथ'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 93 का लोप।

24. मूल अधिनियम की धारा 93 का लोप किया जाएगा।

धारा 94 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 94 में,—

(i) उपधारा (1) में पहले परन्तुक में, ''और प्रस्तावित विशेष संकल्प की एक प्रति रजिस्ट्रार को अग्रिम में दे दी गई हो'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह कि किसी रजिस्टर या इंडेक्स या विवरणी की ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं, उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण के लिए या इस उपधारा के अधीन उद्धरण लेने या प्रतियां बनाने के लिए उपलब्ध नहीं होंगी।''।

धारा 96 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 96 की उपधारा (2) में परन्तुक में, ''परन्तु'' शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु किसी असूचीबद्ध कंपनी का वार्षिक साधारण अधिवेशन भारत में किसी भी स्थान पर आयोजित किया जा सकेगा, यदि सभी सदस्यों द्वारा अग्रिम में सहमति लिखित या इलैक्ट्रोनिकी ढंग से दे दी गई हो:

परन्तु यह और कि''।

धारा 100 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 100 में उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु भारत से बाहर निगमित कंपनी के पूर्णत: स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी का असाधारण अधिवेशन भारत में किसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा।''।

धारा 101 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 101 में उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट से भिन्न लघुतर अवधि की सूचना देने के पश्चात् साधारण अधिवेशन बुलाया जा सकेगा, यदि उसके लिए लिखित या इलैक्ट्रोनिकी ढंग से सहमति प्रदान कर दी गई हो—

(i) वार्षिक साधारण अधिवेशन की दशा में उसमें मत देने के हकदार सदस्यों के पचानवे प्रतिशत से अन्यून द्वारा; और

(ii) किसी अन्य साधारण अधिवेशन की दशा में, ऐसी कंपनी के सदस्यों द्वारा जो—

(क) जिनकी, यदि कंपनी के पास शेयर पूंजी है, मत देने के हकदार सदस्य बहुमत की संख्या में है और जो कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी के ऐसे भाग, जो अधिवेशन में मत देने का अधिकार देता है के कम से कम पचानवे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते है; या

(ख) यदि कंपनी की शेयर पूंजी नहीं है तो उस अधिवेशन में उपयोग की जा सकने वाली कुल मतदान शक्ति का पचानवे प्रतिशत से अन्यून, रखती हो:

परन्तु यह और कि यदि किसी कंपनी का कोई सदस्य किसी बैठक में लाए जाने वाले संकल्प या संकल्पों पर ही मत देने का हकदार है और अन्य पर नहीं तो ऐसे सदस्यों को पूर्व संकल्प या संकल्पों के संबंध में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए और न कि पश्चात्वर्ती की बाबत गणना में लिया जाएगा।''।

धारा 110 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु खंड (क) के अधीन डाक मतपत्र के माध्यम से संव्यवहार के लिए अपेक्षित कारबार की किसी मद का किसी ऐसी कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में जिससे धारा 108 के अधीन सदस्यों को इलैक्ट्रोनिकी माध्यमों से मत देने की प्रसुविधा का उपबंध करना अपेक्षित है, उस धारा में उपबंधित रीति में संव्यवहार किया जा सकेगा।''।

धारा 117 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 117 में,—

(i) उपधारा (1) में ''धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) ''धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अतिरिक्त फीस के साथ'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व अतिरिक्त फीस के साथ'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा,'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा,'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) ''एक लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (छ) के परंतुक में ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा तथा निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी बैंककारी कंपनी को धारा 179 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में ऋण अनुदत्त करने या कोई गारंटी देने या कोई प्रतिभूति प्रदान करने के लिए पारित किसी संकल्प के संबंध में लागू नहीं होगी।''।

धारा 121 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 121 में,—

(i) उपधारा (2) में ''धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (3) में ''अतिरिक्त फीस के साथ धारा 403 के अधीन'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''उसमें'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 123 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 123 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) ''दोनों के सिवाय; या'', शब्दों के स्थान पर, ''दोनों:'' शब्द रखा जाएगा;

(आ) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु लाभ की संगणना करने में वसूल न किए गए अभिलाभ, कल्पित अभिलाभ या आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन को व्यपदिष्ट करने वाली किसी रकम और

उचित मूल्य पर आस्ति या दायित्व के मापन पर आस्ति या दायित्व की रकम के वहन में कोई परिवर्तन अपवर्जित किया जाएगा; या'';

(ii) दूसरे परंतुक में, ''आरक्षितियों में उसके द्वारा अंतरित'' शब्दों के स्थान पर, ''उसके द्वारा खुली आरक्षितियों को अंतरित'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) किसी कंपनी का निदेशक बोर्ड किसी वित्तीय वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करने तक की अवधि के दौरान किसी भी समय लाभ और हानि लेखे में अधिशेष से या वित्तीय वर्ष के लाभों में से जिसके लिए ऐसे अंतरिम लाभांश की घोषणा की जानी वांछित है या अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पूर्ववर्ती तिमाही तक वित्तीय वर्ष में सृजित लाभों में से कर सकेगा:

परंतु यदि कंपनी ने अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तिमाही के अंत तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हानि उपगत की है तो ऐसे अंतरिम लाभांश की घोषणा ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा घोषित औसत लाभांशों से अधिक दर पर नहीं की जाएगी।''।

धारा 129 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) जहां किसी कंपनी की एक या अधिक समनुषंगी या सहयुक्त कंपनियां हैं तो वह उपधारा (2) के अधीन उपलब्ध कराई गई वित्तीय विवरणियों के अतिरिक्त, कंपनी और उसकी सभी समनुषंगी तथा सहयुक्त कंपनियों का अपनी ही कंपनी के समान उसी प्ररूप और रीति में और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करेगी, जो उपधारा (2) के अधीन उसके वित्तीय विवरण रखे जाने के साथ-साथ कंपनी की वार्षिक साधारण अधिवेशन के समक्ष भी रखा जाएगा:

परंतु कंपनी अपने वित्तीय विवरण के साथ अपनी समनुषंगी या सहयुक्त और समनुषंगी कंपनियों और सहबद्ध कंपनी या कंपनियों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को अंतर्विष्ट करने वाला पृथक् विवरण ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, भी उपाबद्ध करेगी:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार कंपनियों के लेखाओं को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, समेकित करने के लिए उपबंध कर सकेगी।''।

धारा 130 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 130 में, —

(i) उपधारा (1) में, के परंतुक में,—

(क) ''विनियामक निकाय या संबंधित प्राधिकारी'' शब्दों के पश्चात् ''या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''निकाय या संबंधित प्राधिकारी'' शब्दों के पश्चात् ''या अन्य संबंधित व्यक्ति'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3) उपधारा (1) के अधीन चालू वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती आठ वित्तीय वर्ष से पूर्वतर अवधि से संबंधित लेखाबहियों को पुन: खोलने के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाएगा:

परंतु यह कि जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 128 की उपधारा (5) के परंतुक के अधीन लेखाबहियों को आठ वर्ष से अधिक अवधि के लिए रखने का निदेश जारी किया गया है वहां लेखाबहियों को ऐसी दीर्घ अवधि के भीतर पुन: खोलने का आदेश किया जा सकेगा।''।

धारा 132 का संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 132 में,—

(i) उपधारा (4) के खंड (ग) के उपखंड (अ) की मद (II) में ''दस लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) में, ''उपधारा (6) के अधीन, गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अपील ऐसी रीति में दाखिल कर सकेगा जो विहित की जाए'', शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपधारा (6) के अधीन गठित अपील अधिकरण के समक्ष अपील ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, दाखिल कर सकेगा जो विहित की जाए'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (9) का लोप किया जाएगा।

धारा 134 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 134 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) वित्तीय विवरण, जिसके अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हों, भी है का निदेशक बोर्ड द्वारा कंपनी के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर करने से पूर्व, जहां उसे बोर्ड द्वारा या दो निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक, यदि कोई हो, होगा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा, जहां कहीं वे नियुक्त किए जाते हैं या एक व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने से पूर्व निदेशक बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षक को उस पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया जाएगा।'';

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) वेब पता, यदि कोई हो, जहां धारा 92 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी रखी जाएगी;'';

(ii) खंड (त) में, ''बोर्ड द्वारा उसके अपने ही कार्य निष्पादन और उसकी समितियों तथा व्यष्टिक निदेशकों द्वारा वार्षिक मूल्यांकन किया गया है'' शब्दों के स्थान पर ''बोर्ड, उसकी समितियों और व्यष्टिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन किया गया है'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (थ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु यह कि जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट प्रकटन को वित्तीय विवरिणयों में सम्मिलित किया गया है, वहां ऐसे प्रकटन को बोर्ड की रिपोर्ट में दोहराए जाने के स्थान पर निर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां खंड (ङ) या खंड (ण) में निर्दिष्ट नीति को कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर उपलब्ध कराया जाता है तो यह ऐसे खंडों के अधीन अपेक्षाओं की पर्याप्त अनुपालना होगी, यदि नीति की मुख्य विशेषताओं और उनमें किसी परिवर्तन को बोर्ड की रिपोर्ट में संक्षेप में विनिर्दिष्ट किया जाता है और वेब पते को उसमें जिसमें संपूर्ण नीति उपलब्ध है, इंगित किया जाता है।'';

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3अ) केन्द्रीय सरकार एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनी द्वारा इस धारा की अनुपालना के प्रयोजन के लिए बोर्ड की संक्षिप्त रिपोर्ट विहित कर सकेगी।''।

धारा 135 का संशोधन।

37. मूल अधिनियम की धारा 135 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''किसी वित्तीय वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु जहां कंपनी से धारा 149 की उपधारा (4) के अधीन किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अपेक्षा नहीं की जाती है, वहां उसकी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।'';

(ii) उपधारा (3) के खंड (क) में, ''अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट'' शब्दों और अंक के स्थान पर ''अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (5) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण** — इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''शुद्ध लाभ'' में ऐसी राशियां सम्मलित नहीं होंगी जो विहित की जाएं और उसकी संगणना धारा 198 के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी।'।

धारा 136 का संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 136 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''धारा 101 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ख) पहले परंतुक में ''परंतु'' शब्द के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह कि यदि अधिवेशन की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले दस्तावेजों की प्रतियां भेजी जाती हैं, तो इस तथ्य के होते हुए भी, उन्हें सम्यक्त: भेजा गया समझा जाएगा, यदि यह मानते हुए सदस्यों द्वारा सहमति दी गई हो—

(क) जिनकी, यदि कंपनी के पास शेयर पूंजी है, मत देने के हकदार बहुमत की संख्या में है और जो कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी के ऐसे भाग, जो अधिवेशन में मत देने का अधिकार देता है, के कम से कम पचानवे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं; या

(ख) जिनका, यदि कंपनी के पास शेयर पूंजी नहीं है तो किसी अधिवेशन में प्रयोक्तव्य कुल मतदान शक्ति के कम से कम पचानवे प्रतिशत सदस्य:

परंतु यह और कि'';

(ग) दूसरे परंतुक में, ''परंतु यह और कि'' शब्दों के स्थान पर ''परंतु यह भी कि'' शब्द रखे जाएंगे;

(घ) चौथे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, जिसकी समनुषंगी कंपनी या समनुषंगी कंपनियां हैं, प्रत्येक समनुषंगी कंपनी के संबंध में अपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर अपने पृथक् संपरीक्षित लेखे डालेगी:

परंतु यह भी कि कोई सूचीबद्ध कंपनी, जिसकी भारत से बाहर निगमित समनुषंगी कंपनी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''विदेशी समनुषंगी'' कहा गया है)—

(क) जहां ऐसी विदेशी समनुषंगी कंपनी से उसके निगमन के देश में किसी विधि के अधीन समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित है, वहां इस परंतुक की अपेक्षा पूरी हो जाएगी यदि ऐसी विदेशी समनुषंगी कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणी को सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाता है;

(ख) जहां ऐसी विदेशी समनुषंगी कंपनी से, उसके निगमन के देश में किसी विधि के अधीन वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा करवाना अपेक्षित नहीं है और जो ऐसी समनुषंगी कंपनी अपने वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं करवाती है तो नियंत्री भारतीय सूचीबद्ध कंपनी अपने ऐसे संपरीक्षित वित्तीय विवरणों को अपनी वेबसाइट

पर डाल सकेगी और जहां ऐसा वित्तीय विवरण अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है वहां वित्तीय विवरण की अंग्रेजी की अनूदित प्रति भी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।'';

(ii) उपधारा (2) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह कि प्रत्येक कंपनी, जिसकी समनुषंगी कंपनी या समनुषंगी कंपनियां हैं, यथास्थिति, पृथक् संपरीक्षित या असंपरीक्षित वित्तीय विवरणी की, उसकी प्रत्येक समनुषंगी कंपनी के संबंध में तैयार की गई एक प्रति कंपनी के किसी भी सदस्य को, जो उसकी मांग करता है, उपलब्ध कराएगी।''।

धारा 137 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 137 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक में ''धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ग) चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि किसी ऐसी समनुषंगी कंपनी की दशा में, जिसे भारत से बाहर निगमित किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''विदेशी समनुषंगी कंपनी'' कहा गया है), जिसमें उसके निगमन के देश की किसी विधि के अधीन उसके वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा कराना अपेक्षित नहीं है और जो अपने वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं कराती है, चौथे परंतुक की अपेक्षाएं उस समय पूरी हो जाएंगी, जब नियंत्री भारतीय कंपनी ऐसे असंपरीक्षित वित्तीय विवरणों को इस प्रभाव की घोषणा के साथ और जहां ऐसा वित्तीय विवरण अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है वहां वित्तीय विवरण की अंग्रेजी भाषा में अनूदित प्रति के साथ फाइल करती है।';

(ii) उपधारा (2) में, ''धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(iii) उपधारा (3) में, ''धारा 403 में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अंकों, के स्थान पर ''उसमें विनिर्दिष्ट'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 139 का संशोधन।

40. मूल अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के पहले परंतुक का लोप किया जाएगा।

धारा 140 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (3) में, ''पचास हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''पचास हजार रुपए या संपरीक्षक के पारिश्रमिक, इनमें से जो भी कम हो,'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 141 का संशोधन।

42. मूल अधिनियम की धारा 141 की उपधारा (3) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारा 144 में निर्दिष्ट कोई सेवा, किसी कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी या उसकी समनुषंगी कंपनी को प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से'' पद का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 144 के स्पष्टीकरण में है।'।

धारा 143 का संशोधन।

43. मूल अधिनियम की धारा 143 में,—

(i) उपधारा (1) के परंतुक में, ''समनुषंगियों'' शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, ''समनुषंगियों और सहयुक्त कंपनियों'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के खंड (झ) में, ''पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है'' शब्दों के स्थान पर ''वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (14) के खंड (क) में, ''व्यवसायरत लागत लेखापाल'' शब्दों के स्थान पर ''लागत लेखापाल'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 147 का संशोधन।

44. मूल अधिनियम की धारा 147 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) ''पांच लाख रुपए'' शब्दों के पश्चात् ''या संपरीक्षक के पारिश्रमिक के चार गुना, इनमें से जो भी कम हो,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) परंतुक में ''जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा,'' शब्दों के स्थान पर ''जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस लाख रुपए या संपरीक्षक के पारिश्रमिक के आठ गुना, इनमें से जो भी कम हो, तक का हो सकेगा,'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के खंड (ii) में, ''या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को,'' शब्दों के स्थान पर ''या कंपनी के सदस्यों या लेनदारों को,'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (5) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु किसी संपरीक्षा फर्म के आपराधिक दायित्व की दशा में, जुर्माने से भिन्न किसी दायित्व के संबंध में, ऐसा संबद्ध भागीदार या ऐसे भागीदार, जिन्होंने, यथास्थिति, कपटपूर्ण रीति में कार्य किया है या दुष्प्रेरण किया है या किसी कपट के लिए दुरभिसंधि की है, ही दायी होंगे।''।

धारा 148 का संशोधन।

45. मूल अधिनियम की धारा 148 में,—

(i) उपधारा (3) में,—

(क) ''व्यवसायरत ऐसे लागत लेखापाल'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे लागत लेखापाल'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में, ''भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान'' शब्दों के स्थान पर ''भारतीय लागत लेखापाल संस्थान'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) के परंतुक में ''व्यवसायरत लागत लेखापाल'' शब्दों के स्थान पर ''लागत लेखापाल'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 149 का संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 149 में,—

(i) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) प्रत्येक कंपनी के पास कम से कम ऐसा एक निदेशक होगा, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम एक सौ बयासी दिन की कुल अवधि के लिए भारत में रहता है:

परंतु किसी नई निगमित कंपनी की दशा में इस उपधारा के अधीन की गई अपेक्षा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिसमें वह निगमित की गई थी, आनुपातिक रूप में लागू होगी।'';

(ii) उपधारा (6) में,—

(क) खंड (ग) में, ''निदेशकों के साथ कोई धनीय संबंध नहीं हैं या नहीं था;'' शब्दों के स्थान पर ''निदेशकों के साथ, ऐसे निदेशक के रूप में पारिश्रमिक से भिन्न कोई धनीय संबंध नहीं है या नहीं था या उसने अपनी कुल आय के दस प्रतिशत या ऐसी रकम जो विहित की जाए, से अनधिक संव्यवहार किया है;'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(घ) जिसका कोई भी नातेदार—

(i) कंपनी, उसकी नियंत्री, समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी में दो ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई प्रतिभूति या हितधारण नहीं कर रहा:

परंतु नातेदार कंपनी में प्रतिभूति या हितधारण कर सकेगा, जिसका अंकित मूल्य पचास लाख रुपए या कंपनी, उसकी नियंत्री, समनुषंगी या सहयुक्त कंपनी की समादत्त पूंजी के दो प्रतिशत या ऐसी उच्चतर राशि, जो विहित की जाए, से अधिक नहीं है;

(ii) कंपनी, उसकी नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी या उसके संप्रवर्तकों या निदेशकों का ऐसी रकम के लिए देनदार नहीं है, जो उस रकम से अधिक है, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान या दो ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान विहित किया जाए;

(iii) कंपनी, उसकी नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी या उसके संप्रवर्तकों या ऐसी नियंत्री कंपनी के निदेशकों के प्रति किसी तृतीय व्यक्ति की ऐसी रकम के लिए, जो विहित की जाए, ठीक दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणता के संबंध में कोई प्रत्याभूति नहीं दी है या प्रतिभूति उपलब्ध नहीं कराई है; या

(iv) कंपनी, उसकी नियंत्री कंपनी, समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी के साथ कोई अन्य धनीय संव्यवहार नहीं किया है ऐसा संबंध नहीं रखता है जो उसका सकल आवर्त या एक रूप से कुल आय या उपखंड (i), (ii) या (iii) में निर्दिष्ट संव्यवहार को मिलाकर दो प्रतिशत या उससे अधिक है,'';

(ग) खंड (ङ) के उपखंड (i) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु ऐसे किसी नातेदार की दशा में, जो कर्मचारी है, इस खंड के अधीन निर्बंधन पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उसके नियोजन के संबंध में लागू नहीं होगा।''।

धारा 152 का संशोधन।

47. मूल अधिनियम की धारा 152 में,—

(क) उपधारा (3) में, ''धारा 154 के अधीन निदेशक पहचान संख्यांक'' शब्दों और अंकों के पश्चात्, ''या कोई अन्य संख्यांक, जो धारा 153 के अधीन विहित किया जाए'', शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) में, ''पहचान संख्यांक'' शब्दों के पश्चात् ''या ऐसा कोई अन्य संख्यांक, जो धारा 153 के अधीन विहित किया जाए'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 153 का संशोधन।

48. मूल अधिनियम की धारा 153 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु केन्द्रीय सरकार कोई ऐसी पहचान संख्यांक विहित कर सकेगी, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निदेशक पहचान संख्यांक के रूप में माना जाएगा और यदि कोई व्यष्टि ऐसा पहचान संख्यांक धारण करता है या अर्जित करता है, तो इस धारा की अध्यपेक्षा लागू नहीं होगी या उस रीति में लागू होगी, जो विहित की जाए।''।

धारा 157 का संशोधन।

49. मूल अधिनियम की धारा 157 में,—

(i) उपधारा (1) में, ''धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) में, ''अतिरिक्त फीस के साथ धारा 403 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व'' शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

धारा 160 का संशोधन।

50. मूल अधिनियम की धारा 160 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु धारा 178 की उपधारा (1) के अधीन गठित नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश किए गए किसी स्वतंत्र निदेशक या निदेशक, यदि कोई हो, या किसी कंपनी की दशा में जिससे नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति गठित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, कंपनी निदेशक, बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए निदेशक की नियुक्ति की दशा में रकम निक्षिप्त करने की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।''।

धारा 161 का संशोधन।

51. मूल अधिनियम की धारा 161 में,—

(i) उपधारा (2) में, ''जो कंपनी में किसी अन्य निदेशक के स्थान पर कोई आनुकल्पिक निदेशक का पद धारण करने वाला व्यक्ति नहीं है,'' शब्दों के पश्चात् ''या जो उसी कंपनी में निदेशक का पद धारण करने वाला व्यक्ति है,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) में,—

(क) ''किसी पब्लिक कंपनी की दशा में,'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) ''बोर्ड के अधिवेशन में निदेशक बोर्ड द्वारा भरी जा सकेगी'' शब्दों के पश्चात्, '',जिसे उसके पश्चात् उसके ठीक अगले साधारण अधिवेशन में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 164 का संशोधन।

52. मूल अधिनियम की धारा 164 में,—

(i) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु जहां किसी ऐसे व्यक्ति को किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो खंड (क) या खंड (ख) के व्यतिक्रम में है, वहां वह व्यक्ति उसकी नियुक्ति की तारीख से छह मास की अवधि के लिए निरर्हता उपगत नहीं करेगा।'';

(ii) उपधारा (3) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (छ) में निर्दिष्ट निरर्हताएं लागू होती रहेंगी, भले ही दोषसिद्धि या निरर्हता के आदेश के विरुद्ध अपील या याचिका फाइल की गई हो।''।

धारा 165 का संशोधन।

53. मूल अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण 2**—बीस कंपनियों में निदेशक पदों की सीमा की गणना करने के लिए किसी निष्क्रिय कंपनी में निदेशक पद को संगणना में नहीं लिया जाएगा।''।

धारा 167 का संशोधन।

54. मूल अधिनियम की धारा 167 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु जहां वह धारा 164 की उपधारा (2) के अधीन निरर्हता उपगत करता है, वहां उस कंपनी से भिन्न, जो उस उपधारा के अधीन व्यतिक्रम में है, सभी कंपनियों में निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा।'';

(ii) खंड (च) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु खंड (ङ) और खंड (च) में निर्दिष्ट आदेशों की दशा में निदेशक द्वारा पद रिक्त नहीं किया जाएगा—

(i) दोषसिद्धि या निरर्हता के आदेश की तारीख से तीस दिन के लिए;

(ii) जहां पूर्वोक्त तीस दिन के भीतर दोषसिद्धि, जिसका परिणाम दंडादेश या आदेश है या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या याचिका फाइल की गई है, वहां उस तारीख से, जिसको ऐसी अपील या याचिका का निपटारा कर दिया जाता है, सात दिन की अवधि के अवसान तक; या

(iii) जहां सात दिन के भीतर आदेश या दंडादेश के विरुद्ध आगे अतिरिक्त अपील या याचिका फाइल की जाती है, ऐसी अतिरिक्त अपील या याचिका का निपटारा किए जाने तक।''।

धारा 168 का संशोधन।

55. मूल अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (1) के परंतुक में, ''रजिस्ट्रार को भी भेजेगा'' शब्दों के स्थान पर ''रजिस्ट्रार को भी भेज सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 173 का संशोधन।

56. मूल अधिनियम की धारा 173 की उपधारा (2) में पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि जहां किसी अधिवेशन में निदेशकों की वास्तविक उपस्थिति के माध्यम से गणपूर्ति होती है, वहां कोई अन्य निदेशक ऐसे किसी अधिवेशन में पहले परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में वीडियो कान्फ्रैंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से भाग ले सकेगा।''।

धारा 177 का संशोधन।

57. मूल अधिनियम की धारा 177 में,—

(i) उपधारा (1) में, ''प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी'' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) के खंड (iv) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि धारा 188 में निर्दिष्ट संव्यवहारों से भिन्न, किसी संव्यवहार की दशा में और जहां लेखापरीक्षा समिति किसी संव्यवहार को अनुमोदित नहीं करती वहां वह अपनी सिफारिशें बोर्ड को करेगी:

परंतु यह भी कि यदि एक करोड़ रुपए से अनधिक की किसी रकम को अंतर्वलित करने वाले किसी संव्यवहार की प्रविष्टि कंपनी के किसी निदेशक या अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना की जाती है और उसे संव्यवहार की तारीख से तीन मास के भीतर लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुसमर्थित नहीं किया जाता है, तो ऐसा संव्यवहार, लेखापरीक्षा समिति के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि ऐसा संव्यवहार किसी निदेशक के संबद्ध पक्षकार के साथ किया गया है या उसे किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है तो संबद्ध निदेशक, कंपनी द्वारा उपगत किसी हानि की क्षतिपूर्ति करेगा:

परंतु यह भी कि इस खंड के उपबंध किसी ऐसे संव्यवहार को लागू नहीं होंगे, जो धारा 188 में निर्दिष्ट संव्यवहार से भिन्न है और जो किसी नियंत्री कंपनी और उसके पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी के बीच किया गया है।''।

धारा 178 का संशोधन।

58. मूल अधिनियम की धारा 178 में,—

(i) उपधारा (1) में, ''प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी'' शब्दों के स्थान पर ''प्रत्येक सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में, ''प्रत्येक निदेशक के कार्यपालन का मूल्यांकन करेगी'' शब्दों के स्थान पर ''बोर्ड, उसकी समितियों और व्यष्टि निदेशकों के कार्यपालन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए रीति विनिर्दिष्ट की जाएगी, जिसे या तो बोर्ड द्वारा या नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति या किसी स्वतंत्र बाह्य अभिकरण द्वारा किया जाएगा और उसके कार्यान्वयन और अनुपालन का पुनर्विलोकन किया जाएगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (4) के खंड (ग) में, पंरतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु ऐसी नीति को कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर डाला जाएगा और नीति की प्रमुख विशेषताओं और उसमें किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हों, को नीति के वेब पते, यदि कोई हो, के साथ बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।'';

(iv) उपधारा (8) के परन्तुक में, ''किसी शिकायत के समाधान पर विचार न करना'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी शिकायत का समाधान करने या उस पर विचार करने में असमर्थता'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 180 का संशोधन।

59. मूल अधिनियम की धारा 180 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, ''समादत्त शेयर पूंजी और खुली आरक्षितियों की'' शब्दों के स्थान पर ''समादत्त शेयर पूंजी, खुली आरक्षितियों और प्रतिभूतियों के प्रीमियम की'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 184 का संशोधन।

60. मूल अधिनियम की धारा 184 में,—

(i) उपधारा (4) में, ''जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (5) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ख) दो कंपनियों के बीच या एक अथवा अधिक कंपनियों और एक अथवा अधिक निगम निकायों के बीच की गई या की जाने वाली किसी संविदा या ठहराव को लागू नहीं होगी, जहां एक कंपनी या निगम निकाय का कोई निदेशक या उनमें से दो या अधिक निदेशक एक साथ दूसरी कंपनी या निगम निकाय की समादत्त शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अनधिक शेयर पूंजी धारण करता है या करते हैं।''।

धारा 185 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

61. मूल अधिनियम की धारा 185 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

निदेशकों, आदि को ऋण।

''185. (1) कोई कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित में से किसी को कोई ऋण नहीं देगी, जिसके अंतर्गत किसी ऋण बही द्वारा व्यपदिष्ट कोई ऋण भी है, निम्नलिखित द्वारा लिए गए किसी ऋण के संबंध में कोई प्रत्याभूति नहीं देगी या कोई प्रत्याभूति उपलब्ध नहीं कराएगी:—

(क) कंपनी के या ऐसी कंपनी, जो उसकी नियंत्री कंपनी है, के किसी निदेशक या किसी ऐसे निदेशक के किसी भागीदार या नातेदार को; या

(ख) किसी ऐसी फर्म को जिसमें ऐसा निदेशक या उसका नातेदार भागीदार है।

(2) कोई कंपनी किसी व्यक्ति को कोई ऋण, जिसके अंतर्गत किसी ऋण बही द्वारा व्यपदिष्ट कोई ऋण भी है, दे सकेगी या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक हितबद्ध है, लिए गए किसी ऋण के संबंध में कोई प्रत्याभूति इस शर्त के अधीन रहते हुए दे सकेगी या प्रत्याभूति उपलब्ध करा सकेगी कि—

(क) कंपनी द्वारा उसके साधारण अधिवेशन में कोई विशेष संकल्प पारित किया जाता है:

परंतु सुसंगत साधारण अधिवेशन की सूचना के स्पष्टीकारक कथन में दिए गए ऋण या प्रत्याभूति या उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति की पूर्ण विशिष्टियों को प्रकट किया जाएगा और वह प्रयोजन भी प्रकट किया जाएगा, जिसके लिए ऋण या प्रत्याभूति या प्रतिभूति के प्राप्तिकर्ता द्वारा ऋण या प्रत्याभूति या प्रतिभूति का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है और किसी अन्य सुसंगत तथ्य को भी प्रकट किया जाएगा; और

(ख) ऋणों का उपयोग उधार लेने वाली कंपनी द्वारा उसके मुख्य कारबार क्रियाकलापों के लिए किया जाता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''ऐसा कोई व्यक्ति, जिसमें कंपनी का कोई निदेशक हितबद्ध है'' पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी जिसका कोई ऐसा निदेशक, निदेशक या सदस्य है;

(ख) ऐसा कोई निगम निकाय, जिसके साधारण अधिवेशन में कुल मतदान शक्ति के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक का प्रयोग या नियंत्रण ऐसे किसी निदेशक या ऐसे दो या अधिक निदेशकों द्वारा एक साथ किया जाता है; या

(ग) कोई निगम निकाय, निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, जो ऋण देने वाली कंपनी के बोर्ड या किसी निदेशक या किन्हीं निदेशकों के निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए अभ्यस्त है।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) किसी प्रबंधक या पूर्णकालिक निदेशक को निम्नलिखित रूप में कोई ऋण देने के लिए—

(i) कंपनी द्वारा उसके सभी कर्मचारियों को विस्तारित सेवा शर्तों के भागरूप में; या

(ii) किसी विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अनुसरण में;

या

(ख) ऐसी कोई कंपनी, जो अपने काराबार के सामान्य अनुक्रम में ऋणों को उपलब्ध कराती है या किसी ऋण के सम्यक् प्रतिदाय के लिए प्रत्याभूतियां या प्रतिभूतियां प्रदान करती है और ऐसे ऋणों के संबंध में ऋण की अवधि के निकटतम सरकारी प्रतिभूति के एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या दस वर्ष के लिए विद्यमान ब्याज की दर से कम दर पर ब्याज को प्रभारित किया जाता है; या

(ग) नियंत्री कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी को दिए गए किसी ऋण या उसकी किसी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कंपनी को दिए गए किसी ऋण के संबंध में नियंत्री कंपनी द्वारा दी गई किसी प्रत्याभूति या उपलब्ध कराई गई किसी प्रतिभूति; या

(घ) किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा किसी नियंत्री कंपनी की समनुषंगी कंपनी को दिए गए ऋण के संबंध में नियंत्री कंपनी द्वारा दी गई किसी प्रत्याभूति या उपलब्ध कराई गई किसी प्रतिभूति:

परंतु खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन दिए गए ऋणों का उपयोग समनुषंगी कंपनी द्वारा उसके मुख्य कारबार क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा।

(4) यदि इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई ऋण दिया जाता है या कोई प्रत्याभूति या प्रतिभूति दी जाती है या उपलब्ध कराई जाती है या उपयोग की जाती है तो,—

(i) कंपनी जुर्माने से दंडनीय होगी, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा;

(ii) कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; और

(iii) निदेशक या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे कोई ऋण दिया गया है या उसके द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में कोई प्रत्याभूति या प्रतिभूति दी गई है या उपलब्ध कराई गई है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।''।

धारा 186 का संशोधन।

62. मूल अधिनियम की धारा 186 में,—

(i) उपधारा (2) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''व्यक्ति'' शब्द के अंतर्गत ऐसा व्यष्टि नहीं है, जो कंपनी के नियोजन में है।';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) जहां अब तक दिए गए ऋणों और किए गए विनिधान का योग, वह रकम, जिसके लिए बोर्ड द्वारा, सभी अन्य कारपोरेट निकायों को या उनमें किए जाने के लिए प्रस्तावित विनिधान या दिए जाने के लिए प्रस्तावित उधार, प्रत्याभूति या प्रतिभूति के साथ अब तक प्रत्याभूति या प्रतिभूति दी गई थी, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है, तो वहां तब तक कोई विनिधान नहीं किया जाएगा या ऋण नहीं दिया जाएगा या प्रत्याभूति नहीं दी जाएगी या प्रतिभूति नहीं दी जाएगी, जब तक उसे साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प द्वारा पहले प्राधिकृत न कर दिया गया हो:

परंतु जहां किसी कंपनी द्वारा उसके पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी कंपनी या किसी संयुक्त उद्यम कंपनी को कोई ऋण या प्रत्याभूति दी गई है या जहां उसके द्वारा उनको कोई प्रतिभूति दी गई है या किसी नियंत्री कंपनी द्वारा, उसके पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी कंपनी की प्रतिभूतियों का अभिदाय द्वारा, क्रय या उससे अन्यथा अर्जन किया जाता है, वहां इस उपधारा की अपेक्षा लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि कंपनी उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित वित्तीय विवरण में ऐसे ऋण या प्रत्याभूति या प्रतिभूति या अर्जन के ब्यौरों को प्रकट करेगी।'';

(iii) उपधारा (11) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(11) उपधारा (1) के सिवाय, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात,—

(क) किसी बैंककारी कंपनी या किसी बीमा कंपनी या किसी वित्त आवास कंपनी द्वारा, उसके कारबार के सामान्य अनुक्रम में या औद्योगिक उद्यमों को वित्तपोषण का कारबार करने के उद्देश्य से स्थापित और उसमें लगी हुई या अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली किसी कंपनी द्वारा, दिए गए किसी ऋण या दी गई प्रत्याभूति या उपलब्ध कराई गई किसी प्रतिभूति या उनके द्वारा किए गए किसी विनिधान को;

(ख) (i) किसी विनिधान कंपनी द्वारा किए गए;

(ii) धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में आंबटित शेयरों में किए गए या किसी निगमित निकाय द्वारा किए गए निर्गमन अधिकारों के अनुसरण में आबंटित शेयरों में किए गए;

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 3ख के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी द्वारा जिसका मुख्य कारबार प्रतिभूतियों का अर्जन करना है, विनिधान करने या उधार देने संबंधी कार्यकलापों के संबंध में किए गए, 1934 का 2

किसी विनिधान को लागू नहीं होगी।'';

(iv) स्पष्टीकरण के खंड (क), में ''अन्य प्रतिभूतियों को अर्जित करना है'' शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''और किसी कंपनी को मूल रूप से शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अर्जन के कारबार में लगा हुआ समझा जाएगा, यदि शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विनिधान के रूप में उसकी आस्तियां, उसकी कुल आस्तियों के पचास प्रतिशत से अन्यून हैं या यदि उसके विनिधान कारबार से व्युत्पन्न आय, उसकी सकल आय के अनुपात में पचास प्रतिशत से अन्यून है।''।

धारा 188 का संशोधन।

63. मूल अधिनियम की धारा 188 में,—

(i) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी कंपनी को लागू नहीं होगी, जिसमें, संख्या में, नब्बे प्रतिशत या अधिक सदस्य संप्रवर्तकों के संबंधी हैं या संबंधित पक्षकार हैं:'';

(ii) उपधारा (3) में, ''बोर्ड के विकल्प पर'' शब्दों के स्थान पर, ''यथास्थिति, बोर्ड या शेयर-धारकों के विकल्प पर'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 194 का लोप।

64. मूल अधिनियम की धारा 194 का लोप किया जाएगा।

धारा 195 का लोप।

65. मूल अधिनियम की धारा 195 का लोप किया जाएगा।

धारा 196 का संशोधन।

66. मूल अधिनियम की धारा 196 में,—

(क) उपधारा (3) के खंड (क) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि जहां कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया जाता है किन्तु प्रस्ताव के पक्ष में दिए गए मत, यदि कोई हों, प्रस्ताव के विरोध में दिए गए मत से अधिक होते हैं और केंद्रीय सरकार का बोर्ड द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी नियुक्ति कंपनी के लिए सर्वाधिक फायदाप्रद है तो उस व्यक्ति की नियुक्ति, जिसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, की जा सकेगी;'';

(ख) उपधारा (4) में, ''अनुसूची में विनिर्दिष्ट'' शब्दों के स्थान पर, ''अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 197 का संशोधन।

67. मूल अधिनियम की धारा 197 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) पहले परंतुक में, ''केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) दूसरे परंतुक में, ''साधारण, अधिवेशन में'' शब्दों के पश्चात्, ''विशेष संकल्प द्वारा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि जहां कंपनी ने किसी बैंक या लोक वित्तीय संस्था या असंपरिवर्तनीय डिबेंचरधारकों या किसी अन्य प्रतिभूत लेनदार के शोध्यों का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है, वहां कंपनी द्वारा साधारण अधिवेशन में अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पूर्व, यथास्थिति, संबंधित बैंक या लोक वित्तीय संस्था या असंपरिवर्तनीय डिबेंचरधारकों या अन्य प्रतिभूत लेनदार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा।'';

(ख) उपधारा (3) में, ''और यदि वह उपबंधों का पालन करने में समर्थ नहीं है तो केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(9) यदि कोई निदेशक प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: पारिश्रमिक के रूप में कोई ऐसी धनराशि इस धारा द्वारा विहित सीमा से अधिक या इस धारा के अधीन अपेक्षित अनुमोदन के बिना लेता है या प्राप्त करता है तो वह दो वर्ष में ऐसी कम की गई अवधि के भीतर या जो कंपनी द्वारा अनुज्ञात की जाए, कंपनी को ऐसी धनराशि का प्रतिदाय करेगा और ऐसी धनराशि का प्रतिदाय किए जाने तक उसे कंपनी के न्यास में धारण करेगा।'';

(घ) उपधारा (10) में,—

(i) ''केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात'' शब्दों के स्थान पर, ''कंपनी द्वारा, उस तारीख से, जिसको ऐसी राशि प्रतिदेय होगी, दो वर्ष के भीतर विशेष संकल्प द्वारा ऐसा अनुमोदन'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु जहां कंपनी ने किसी बैंक या लोक वित्तीय संस्था या असंपरिवर्तनीय डिबेंचर धारकों या किसी अन्य प्रतिभूत लेनदार के शोध्यों का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है, वहां कंपनी द्वारा, ऐसे अधित्यजन का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पूर्व, यथास्थिति, संबंधित बैंक या लोक वित्तीय संस्था या असंपरिवर्तनीय डिबेंचरधारकों या अन्य प्रतिभूत लेनदार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा।'';

(ङ) उपधारा (11) में, ''और यदि ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो जब तक केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त न कर लिया गया हो'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(च) उपधारा (15) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(16) कंपनी का संपरीक्षक, धारा 143 के अधीन अपनी रिपोर्ट में इस बारे में कथन करेगा कि क्या कंपनी द्वारा उसके निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक इस धारा के उपबंधों के अनुसार है, क्या किसी निदेशक को संदत्त पारिश्रमिक इस धारा के अधीन अधिकथित सीमा से अधिक है और ऐसे अन्य ब्यौरे देगा, जो विहित किए जाएं।

(17) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ से ही, इस धारा [जैसी वह ऐसे प्रारंभ के पूर्व थी] के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार को किया गया कोई आवेदन, जो उस सरकार के पास लंबित है, समाप्त हो जाएगा और कंपनी, ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर इस प्रकार संशोधित इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी।''।

धारा 198 का संशोधन।

68. मूल अधिनियम की धारा 198 में,—

(i) उपधारा (3) में,—

(क) खंड (क) में ''जो कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए हैं या बेचे गए हैं'' शब्दों के पश्चात् ''जब तक कंपनी धारा 186 के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट विनिधान कंपनी न हो'' शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(च) कोई रकम, जो वसूल न किए गए अभिलाभ, मीमांसात्मक अभिलाभ या आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन है।'';

(ii) उपधारा (4) के खंड (ठ) में, ''जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् शुरू होता है'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 200 का संशोधन।

69. मूल अधिनियम की धारा 200 में, दोनों स्थानों पर आने वाले, ''केंद्रीय सरकार या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 201 का संशोधन।

70. मूल अधिनियम की धारा 201 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''इस अध्याय'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 196'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, ''पूर्वोक्त धाराओं में से किसी के'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 196'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 216 का संशोधन।

71. मूल अधिनियम की धारा 216 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में, ''हैं या रहे हैं।'' शब्दों के स्थान पर ''हैं या रहे हैं; या'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ग) जिसका कंपनी के शेयरों में फायदाप्रद हित है या था या जो कंपनी के हिताधिकारी स्वामी या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी है या हैं या रहा है या रहे हैं।''।

धारा 223 का संशोधन।

72. मूल अधिनियम की धारा 223 की उपधारा (3) में, ''इस विषय में'' शब्दों के पश्चात्, ''सदस्यों, लेनदारों या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके हित के प्रभावित होने की संभावना है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 236 का संशोधन।

73. मूल अधिनियम की धारा 236 की उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) में, ''अंतरक कंपनी द्वारा'' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, ''ऐसी कंपनी द्वारा, जिसके शेयरों का अंतरण किया जा रहा है,'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 247 का संशोधन।

74. मूल अधिनियम की धारा 247 की उपधारा (2) के खंड (घ) में, ''आस्तियों के मूल्यांकन के दौरान किसी समय या उसके पश्चात्'' शब्दों के स्थान पर, ''मूल्यांकक के रूप में उसकी नियुक्ति से पूर्व तीन वर्ष की अवधि के दौरान या उसके द्वारा आस्तियों का मूल्यांकन किए जाने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 366 का संशोधन।

75. मूल अधिनियम की धारा 366 की उपधारा (2) में,—

(i) ''सात या अधिक सदस्यों'' शब्दों के स्थान पर, ''दो या अधिक सदस्यों'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक के खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(vii) सात से कम सदस्यों वाली कंपनी को प्राइवेट कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।''।

धारा 374 का संशोधन।

76. मूल अधिनियम की धारा 374 में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु इस भाग के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकरण किए जाने पर, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन निगमित किसी सीमित दायित्व भागीदारी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अधिनियम के अधीन बिना किसी आगे और कार्रवाई या विलेख के विघटित हो गई है।''।

2009 का 6

धारा 379 का संशोधन।

77. मूल अधिनियम की धारा 379 को उसकी उपधारा (2) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (2) के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1) धारा 380 से धारा 386 (दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) और धारा 392 तथा धारा 393 सभी विदेशी कंपनियों को लागू होंगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा, उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनियों के किसी वर्ग को धारा 380 से धारा 386 और धारा 392 तथा धारा 393 के उपबंधों में से किसी उपबंध से छूट दे सकेगी और ऐसे प्रत्येक आदेश की प्रति, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।''।

धारा 384 का संशोधन।

78. मूल अधिनियम की धारा 384 की उपधारा (2) में, ''धारा 92'' शब्द और अंकों के पश्चात्, ''और धारा 135'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 391 का संशोधन।

79. मूल अधिनियम की धारा 391 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(2) धारा 376 के उपबंधों के अंधीन रहते हुए, अध्याय 20 के उपबंध भारत में किसी विदेशी कंपनी के कारबार के स्थान को बंद करने के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो उस दशा में जब ऐसी विदेशी कंपनी ने इस अध्याय के अधीन ऐसी प्रस्थापना या प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से धनराशियां जुटायी हैं, जिनका प्रतिदाय नहीं किया गया है या जिनका मोचन नहीं किया गया है।''।

धारा 403 का संशोधन।

80. मूल अधिनियम की धारा 403 में,—

(i) उपधारा (1) के पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु जहां किसी दस्तावेज, तथ्य या सूचना को धारा 92 या धारा 137 के अधीन, यथास्थिति, प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध करना अपेक्षित है और उसे उन धाराओं में उपबंधित अवधि के भीतर, यथास्थिति, प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध नहीं किया जाता है, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधिक कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे उन धाराओं में इस प्रकार उपबंधित अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसी अतिरिक्त फीस, जैसी विहित की जाए, जो एक सौ रुपए प्रतिदिन से कम नहीं होगी और भिन्न-भिन्न वर्ग की कंपनियों के लिए भिन्न-भिन्न रकमें विहित की जा सकेंगी, के संदाय पर प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट मामलों से भिन्न मामलों में, यथास्थिति, दस्तावेज, तथ्य या सूचना को सुसंगत धारा में उपबंधित अवधि के भीतर यथास्थिति, प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध नहीं किया जाता है, वहां उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधिक कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अतिरिक्त फीस, जैसी विहित की जाए और भिन्न-भिन्न वर्ग की कंपनियों के लिए भिन्न-भिन्न रकमें विहित की जा सकेंगी, के संदाय पर, यथास्थिति, प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध किया जा सकेगा:

परंतु यह भी कि जहां दस्तावेज, तथ्य या सूचना को प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध करने में दो या अधिक अवसरों पर व्यतिक्रम किया जाता है, वहां उसे इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य विधिक कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी उच्चतर अतिरिक्त फीस, जैसी विहित की जाए और जो पहले या दूसरे परंतुक, जो भी लागू हो, के अधीन उपबंधित अतिरिक्त फीस के दुगुने से कम नहीं होगी, यथास्थिति, प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध किया जा सकेगा।'';

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(2) जहां कोई कंपनी उपधारा (1) के अधीन, सुसंगत धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व किसी दस्तावेज, तथ्य या सूचना को प्रस्तुत, फाइल, रजिस्टर या लेखबद्ध करने में असफल रहती है या कोई व्यतिक्रम करती है, वहां कंपनी और कंपनी के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने व्यतिक्रम किया है, फीस और अतिरिक्त फीस के संदाय के लिए दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी असफलता या व्यतिक्रम के लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्ति या दंड के लिए दायी होंगे।''।

धारा 406 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

81. मूल अधिनियम की धारा 406 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

निधियों और उनके उपयोजन, आदि से संबंधित उपबंध।

'406. (1) इस धारा में, ''निधि'' या ''पारस्परिक फायदा सोसाइटी'' से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी के रूप में घोषित करे।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध,—

(क) किसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी को लागू नहीं होंगे; या

(ख) किसी निधि या पारस्परिक फायदा सोसाइटी को ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होंगे, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, प्रारूप रूप में, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी और यदि दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी किए जाने का अननुमोदन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं, तो अधिसूचना, यथास्थिति,

जारी नहीं की जाएगी या केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जिसके बारे में दोनों सदन सहमत हों।

(4) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट तीस दिन की ऐसी अवधि की गणना करने में, किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जिसके दौरान उपधारा (3) में निर्दिष्ट सदन लगातार चार दिन से अधिक के लिए सत्रावसित या स्थगित रहता है।

(5) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की प्रतियां, उसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।'।

धारा 409 का संशोधन।

82. मूल अधिनियम की धारा 409 की उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) में, ''जिसमें से उसने कम से कम तीन वर्ष तक उस सेवा में भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य या उच्चतर वेतनमान में सेवा की हो'' शब्दों के स्थान पर, ''और उसने भारत सरकार के सचिव या अपर सचिव की पंक्ति का पद धारण किया हो'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ङ) परिसिद्ध योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जो औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, विनिधान और लेखाकर्म में विशेष ज्ञान और कम से कम पन्द्रह वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो।''।

धारा 410 का संशोधन।

83. मूल अधिनियम की धारा 410 में, ''अधिकरण के आदेशों'' शब्दों के स्थान पर ''अधिकरण या राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के आदेशों '' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 411 का संशोधन।

84. मूल अधिनियम की धारा 411 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) तकनीकी सदस्य साबित योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जो औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, विनिधान और लेखाकर्म में विशेष ज्ञान और कम से कम पच्चीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव रखता हो।''।

धारा 412 का संशोधन।

85. मूल अधिनियम की धारा 412 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(2) अधिकरण के सदस्यों और अपील अधिकरण के तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष;

(ख) उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठ न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति—सदस्य;

(ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय का सचिव—सदस्य; और

(घ) विधि और न्याय मंत्रालय का सचिव—सदस्य।

(2क) चयन समिति की बैठक में किसी विषय पर मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।''।

धारा 435 का संशोधन।

86. मूल अधिनियम की धारा 435 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

विशेष न्यायालयों की स्थापना।

''435. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का त्वरित विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालय स्थापित करेगी, या अभिहित करेगी, जितने आवश्यक हों।

(2) विशेष न्यायालय निम्नलिखित से मिलकर बनेंगे—

(क) इस अधिनियम के अधीन दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों की दशा में, सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने वाले एकल न्यायाधीश से; और

(ख) अन्य अपराधों की दशा में, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी, जिसकी अधिकारिता में नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है।''।

धारा 438 का संशोधन।

87. मूल अधिनियम की धारा 438 में, ''सेशन न्यायालय समझा जाएगा'' शब्दों के स्थान पर, '', यथास्थिति, सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय समझा जाएगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 439 का संशोधन।

88. मूल अधिनियम की धारा 439 की उपधारा (2) में, ''शेयरधारक'' शब्द के पश्चात्, ''या कोई सदस्य'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 440 का संशोधन।

89. मूल अधिनियम की धारा 440 में, ''सेशन न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, '', यथास्थिति, सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 441 का संशोधन।

90. मूल अधिनियम की धारा 441 की उपधारा (1) में, ''जो केवल जुर्माने से'' शब्दों के स्थान पर, ''जो केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है या जो कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 446क का अंत:स्थापन।

91. मूल अधिनियम की धारा 446 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

दंड का स्तर अवधारित करने वाले कारक।

''446क. कोई न्यायालय या विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन जुर्माने की रकम और कारावास का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित कारकों का सम्यक् ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) कंपनी का आकार;

(ख) कंपनी द्वारा किए जा रहे कारबार की प्रकृति;

(ग) लोक हित को हुई क्षति;

(घ) व्यतिक्रम की प्रकृति; और

(ङ) व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति।

एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनियों के लिए कम शास्ति।

446ख. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई एक व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनी, धारा 92 की उपधारा (5), धारा 117 की उपधारा (2) या धारा 137 की उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो ऐसी कंपनी और ऐसी कंपनी का व्यतिक्रमी अधिकारी, यथास्थिति, ऐसे जुर्माने या कारावास से या जुर्माने और कारावास से, जो ऐसी धाराओं में विनिर्दिष्ट न्यूनतम या अधिकतम, यथास्थिति, जुर्माने या कारावास या जुर्माने और कारावास के, यथास्थिति, आधे जुर्माने या कारावास या जुर्माने और कारावास से अधिक नहीं होगा, दंडनीय होगा।''।

धारा 447 का संशोधन।

92. मूल अधिनियम की धारा 447 में,—

(i) ''कपट का दोषी पाया जाता है'' शब्दों के पश्चात्, ''जिसमें कम से कम दस लाख रुपए की रकम या कंपनी के आवर्त का एक प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो, अंतर्वलित है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि जहां कपट में दस लाख रुपए से कम की रकम या कंपनी के आवर्त का एक प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो, अंतर्वलित है और कोई लोक हित अंतर्वलित नहीं है, वहां ऐसे कपट का दोषी कोई व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।''।

धारा 458 का संशोधन।

93. मूल अधिनियम की धारा 458 की उपधारा (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

———————

विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 18)

[1 अगस्त, 2018]

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1953 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और उस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध में प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) में ''वह अथवा'' शब्दों के पश्चात् ''कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे। 1963 का 47

धारा 10 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन।

''10. न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा (2) धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा।''।

धारा 11 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में, ''न्यायालय के विवेकानुसार प्रवर्तित कराया जा सकेगा'' शब्दों के स्थान पर ''कराया जाएगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 14 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी अर्थात्:—

ऐसी संविदाए, जो विनिर्दिष्टतया प्रवर्तनीय नहीं है।

''14. निम्नलिखित संविदाओं को विनिर्दिष्टतया प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, अर्थात्:—

(क) जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है;

(ख) कोई ऐसी संविदा, जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्त्तव्य का पालन अंतर्वलित है, जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता;

(ग) कोई ऐसी संविदा, जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्त्विक निबंधनों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता; और

(घ) कोई ऐसी संविदा, जो अवधारणीय प्रकृति की है।

न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति।

14क. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन किसी भी वाद में, जहां न्यायालय, वाद में अंतर्वलित किसी विनिर्दिष्ट विवाद्यक पर अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना आवश्यक समझता है, वहां वह एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा और उन्हें ऐसे विवाद्यक पर उसको रिपोर्ट करने का निदेश दे सकेगा तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए, जिसके अंतर्गत उक्त विवाद्यक पर दस्तावेजों का पेश किया जाना भी है, विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा। 1908 का 5

(2) न्यायालय किसी व्यक्ति को, विशेषज्ञ को सुसंगत सूचना देने या कोई सुसंगत दस्तावेज, माल या अन्य संपत्ति को उसके निरीक्षण के लिए पेश करने या उस तक पहुंच उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा या उसे निदेश दे सकेगा।

(3) विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय या रिपोर्ट, वाद के अभिलेख का भाग होगी; और न्यायालय या न्यायालय की अनुज्ञा से वाद का कोई भी पक्षकार वैयक्तिक रूप से विशेषज्ञ को खुले न्यायालय में उसको निर्दिष्ट या उसकी राय या रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी विषय पर या उसकी राय या रिपोर्ट के बारे में या उस रीति के बारे में, जिसमें उसने निरीक्षण किया है, परीक्षा कर सकेगा।

(4) विशेषज्ञ ऐसी फीस, खर्च या व्यय का हकदार होगा, जो न्यायालय नियत करे, जो पक्षकारों द्वारा ऐसे अनुपात में और ऐसे समय पर संदेय होंगे, जो न्यायालय निदेश करे।''।

धारा 15 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 में खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(चक) जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात् अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहां उस नई सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, जो समामेलन से उत्पन्न होती है।''।

धारा 16 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है; या'';

(ii) खंड (ग) में,—

(I) ''जो यह प्रकथन करने और साबित करने में'' शब्दों के स्थान पर, ''जो यह साबित करने में'' शब्द रखे जाएंगे;

(II) स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, ''यह प्रकथन करना होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''यह साबित करना होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 19 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 19 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(गक) जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने कोई करार किया है और तत्पश्चात् अन्य सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी में समामेलित हो जाती है, वहां वह नई सीमित दायित्व भागीदारी, जो समामेलन से उत्पन्न होती है।''।

अध्याय 2 के अधीन उपशीर्ष का संशोधन।

9. धारा 19 के पश्चात् आने वाले उपशीर्ष ''न्यायालय का विवेकाधिकार और शक्तियां'' के स्थान पर ''संविदाओं का प्रतिस्थापित पालन, आदि'' उपशीर्ष रखा जाएगा।

धारा 20 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

संविदा का प्रतिस्थापित पालन।

''20. (1) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय, जिस पर पक्षकार सहमत है, जहां संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है, वहां उस पक्षकार के पास, जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है, किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसा भंग करने वाले पक्षकार से उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपगत, व्ययनित या भुगते गए व्ययों और अन्य खर्चों को वसूल करने का, विकल्प रहेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संविदा का कोई भी प्रतिस्थापित पालन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे पक्षकार ने, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार को तीस दिन से अन्यून का लिखित में एक नोटिस, उससे ऐसे समय के भीतर संविदा का पालन करने के लिए कहते हुए, जो उस नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, नहीं दे देता हो और उसका ऐसा करने से इंकार करने या ऐसा करने में असफल रहने पर वह उसका पालन किसी तीसरे पक्षकार द्वारा या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा करा सकेगा।

परंतु वह पक्षकार, जो ऐसे भंग से पीड़ित है, उपधारा (1) के अधीन व्ययों और खर्चों को वसूल करने का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक उसने किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन न करा लिया हो।

(3) जहां संविदा के भंग से पीड़ित पक्षकार ने उपधारा (1) के अधीन नोटिस देने के पश्चात् किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या अपने स्वयं के अभिकरण द्वारा संविदा का पालन करा लिया है, वहां वह भंग करने वाले पक्षकार के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(4) इस धारा की कोई बात उस पक्षकार को, जो संविदा के भंग से पीड़ित है, भंग करने वाले पक्षकार से प्रतिकर का दावा करने से निवारित नहीं करेगी।

अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध।

20क. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद में अनुसूची में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा में न्यायालय द्वारा कोई भी व्यादेश वहां मंजूर नहीं किया जाएगा, जहां व्यादेश की मंजूरी से ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में कोई अड़चन आती हो या विलंब होता हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा, धारा 20ख और धारा 41 के खंड (जक) के प्रयोजनों के लिए, ''अवसंरचना परियोजना'' पद से अनुसूची में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं और अवसंरचना उप-सेक्टरों के प्रवर्ग अभिप्रेत हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार अवसंरचना परियोजनाओं के विकास की अपेक्षा पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचना उप-सेक्टरों के प्रवर्ग से संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या क्रमवर्ती सत्र के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते है या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते है कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् अधिसूचना यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी; तथापि अधिसूचना के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उस अधिसूचना के अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विशेष न्यायालय।

20ख. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा एक या अधिक सिविल न्यायालयों को अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं की बाबत अधिकारिता के प्रयोग के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर और इस अधिनियम के अधीन वाद का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित करेगी।

वादों का शीघ्र निपटारा।

20ग. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन फाइल किए गए किसी वाद का निपटारा न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन की तामील से बारह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा: 1908 का 5

परंतु उक्त अवधि को न्यायालय द्वारा ऐसी अवधि को बढ़ाने के लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।''।

धारा 21 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में, ''या तो अतिरिक्त या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 25 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 25 में, ''माध्यस्थम् अधिनियम 1940'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996'' शब्द और अंक रखे जाएंगे। 1940 का 10 1996 का 26

धारा 41 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 41 में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(जक) यदि उससे किसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन आती है या विलंब होता है अथवा उससे संबंधित सुसंगत सुविधा की सतत् व्यवस्था में या ऐसी परियोजना की विषय-वस्तु होने के कारण सेवाओं में हस्तक्षेप होता है।''।

14. मूल अधिनियम के भाग 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— अनुसूची का अंत: स्थापन।

'अनुसूची

[धारा 20क और धारा 41 (जक) देखिए]

परियोजनाओं और अवसंरचना उप-सेक्टरों के प्रवर्ग

क्र॰ सं॰	प्रवर्ग	अवसंरचना उप-सेक्टर
1	2	3
1.	परिवहन	(क) सड़क और पुल
		(ख) पत्तन (जिसके अंतर्गत कैपिटल झमाई भी है)
		(ग) पोतप्रांगण (जिसके अंतर्गत तटीय नगरभाग, घुमावदार बेसिन, घाट पर लगाने और डाकिंग सुविधा, जलांतरण मंच या पोत उत्थापक की आवश्यक विशेषताओं सहित प्लवमान या भू-आधारित सुविधा भी है और जो पोत निर्माण/मरम्मत/भंजन क्रियाकलाप करने के लिए स्व:पर्याप्त है)
		(घ) अंतरदेशीय जलमार्ग
		(ङ) विमानपत्तन
		(च) रेल पटरी, सुरंग, सेतु, पुल, टर्मिनल अवसंरचना, जिसके अंतर्गत स्टेशन और पार्श्व वाणिज्यिक अवसंरचना भी है
		(छ) नगरीय पब्लिक परिवहन (नगरीय सड़क परिवहन की दशा में रोलिंग स्टाक के सिवाय)
2.	ऊर्जा	(क) विद्युत उत्पादन
		(ख) विद्युत पारेषण
		(ग) विद्युत वितरण
		(घ) तेल पाइपलाइन
		(ङ) तेल/गैस/द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा (जिसके अंतर्गत कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण भी है)
		(च) गैस पाइपलाइन (जिसके अंतर्गत नगर गैस वितरण नेटवर्क भी है)
3.	जल और स्वच्छता	(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
		(ख) जल प्रदाय पाइपलाइन
		(ग) जल उपचार संयंत्र
		(घ) मल एकत्रण उपचार और निस्तारण प्रणाली
		(ङ) सिंचाई (बाँध, जलसरणी, तटबंध, आदि)
		(च) तूफान जल निकास प्रणाली
		(छ) गारे की पाइपलाइन

1	2	3
4.	संचार	(क) दूर संचार (स्थिर नेटवर्क, जिसके अंतर्गत आप्टिक फाइबर, तार, केबल नेटवर्क भी है, जो ब्राडबैंड और इंटरनेट उपलबध कराते है) (ख) दूर संचार टावर (ग) दूर संचार और दूरभाष सेवाएं
5.	सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	(क) शिक्षा संस्थाएं (पूंजी स्टाक) (ख) खेल-कूद अवसंरचना (जिसके अंतर्गत खेलों और खेल संबंधी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए अकादमियों हेतु खेल स्टेडियम और अवसंरचना का उपबंध भी है) (ग) अस्पताल (पूंजी स्टाक, जिसके अंतर्गत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पैरा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थाएं और निदान केंद्र भी हैं) (घ) पर्यटन अवसंरचना, अर्थात् (i) दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों के बाहर अवस्थित तीन सितारा या उच्चतर प्रवर्ग के वर्गीकृत होटल; (ii) रज्जू मार्ग और केबल कार (ङ) औद्योगिक क्रियाकलाप, जैसे खाद्य पार्क, टैक्सटाइल पार्क, विशेष आर्थिक जोन, पर्यटन सुविधाओं और कृषि बाजारों वाले औद्योगिक पार्कों, अन्य पार्कों के लिए सामूहिक अवसंरचना (च) कृषि और बागान उत्पाद के लिए पश्च-फसल भंडारण अवसंरचना, जिसके अंतर्गत शीत भंडारण भी है (छ) टर्मिनल बाजार (ज) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं (झ) शीत श्रृंखला (जिसके अंतर्गत कृषि स्तरीय पूर्व शीतकरण के लिए, कृषि और सहयुक्त उत्पाद, सामुद्रिक उत्पाद और मांस के परिरक्षण या भंडारण के लिए शीत कक्ष सुविधा भी है) (ञ) सस्ते आवास (जिसके अंतर्गत साठ वर्गमीटर से अनधिक कारपेट क्षेत्र वाले आवास यूनिटों के लिए कम से कम पचास प्रतिशत फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ॰ए॰आर॰)/फर्शी स्थान सूचकांक (एफ॰एस॰आई॰) का उपयोग करने वाली आवास परियोजना भी है) **स्पष्टीकरण**-इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, ''कारपेट क्षेत्र'' पद का वही अर्थ होगा, जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है।'।

स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 19)

[2 अगस्त, 2018]

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 का निरसन करने और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 और हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 का निरसन

निरसन और व्यावृत्तियां।

2. (1) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 और हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1959 का 38 1956 का 79

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन हैदराबाद का स्टेट बैंक, बीकानेर और जयपुर स्टेट बैंक, मैसूर स्टेट बैंक, पटियाला स्टेट बैंक और त्रावणकोर स्टेट बैंक द्वारा या हैदराबाद का स्टेट बैंक अधिनियम, 1956 के उपंबधों के अधीन हैदराबाद का स्टेट बैंक द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत किया गया कोई करार भी है, प्रवृत्त बनी रहेगी और इस प्रकार प्रभावी होगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित न किया गया हो। 1959 का 38 1956 का 79

(3) निरसन के प्रभाव के संबंध में, उपधारा (2) में की विशिष्टियों का उल्लेख, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या उसे प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। 1897 का 10

अध्याय 3

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन।

3. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ज) का लोप किया जाएगा। 1955 का 23

धारा 18 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में '' जिसके अंतर्गत समनुषंगी बैंक से संबंधित कृत्य आते हैं'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 31 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) में ''अथवा समनुषंगी बैंक का निदेशक है'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 31क का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 31क की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) में ''अथवा समनुषंगी बैंक का निदेशक है'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 32 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 32 में,—

(क) उपधारा (1) में ''अथवा जहां समनुषंगी बैंक की शाखा है'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (4) में ''या समनुषंगी बैंक के द्वारा'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 36 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (कक) का लोप किया जाएगा।

———————

परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 20)

[2 अगस्त, 2018]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

नई धारा 143क का अंत:स्थापन।

2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 143 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1881 का 26

अंतरिम प्रतिकर का निदेश देने की शक्ति।

''143क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीवाल को— 1974 का 2

(क) संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहां उसने परिवाद में किए गए अभियोग का दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया हो; और

(ख) अन्य किसी मामले में, आरोप विरचित किए जाने पर,

परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) अंतरिम प्रतिकर का संदाय, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, किया जाएगा।

(4) यदि चेक के लेखीवाल को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा।

(5) इस धारा के अधीन संदेय अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानो यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना था। 1974 का 2

(6) धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी।''। 1974 का 2

नई धारा 148 का अंत:स्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 147 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति।

''148. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध लेखीवाल द्वारा की गई किसी अपील में अपील न्यायालय, अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा कराने का आदेश कर सकेगा, जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माना या प्रतिकर का न्यूनतम बीस प्रतिशत होगी: 1974 का 2

परन्तु इस धारा के अधीन संदेय रकम, धारा 143क के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त किसी भी अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, जमा कराई जाएगी।

(3) अपील न्यायालय, अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का निदेश दे सकेगा:

परंतु यदि अपीलार्थी दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय, परिवादी को, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित इस प्रकार दी गई रकम का अपीलार्थी को प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा।''।

———

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 21)

[9 अगस्त, 2018]

स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 7 का संशोधन।

1952 का 30

2. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और 14 मार्च, 1952 से अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी निर्णय या आदेश के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को इस आधार पर अपास्त करते हुए कि ऐसे स्वामी

या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो संपत्ति में हितबद्ध हो, हेतुक दर्शित करने का या वैयक्तिक सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था, सुनवाई का अवसर दिए जाने के प्रयोजन के लिए स्वामी या संपत्ति में हितबद्ध ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना पुनः जारी कर सकेगी:

परंतु जहां सूचना पुनः जारी की जाती है, वहां स्वामी या संपत्ति में हितबद्ध ऐसा अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर पर पहली सूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के अंतिम संदाय किए जाने तक ब्याज की उसी वार्षिक दर का हकदार होगा, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (छ) के अधीन यथा परिभाषित, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्थापित घरेलू नियतकालिक निक्षेप पर किसी सुसंगत समय पर विद्यमान थी: 1955 का 23

परंतु यह और कि स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज सहित या रहित कोई वर्धित प्रतिकर इस उपधारा के अधीन सूचना के पुनः जारी किए जाने के अध्यधीन होगा और भूमि के उन मामलों को ही लागू होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही है:

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों पर, जहां इस अधिनियम के अधीन अंतिम अधिनिर्णय किया गया है और उसका प्रतिकर स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ के पहले, स्वामी या संपत्ति में हितबद्ध ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहण कर लिया गया है, पुनः विचार नहीं किया जाएगा।''।

———————

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 22)

[11 अगस्त, 2018]

भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह 21 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2

भारतीय दंड संहिता का संशोधन

धारा 166क का संशोधन।

1860 का 45

2. भारतीय दंड संहिता, (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 166क के खंड (ग) में, ''धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 228क का संशोधन।

3. दंड संहिता की धारा 228क की उपधारा (1) में, ''धारा 376क, 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 376 का संशोधन।

4. दंड संहिता की धारा 376 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के खंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा:

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा।''।

नई धारा 376कख का अंत:स्थापन।

5. दंड संहिता की धारा 376क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए दंड।

''376कख. जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से, अथवा मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा:

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा।''।

नई धारा 376घक और धारा 376घख का अंत:स्थापन।

6. दंड संहिता की धारा 376घ के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड।

''376घक. जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए सोलह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से दंडनीय होगा:

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा।

376घख. जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बारह वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से अथवा मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा: बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड।

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा।''।

7. दंड संहिता की धारा 376ङ में, ''धारा 376घ'' शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर, ''धारा 376कख या धारा 376घ या धारा 376घक या धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 376ङ का संशोधन।

अध्याय 3
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन

1872 का 1

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् साक्ष्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 53क में, ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 53क का संशोधन।

9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के परंतुक में, ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 146 का संशोधन।

अध्याय 4
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

1974 का 2

10. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) की धारा 26 के खंड (क) के परंतुक में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 26 का संशोधन।

11. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) में,— धारा 154 का संशोधन।

(i) पहले परंतुक में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) दूसरे परंतुक के खंड (क) में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 161 का संशोधन।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 164 का संशोधन।

धारा 173 का संशोधन।

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में,—

(i) उपधारा (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ङ के अधीन बालिका के साथ बलात्संग के अपराध के संबंध में अन्वेषण उस तारीख से, जिसको पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी, दो मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा।''; 1860 का 45

(ii) उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (ज) में, ''धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर ''धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 197 का संशोधन।

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में ''धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ'', शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 309 का संशोधन।

16. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) के परंतुक में ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण, यथासंभव'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376क, धारा 376 कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, या धारा 376घख के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। 1860 का 45

धारा 327 का संशोधन।

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उपधारा (2) में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, घारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 357ख का संशोधन।

18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ख में ''भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या घारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 376कख, धारा 376घ, धारा 376घक और धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। 1860 का 45

धारा 357ग का संशोधन।

19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ग में ''धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 374 का संशोधन।

20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ङ के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।''। 1860 का 45

धारा 377 का संशोधन।

21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4) जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376घक, धारा 376घख या धारा 376ङ के अधीन पारित किसी दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है, तो अपील का निपटारा, ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।''। 1860 का 45

धारा 438 का संशोधन।

22. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1860 का 45

''(4) इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376कख या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन अपराध किए जाने के अभियोग में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की किसी भी दशा में लागू नहीं होगी।''।

धारा 439 का संशोधन।

23. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 में,—

(क) उपधारा (1) में पहले परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1860 का 45

''परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या धारा 376कख या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन विचारणीय किसी अपराध का अभियुक्त है, जमानत लेने के पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना, ऐसे आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लोक अभियोजक को देगा।'';

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1860 का 45

''(1क) भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (3) या 376कख या धारा 376घक, या धारा 376घख के अधीन व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन की सुनवाई के समय इत्तिला देने वाले या उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति बाध्यकर होगी।''।

पहली अनुसूची का संशोधन।

24. दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में, ''1. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध'' शीर्ष के अधीन—

(क) धारा 376 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा	अपराध	दंड	संज्ञेय या असंज्ञेय	जमानतीय या अजमानतीय	किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
1	2	3	4	5	6
''376	बलात्संग	कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, सुधार गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारिवृन्द में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र या कर्मचारिवृन्द में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति जिससे बलात्संग किया गया है, विश्वास या प्राधिकार की हैसियत रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे	कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

1	2	3	4	5	6
	बलात्संग किया गया है,किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग				
	सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाले व्यक्ति	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास किन्तु, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।'';

(ख) धारा 376क से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
376कख	बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग का अपराध करने वाला व्यक्ति	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है और जुर्माना अथवा मृत्यु दंड	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।'';

(ग) धारा 376घ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
376घक	सोलह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय;
376घख	बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है और जुर्माना अथवा मृत्यु दंड	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।''।

अध्याय 5

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का संशोधन

2012 के अधिनियम सं॰ 32 की धारा 42 का संशोधन।

25. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 में, ''धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 376क, धारा 376कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्ति।

26. (1) दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

2018 का अध्यादेश सं॰ 2
1860 का 45
1872 का 1
1974 का 2
2012 का 32

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 23)

[13 अगस्त, 2018]

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) इसे 18 मई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1973 का 59

नई धारा 3क, धारा 3ख और धारा 3ग का अंत:स्थापन। केंद्रीय सरकार की, केंद्रीय परिषद् को अधिक्रांत करने और शासी बोर्ड गठित करने की शक्ति।

2. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

'3क. (1) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ से ही केंद्रीय परिषद् अधिक्रांत हो जाएगी और केंद्रीय परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे और किसी भी प्रकार के प्रतिकर का कोई दावा नहीं करेंगे।

(2) केंद्रीय परिषद्, उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय परिषद् के अधिक्रमण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 3 के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय परिषद् के अधिक्रमण पर और धारा 3 के अनुसार नई परिषद् गठित किए जाने तक उपधारा (4) के अधीन गठित शासी बोर्ड इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा।

(4) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक शासी बोर्ड गठित करेगी जिसमें सात से अनधिक सदस्य होंगे, जो होम्योपैथी तथा होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त और अधिक्षेपातीत

सत्यनिष्ठा वाले तथा ख्यातिप्राप्त प्रशासक होंगे, जो या तो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य या उसके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदेन सदस्य हो सकेंगे, जिनमें से एक का चयन केंद्रीय सरकार द्वारा शासी बोर्ड के सभापति के रूप में किया जाएगा।

(5) पदेन सदस्यों से भिन्न सभापति और अन्य सदस्य, ऐसी बैठक फीस तथा यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

(6) शासी बोर्ड ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो केंद्रीय परिषद् को लागू हैं।

(7) शासी बोर्ड की बैठकों में गणपूर्ति उसके दो-तिहाई सदस्यों से होगी।

(8) शासी बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगी कि—

(क) शासी बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) शासी बोर्ड की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जिससे मामले के गुणागुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो।

(9) शासी बोर्ड के समक्ष विनिश्चय के लिए आने वाले किसी मामले में कोई वित्तीय या अन्य हित रखने वाला कोई सदस्य इससे पहले कि वह शासी बोर्ड की ऐसी कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किया जाए, उस विषय में अपना हित प्रकट करेगा।

(10) शासी बोर्ड का सभापति और अन्य सदस्य, केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेंगे।

अधिनियम के कतिपय उपांतरण।

3ख. उस अवधि के दौरान, जब केंद्रीय परिषद् अधिक्रांत रहती है,—

(क) अधिनियम के उपबंधों का अर्थान्वयन इस प्रकार किया जाएगा मानो ''केंद्रीय परिषद्'' शब्दों के स्थान पर, ''शासी बोर्ड'' शब्द रख दिए गए हों;

(ख) शासी बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंध इस उपांतरण के अधीन प्रभावी होंगे कि उसमें केंद्रीय परिषद् के प्रतिनिर्देशों का अर्थ शासी बोर्ड के प्रतिनिर्देशों के रूप में लगाया जाएगा।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

3ग. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी बोर्ड या अपने पुनर्गठन के पश्चात् केंद्रीय परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में नीति के ऐसे प्रश्न पर, जो तकनीकी और प्रशासनिक विषयों से संबंधित होने से भिन्न हैं, ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होंगे, जो केंद्रीय सरकार समय-समय पर लिखित में दे:

परंतु शासी बोर्ड को या अपने पुनर्गठन के पश्चात् केंद्रीय परिषद् को इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पहले यथाशाध्य अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) इस बात पर कि क्या कोई प्रश्न नीति विषयक है या नहीं, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।'।

नई धारा 12 ग का अंत:स्थापन। कतिपय विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अनुज्ञा की मांग करने के लिए समय।

3. मूल अधिनियम की धारा 12ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''12ग. (1) यदि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले किसी व्यक्ति ने किसी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की है या किसी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ किया गया है या प्रवेश क्षमता में वृद्धि की गई है, तो, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय उक्त प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीय परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा की मांग करेगा।

(2) यदि, यथास्थिति, कोई व्यक्ति या होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा की मांग करने में असफल होता है, तो धारा 12ख के उपबंध, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे मानो केंद्रीय सरकार ने उससे इंकार कर दिया है।''।

निरसन और व्यावृत्ति।

4. (1) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 निरसित किया जाता है। 2018 का अध्यादेश सं॰ 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

———————

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 24)

[14 अगस्त, 2018]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

निरसन और व्यावृत्तियां।

1993 का 27

2. (1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 को निरसित किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग समाप्त हो जाएगा।

1993 का 27

(2) तथापि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 का निरसन,—

(i) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन को या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात; या

(ii) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(iii) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन की बाबत उपगत किसी शास्ति, अधिहरण या दंड; या

(iv) यथा पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, अधिहरण या दंड की बाबत किसी कार्यवाही या उपचार,

को प्रभावित नहीं करेगा तथा ऐसी किसी कार्यवाही या उपचार को इस प्रकार प्रारंभ किया, जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकेगा और ऐसी किसी शास्ति, अधिहरण या दंड को इस प्रकार अधिरोपित या दिया जा सकेगा मानो उस अधिनियम को निरसित नहीं किया गया था।

(3) निरसन के प्रभाव की बाबत, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषयों के उल्लेख को साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने के प्रतिकूल या प्रभावित करने वाला अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा। 1897 का 10

———————

राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 25)

[17 अगस्त, 2018]

सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए चुनी हुई खेलकूद विद्या शाखाओं के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन और खेलकूद कोचिंग के क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए मणिपुर राज्य में एक राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय, जो अपने प्रकार का प्रथम विशिष्ट विश्वविद्यालय है, की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा।

(3) इसे 31 मई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विद्या और गतिविधि परिषद्'' से विश्वविद्यालय की विद्या और गतिविधि परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृंद'' से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं;

(ग) ''खेलकूद अध्ययन बोर्ड'' से विश्वविद्यालय के किसी विभाग का खेलकूद अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''कुलाधिपति'' से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(ङ) ''महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाए जाने वाला या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या कोई अन्य शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;

(च) ''सभा'' से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(छ) ''विभाग'' से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केन्द्र है;

(ज) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद आते हैं;

(झ) ''कार्य परिषद्'' से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(ञ) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ट) ''निधि'' से धारा 30 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय निधि अभिप्रेत है;

(ठ) ''छात्र निवास'' से विश्वविद्यालय या दूरस्थ कैंपस या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की इकाई अभिप्रेत है;

(ड) ''विभागाध्यक्ष'' से विश्वविद्यालय के किसी शिक्षण विभाग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ढ) ''संस्था'' से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त कोई शिक्षण संस्था, जो महाविद्यालय नहीं है, अभिप्रेत है;

(ण) ''दूरस्थ कैंपस'' से विश्वविद्यालय का ऐसा कैंपस अभिप्रेत है, जो उसके द्वारा भारत में या भारत के बाहर स्थापित किया जाए;

(त) ''प्राचार्य'' से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जहां कोई प्राचार्य नहीं है, वह व्यक्ति, जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से तत्समय नियुक्त किया गया है और प्राचार्य या कार्यवाहक प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस प्रकार सम्यक् रूप से नियुक्त उप-प्राचार्य अभिप्रेत है;

(थ) ''क्षेत्रीय केन्द्र'' से किसी क्षेत्र में अध्ययन केन्द्रों के कार्य के समन्वय और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो कार्य परिषद् द्वारा ऐसे केन्द्रों को प्रदत्त किए जाएं, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या चलाए जाने वाला कोई केन्द्र अभिप्रेत है;

(द) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए तत्समय प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत हैं;

(ध) ''विद्यापीठ'' से विश्वविद्यालय में अध्यापन का विद्यापीठ अभिप्रेत है;

(न) ''धारा'' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(प) ''राज्य'' के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र भी है;

(फ) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' से विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त क्रमशः परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(ब) ''अध्ययन केंद्र'' से सलाह, परामर्श, प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, चलाए जाने वाला या मान्यताप्राप्त कोई केंद्र अभिप्रेत है;

(भ) ''विश्वविद्यालय के शिक्षक'' से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय या दूरस्थ कैंपस में विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किए जाएं और जिन्हें अध्यादेश द्वारा शिक्षक के रूप में अभिहित किया जाता है;

(म) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(य) ''कुलपति'' से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

विश्वविद्यालय की स्थापना।

3. (1) ''राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय मणिपुर राज्य में होगा और वह भारत में ऐसे अन्य स्थानों पर दूरस्थ कैंपस, महाविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकेगा और चला सकेगा, जो वह उचित समझे:

परंतु विश्वविद्यालय, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत के बाहर भी दूरस्थ कैंपस और अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकेगा।

(3) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बने, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें, ''राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय'' के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और इसकी मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

(i) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के संस्थान के रूप में विकसित होना;

(ii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा खेलकूद की उच्च प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करके, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में अनुसंधान और विकास तथा ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था करना;

(iii) खेलकूद जिसके अंतर्गत पारंपरिक और जनजातीय खेलकूद और खेल भी हैं, की अभिवृद्धि के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना;

(iv) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कलात्मक शैक्षणिक प्रशिक्षण देने और अनुसंधान तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता के केंद्र और संस्थाएं स्थापित करना;

(v) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में अन्य संस्थाओं को वृत्तिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना;

(vi) शारीरिक शिक्षा, खेलकूद विज्ञान, खेलकूद चिकित्सा, खेलकूद प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक मार्गदर्शन और स्थानन सेवाएं प्रदान करना;

(vii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल और सामर्थ्य के विकास के लिए क्षमताएं उत्पन्न करना;

(viii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों

के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक की अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए क्षमताएं उत्पन्न करना;

(ix) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में उच्च अर्हता प्राप्त वृत्तिकों को तैयार करना;

(x) सभी खेलकूद और खेलों के सर्वोत्कृष्ट और अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्टता और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में उत्तरोत्तर नवीनता तथा अनुसंधान को कार्यान्वित, पृष्ठांकित और प्रचारित करने के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना;

(xi) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में ज्ञान और विकास के लिए प्रमुख संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना;

(xii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग उपलब्ध कराना;

(xiii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी तथा सभी खेलकूद और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयोजन के लिए खेलकूद अकादमियों, विद्यापीठों, महाविद्यालयों, खेलकूद और मनोरंजन क्लबों, खेलकूद संगमों और अंतरराष्ट्रीय परिसंघों के साथ निकट संबंध स्थापित करना;

(xiv) प्रतिभाशाली एथलीटों को प्रशिक्षित करना, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्कृष्ट एथलीटों के रूप में उभरने में सहायता की जा सके;

(xv) भारत को खेलकूद शक्ति बनाना;

(xvi) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य।

5. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(i) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञानों में, जिसके अंतर्गत खेलकूद प्रौद्योगिकी भी है, अध्ययन पाठ्यक्रमों की योजना बनाना, उनको डिजाइन, विकसित और विहित करना तथा समुचित शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(ii) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना और अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना;

(iii) विश्वविद्यालय के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों, राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों, भारतीय ओलम्पिक संघ तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ के समन्वय से खेल प्रतियोगिताओं और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करना;

(iv) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक संगठनों या निकायों से संपर्क या उनकी सदस्यता रखना;

(v) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे दूरस्थ कैंपस, क्षेत्रीय केंद्र, विशेषीकृत प्रयोगशालाएं या अनुसंधान के लिए अन्य इकाइयां, शिक्षण और प्रशिक्षण स्थापित करना और चलाना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(vi) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति में अध्ययन केंद्र स्थापित करना, चलाना और उनको मान्यता देना;

(vii) महाविद्यालय, संस्थाएं और छात्र निवास स्थापित करना और चलाना;

(viii) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक डिग्रियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;

(ix) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना तथा ऐसे प्राचार्य पदों, आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(x) किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्था, जिसके अंतर्गत देश से बाहर स्थित विश्वविद्यालय या संस्था भी हैं, में कार्य करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में करना;

(xi) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xii) उच्चतर शिक्षा के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था, जिसके अंतर्गत देश से बाहर स्थित अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था भी है, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xiii) ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना;

(xiv) शैक्षणिक मानकों की वृद्धि तथा अनुसंधान के लिए अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xv) बाहरी अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तारी सेवाओं को आयोजित करना और उसका जिम्मा लेना;

(xvi) अनुसंधान और सलाहकारी सेवाओं के लिए उपबंध करना तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों के साथ ऐसे ठहराव करना, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xvii) शिक्षकों, मूल्यांककों, अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और छात्रों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;

(xix) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति भी हो सकेगी;

(xx) फीसों और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xxi) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxii) सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है;

(xxiii) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(xxiv) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(xxv) उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(xxvi) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(xxvii) शारीरिक शिक्षा, खेलकूद विज्ञानों, खेलकूद चिकित्सा, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंध के क्षेत्रों में और अन्य संबंधित क्षेत्रों में नए प्रयोग करना और नई पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकियों की अभिवृद्धि करना;

(xxviii) ऐसी किसी भूमि या भवन या खेलकूद प्रक्षेत्र या खेलकूद अवसंरचना और वैज्ञानिक खेलकूद अनुसंधान उपस्कर या इनडोर स्टेडियम या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, का ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक और उचित समझे, क्रय करना या उन्हें पट्टे पर लेना तथा ऐसे किसी भवन या संकर्म का संनिर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना और उसका रखरखाव करना;

(xxix) किसी नए सहबद्ध पाठ्यक्रम या अनुसंधान कार्यक्रम या डिप्लोमा या प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरंभ तथा किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम को बंद करना;

(xxx) विश्वविद्यालय की निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान करना और समय-समय पर ऐसी रीति में जो वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे, किसी विनिधान को स्थानांतरित करना;

(xxxi) विश्वविद्यालय से संबंधित या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाने वाली जंगम या स्थावर संपत्ति की बाबत, जिसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियां भी हैं, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेकर अंतरणों, बंधकों, पट्टों, अनुज्ञप्तियों, करारों और अन्य हस्तांतरणों के संबंध में हस्तांतरण पत्र निष्पादित करना;

(xxxii) खेलकूद से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार और अन्य राष्ट्रीय संगठनों, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेलकूद परिसंघों की तकनीकी सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना;

(xxxiii) विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और अन्य सहायता प्रदान करना;

(xxxiv) खेलो इंडिया स्कीम या नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च एंड आइडेंटीफिकेशन स्कीम के अधीन उपबंधित कार्य विधि और मानकों को प्रभावी बनाना;

(xxxv) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति में किसी महाविद्यालय या किसी संस्था को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(xxxvi) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं, भारत में या भारत के बाहर किसी भी महाविद्यालय या संस्था को अपने विशेषाधिकार प्रदान करना:

परंतु किसी भी महाविद्यालय या संस्था को केंन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय ऐसे विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे;

(xxxvii) शैक्षणिक और प्रशिक्षण सामग्रियों की निर्मितियों की व्यवस्था करना, जिसके अंतर्गत फिल्म, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट और अन्य साफ्टवेयर भी हैं;

(xxxviii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने के लिए व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना; और

(xxxix) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

(2) विश्वविद्यालय की, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर दूरस्थ कैंपसों और अध्ययन केंद्रों पर, अधिकारिता होगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय का शिक्षण और अनुसंधान और प्रशिक्षण के अखिल भारतीय स्वरूप और उच्च मानक रखने का प्रयास होगा तथा विश्वविद्यालय ऐसे अन्य उपायों में, जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, विशिष्टतया निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:—

(i) छात्रों के प्रवेश और संकाय की भर्ती, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित समुचित प्रक्रियाओं के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर किए जाएंगे;

(ii) विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में प्रवेश, भारत सरकार की नीति और स्कीम तथा राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित कार्य विधि के अनुसार दिया जाएगा;

(iii) संवहनीय पेंशन स्कीम, यदि कोई हो, के फायदे तथा ज्येष्ठता के संरक्षण सहित संकाय की अंतर-विश्वविद्यालय गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जाएगा;

(iv) सेमेस्टर पद्धति, निरंतर मूल्यांकन और विकल्प आधारित ख्याति पद्धति को प्रविष्ट किया जाएगा और विश्वविद्यालय ख्याति अंतरण तथा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार करेगा;

(v) आवधिक पुनर्विलोकन और पुनर्संरचना के लिए उपबंध सहित अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार करेगा;

(vi) विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक क्रियाकलापों में, जिसके अंतर्गत शिक्षकों का मूल्यांकन भी है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा;

(vii) राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन अभिप्राप्त किया जाएगा; और

(viii) प्रभावी प्रबंध सूचना सहित ई-गवर्नेंस को पुर:स्थापित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का सभी जातियों, पंथों, मूलवंशों या वर्गों के लिए खुला होना।

6. विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति का हकदार बनाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लेने या वहां का स्नातक होने या उसके किसी अन्य विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड को अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें:

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय की महिलाओं, दिव्यांगजनों या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसा कोई विशेष उपबंध अधिवास के आधार पर नहीं किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन किया जाना।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा संचालित दूरस्थ कैंपस, महाविद्यालय, संस्थाएं, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र भी हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर केंन्द्रीय सरकार, उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् का विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगी और ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझें और विश्वविद्यालय ऐसी कार्रवाई का पालन करेगा और ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, खेलकूद प्रक्षेत्रों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी दूरस्थ कैंपस या महाविद्यालय या संस्था और क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित

की गई परीक्षाओं, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं या क्षेत्रीय केंद्रों या अध्ययन केंद्रों के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में किए जाने वाले निरीक्षण या जांच को करवाने की अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगी और विश्वविद्यालय को, केन्द्रीय सरकार को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकेगी, जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(5) जहां, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है, वहां विश्वविद्यालय , एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(6) केंद्रीय सरकार, यदि विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए गए किसी दूरस्थ कैंपस या महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केद्र की बाबत निरीक्षण या जांच की जाती है, तो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम और उस पर की जाने वाली कार्रवाई की बाबत ऐसे विचारों और सलाह सहित, जो केन्द्रीय सरकार प्रस्थापित करे, कुलपति को लिख सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा संबोधन किए जाने की प्राप्ति पर कुलपति, केंद्रीय सरकार के विचारों और उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर ऐसी सलाह, जो केन्द्रीय सरकार प्रस्थापित करे, को कार्य परिषद् को संसूचित करेगा।

(7) कार्य परिषद्, ऐसी कार्रवाई , यदि कोई हो, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों पर करने के लिए वह प्रस्थापना करती है या उसके द्वारा की गई है, कुलपति के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को संसूचित करेगी।

(8) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करती है, वहां केन्द्रीय सरकार कार्य परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो वह उचित समझे और कार्य परिषद् ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभाव कर सकेगी, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों के संगत नहीं हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश करने से पहले वह कुलपति को यह कारण बताने के लिए कहेगी कि क्यों न ऐसा आदेश किया जाए और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगी।

(10) केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय के कार्यों के संबंध में ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(घ) कुलसचिव;

(ङ) वित्त अधिकारी;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति।

9. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है, तो डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और अन्य औपचारिक समारोहों तथा सभा के अधिवेशनों में पीठासीन होगा।

कुलपति।

10. (1) कुलपति की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा ऐसे मामले में की गई कार्रवाई से उस प्राधिकरण को अवगत कराएगा:

परंतु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह ऐसा मामला केंद्रीय सरकार को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और कि विश्वविद्यालय में सेवारत ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन, कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है या किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकरण से अपने विनिश्चय को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकरण उस विनिश्चय को पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

संकायाध्यक्ष।

11. प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलसचिव।

12. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

वित्त अधिकारी।

13. वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परीक्षा नियंत्रक।

14. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

15. पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अन्य अधिकारी।

16. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(क) सभा;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) विद्या और गतिविधि परिषद्;

(घ) खेलकूद अध्ययन बोर्ड;

(ङ) वित्त समिति;

(च) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

सभा।

18. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) केंद्रीय सरकार को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कार्य परिषद्।

19. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विद्या और गतिविधि परिषद्।

20. (1) विद्या और गतिविधि परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के साथ समन्वय और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी।

(2) विद्या और गतिविधि परिषद् का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु विद्या और गतिविधि परिषद् में ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिन्होंने ओलंपिक या विश्व चैम्पियनशिप में विशिष्टताएं प्राप्त की हैं।

खेलकूद अध्ययन बोर्ड।

21. खेलकूद अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

वित्त समिति।

22. वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण।

23. ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

परिनियम बनाने की शक्ति।

24. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्त्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की शर्तें;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन,बीमा और भविष्य निधि के उपबंध, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ट) विद्यापीठों, विभागों, केन्द्रों, छात्र-निवासों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना और समाप्ति;

(ठ) सम्मानिक डिग्रियों का प्रदान किया जाना:

(ड) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों का प्रदान किया जाना और उन्हें वापस लिया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संचालित महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों का प्रबंध;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकें।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

25. (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम वे हैं, जो इस अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) कार्य परिषद्, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन नहीं करेगी या उनका निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकरण को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले परिनियमों को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा और जब तक ऐसा अनुमोदन न कर दिया जाए, वे अविधिमान्य रहेंगे।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद के तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु केंद्रीय सरकार, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, बना सकेगी और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगी और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो केंद्रीय सरकार, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् यथोचित रूप से परिनियमों को बना सकेगी या उन्हें संशोधित कर सकेगी।

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

26. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उनकी अवधि;

(ग) शिक्षण और परीक्षा माध्यम;

(घ) डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और अभिप्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष इंतजाम , यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करना;

(ञ) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ट) विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत निकाय या संगम भी है, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ठ) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, संरचना और उसके कृत्य;

(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृतियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ढ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(ण) अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या किया जाए।

(2) प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे।

विनियम।

27. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट।

28. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टीका टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, यथाशीघ्र, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

29. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों सहित, सभा और केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए कोई भी संप्रेक्षण सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हो, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) केंद्रीय सरकार, यथाशीघ्र, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय की निधि।

30. (1) एक विश्वविद्यालय निधि होगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ग) सरकार, अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों द्वारा किया गया कोई भी अंशदान;

(घ) कोई भी ऋण, दान, वसीयत, संदान, विन्यास या अन्य अनुदान, यदि कोई हो;

(ङ) फीसों और प्रभारों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आय;

(च) सहयोगी उद्योगों से, विश्वविद्यालय के प्रायोजित पदों, अध्येतावृत्तियों या अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच हुए सहमति-पत्र के उपबंधों के निबंधनानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धन; और

(छ) किसी अन्य स्रोत से किसी अन्य रीति से प्राप्त रकम।

(2) विश्वविद्यालय की सभी निधियां, ऐसे बैंकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति में उनका विनिधान किया जाएगा, जो बोर्ड वित्त समिति की सिफारिशों पर विनिश्चित करे।

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का उपयोग, विश्वविद्यालय के खर्चों के लेखे, जिसके अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय की शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत खर्चे भी हैं, किया जाएगा।

विवरणी और सूचना।

31. विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और अन्य सूचना देगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

कर्मचारी, इत्यादि की सेवा की शर्तें।

32. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति लिखित संविदा के अधीन की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचार का उपभोग करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा। 1996 का 26

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

33. (1) किसी परीक्षा का कोई छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, वह ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

(2) विश्विविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार।

34. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या पोषित किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी क्षेत्रीय केंद्र या किसी अध्ययन केंद्र के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र के प्राचार्य के किसी विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

भविष्य निधि और पेंशन निधि।

35. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या उसी प्रकार की अन्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या उसी प्रकार की अन्य निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो। 1925 का 19

प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

36. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला केंद्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

37. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी, जिसने उस सदस्य को,

जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

39. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

1872 का 1

40. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या जो विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि, कुलसचिव द्वारा प्रमाणित कर दी जाती है, तो उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश किए जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

41. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

42. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की

शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

संक्रमणकालीन उपबंध।

43. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलपति, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो उचित समझी जाएं और उक्त अधिकारी पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् में क्रमशः इकतीस और ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे; और

(घ) प्रथम विद्या और गतिविधि परिषद् में इक्कीस से अनधिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति करके या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद धारण करता।

निरसन और व्यावृत्ति।

44. (1) राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2018 को निरसित किया जाता है। 2018 का अध्यादेश सं॰ 5

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची

[धारा 25(1) देखिए]

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति।

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के नामों के पैनल में से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह विस्तारित नया पैनल मंगा सकेगी।

(2) कुलाधिपति, खेलकूद के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति होगा, जो या तो स्वयं एक खिलाड़ी या कोई खेलकूद प्रशासक या कोई खेलकूद अकादमीशियन होगा।

(3) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कुलाधिपति, पदावधि के अवसान होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक उसका उत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता।

कुलपति।

2. (1) कुलपति की नियुक्ति खंड (2) के अधीन यथा गठित किसी समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार, पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह विस्तारित नया पैनल मंगा सकेगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में पांच व्यक्ति होंगे, जिनमें से तीन कार्य परिषद् द्वारा और दो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा केन्द्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिति समिति का संयोजक होगा:

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य, उस विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र का सदस्य या उस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है:

परन्तु यह और कि केंद्रीय सरकार, कुलपति को उसकी पदावधि के अवसान के पश्चात् एक वर्ष की कुल अवधि से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बने रहने का निदेश दे सकेगी:

परन्तु यह भी कि जब कुलपति का पद, यथास्थिति, मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा या रुग्णता अथवा ऐसे अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो कार्य परिषद् ज्येष्ठतम् संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, नए कुलपति की नियुक्ति तक या कुलपति द्वारा अपने कर्तव्यों को फिर से संभालने तक कुलपति के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, कुलपति द्वारा पद ग्रहण करने के पश्चात् किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा कुलपति को असमर्थता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण के आधार पर पद से हटा सकेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, ऐसा आदेश करने से पहले किसी भी समय जांच लंबित रहने तक कुलपति को निलंबित कर सकेगी।

(6)(क) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ख) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किए जाएं:

परन्तु जहां विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या पोषित या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था या क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(ग) कुलपति ऐसी दरों से जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते का हकदार होगा;

(घ) कुलपति किसी कलैंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी:

परन्तु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है तो अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा;

(ङ) कुलपति, उपखंड (घ) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा:

परन्तु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्धवेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी।

कुलपति की शक्तियां और कर्त्तव्य।

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष।

4. (1) विद्यापीठ के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु यदि विद्यापीठ में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विद्यापीठ के आचार्य, यदि कोई हों और सह-आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी:

परन्तु यह और कि संकायाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो उसके कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, विद्यापीठ के ज्येष्ठतम् आचार्य या सह-आचार्य द्वारा किया जाएगा।

(3) संकायाध्यक्ष, विद्यापीठ का प्रधान होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, खेलकूद अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

कुलसचिव।

5. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्त्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) (क) कुलसचिव को, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों के, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी, तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर, कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा:

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील, कार्य परिषद् को होगी।

(6) कुलसचिव, कार्य परिषद् और विद्या और गतिविधि परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु वह इन प्राधिकरणों में से किसी का भी सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् और उन प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् तथा उन प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद् और विद्या और गतिविधि परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनों की कार्य-सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, दे और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

वित्त अधिकारी।

6. (1) वित्त अधिकारी इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किंतु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और समस्त धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति पर तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपयोज्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या पोषित किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, संस्था, क्षेत्रीय केन्द्र या अध्ययन केन्द्र से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी द्वारा या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में दी गई कोई भी रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

परीक्षा नियंत्रक।

7. (1) परीक्षा नियंत्रक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब ऐसे कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) परीक्षा नियंत्रक, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

8. (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

सभा का गठन और अधिवेशन।

9. (1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, अर्थात्:—

(क) पदेन सदस्य:—

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) कुलानुशासक;

(iv) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(v) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(vi) वित्त अधिकारी;

(vii) एक ज्येष्ठ वार्डन, चक्रानुक्रम से;

(viii) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष;

(ix) पूर्व छात्र संगम का अध्यक्ष;

(ख) अन्य सदस्य:—

(i) ऐसे विभागाध्यक्ष या आचार्य, जो विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्य हैं;

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रत्येक संस्था से, संस्था के प्रमुख की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि;

(iii) ख्यातिप्राप्त खेलकूद वैज्ञानिकों, खेलकूद शिक्षाविदों और खेलकूद प्रशासकों में से चार से अनधिक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(iv) खेलकूद उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से अनधिक व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(v) ख्यातिप्राप्त खिलाड़ियों और उच्च मान्यताप्राप्त कोचों में से दस से अनधिक व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(2) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब किसी वर्ष के संबंध में सभा ने कोई अन्य तारीख नियत की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाने वाली तारीख को होगा।

(3) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्ववर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(5) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा या यदि कोई कुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुलाए जा सकेंगे।

(6) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी।

कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति।

10. कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कार्य परिषद् के सात सदस्यों से होगी।

कार्य परिषद् का गठन, शक्तियां और कृत्य।

11. (1) कार्य परिषद् में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, अर्थात्:—

(क) पदेन सदस्य:—

(i) कुलपति;

(ii) कुलानुशासक;

(iii) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(iv) युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय का अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार;

(v) युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय का संयुक्त सचिव;

(vi) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष;

(ख) अन्य सदस्य:—

(i) तीन ज्येष्ठ आचार्य, चक्रानुक्रम से;

(ii) खेलकूद वैज्ञानिकों, खेलकूद प्रशासकों, ख्यातिप्राप्त खिलाड़ियों और प्रख्यात कोचों में से चार व्यक्ति।

(2) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के संचालन की, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, शक्ति होगी।

(3) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और अन्य शैक्षणिक पदों, जिसके अंतर्गत पीठ आचार्य पद भी हैं, का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उसकी उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना:

परंतु शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और अर्हता के संबंध में कोई कार्रवाई कार्यपरिषद् द्वारा विद्या और गतिविधि परिषद् की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जिसके अंतर्गत पीठ आचार्य पद भी हैं, जितने आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों का भरना;

(iii) विभिन्न विद्यापीठों, विभागों और केंद्रों में अध्यापन कर्मचारिवृंद की संयुक्त नियुक्तियां करके अंतर्मुखी अनुसंधान का संवर्धन करना;

(iv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उनके कर्तव्य तथा सेवा की शर्तें परिनिश्चित करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना;

(v) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना;

(vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जो वह ठीक समझे;

(viii) वित्त समिति की सिफारिश पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(ix) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी धन को, जिनके अंतर्गत अनुपयोजित आय है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में विनिहित करना जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिहित करना जिसमें ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति है;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रदद् करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiv) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या और गतिविधि परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् नियत करना;

(xv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के उपयोग की व्यवस्था करना;

(xvi) छात्राओं के निवास के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो आवश्यक हों;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना;

(xix) ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए उद्योगों और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ भागीदारी करना तथा ऐसी भागीदारी से हुए लाभ से समग्र निधि की स्थापना करना; और

(xx) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या इन परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्य और उसके अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति।

12. (1) विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्यों के अंतर्गत ऐसे खिलाड़ी होंगे, जिन्होंने ओलंपिक या विश्व चैम्पियनशिप में विशिष्टता प्राप्त की है।

(2) विद्या और गतिविधि परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या और गतिविधि परिषद् के नौ सदस्यों से होगी।

विद्या और गतिविधि परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

13. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्या और गतिविधि परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में अध्यापन का समन्वय करने तथा अनुसंधान के मूल्यांकन और शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना;

(ख) अंतर्विद्यापीठ समन्वय स्थापित करना और बढ़ाना और ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना, जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना;

(घ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों के दिए जाने, फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम विरचित करना।

विद्यापीठ और विभाग।

14. (1) विश्वविद्यालय में उतने विद्यापीठ होंगे, जितने परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की संरचना, शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे जितने अध्यादेशों द्वारा उनमें रखे जाएं:

परंतु कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जाएं, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) विभाग के शिक्षक;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति;

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष;

(iv) विभाग से जुड़े मानद आचार्य, यदि कोई हों; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

खेलकूद अध्ययन बोर्ड।

15. (1) प्रत्येक विभाग में एक खेलकूद अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) खेलकूद अध्ययन बोर्ड और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(3) विद्या और गतिविधि परिषद् के पूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए, खेलकूद अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न डिग्रियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान डिग्रियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड को अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के लिए, जिसमें अनुसंधान डिग्रियां नहीं हैं, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष के दौरान खेलकूद अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन विभाग द्वारा किया जाएगा।

वित्त समिति।

16. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति;

(ii) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(iii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा; और

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति वित्त समिति के पांच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य, उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् अनुमोदन के लिए कार्य परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत, उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समितियां।

17. (1) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य , कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और पोषित महाविद्यालयों, संस्थाओं, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, केंद्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे:

सारणी

1	2
आचार्य	(i) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष। (ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह कोई आचार्य है। (iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य संबद्ध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
सह-आचार्य/सहायक आचार्य	(i) एक विभागाध्यक्ष। (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य। (iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा उस विषय में जिससे सह-आचार्य/सहायक आचार्य संबद्ध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य। (ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कार्य परिषद् नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जिसे पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो। (ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।

टिप्पण 1—जब नियुक्ति अंतर–शाखा परियोजना के लिए की जा रही हो तब परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2—कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति, चयन समिति के अधिवेशन बुलाएगा और उनकी अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति का अधिवेशन केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशित और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा:

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होंगी, जब तक—

(क) जहां केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में हाजिर न हों; और

(ख) जहां केंद्रीय सरकार के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में हाजिर न हों।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(5) यदि कार्य परिषद्, चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए केंद्रीय सरकार को भेजेगी।

(6) (क) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो उसे पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरा जाएगा:

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह से केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक की अवधि के लिए की जा सकेगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति, जिसमें संबद्ध विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा, की सिफारिश पर की जाएगी:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि अध्यापन पदों में मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से कारित अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा।

(ख) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश, नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह तब तक ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा तत्पश्चात् उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

नियुक्ति का विशेष ढंग।

18. (1) परिनियम 17 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद्, विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या सह–आचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी:

परंतु कार्य परिषद् ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिसंख्य पदों का सृजन भी कर सकेगी:

परंतु यह और कि इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगी।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति।

19. कार्य परिषद्, परिनियम 17 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

समितियां।

20. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण, उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो उस प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किन्तु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी।

शिक्षकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता, आदि।

21. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों की उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता।

22. (1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

ज्येष्ठता सूची।

23. (1) जब कभी, इन परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धान्तों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव, स्वप्रेरणा से वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना।

24. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था:

परंतु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् को और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है:

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) परिनियमों के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास के वेतन के संदाय के पश्चात् पद त्याग सकेगा:

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

सम्मानिक डिग्रियां।

25. (1) कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा केन्द्रीय सरकार से सम्मानिक डिग्रियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी:

परंतु आपात की दशा में, कार्य परिषद्, स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद् उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक डिग्री को वापस ले सकेगी।

डिग्रियों, आदि का वापस लिया जाना।

26. कार्य परिषद् उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

परंतु इस आशय का कोई संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाना चाहिए और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

27. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में कुलपति की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा जिसकी नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में, आचार्यों और सह-आचार्यों में से कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी।

(3) कुलपति खंड (1) में निर्दिष्ट सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या विभाग या विद्यापीठ में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रोक दिया जाए या रद्द कर दिया जाए।

(5) महाविद्यालय, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(6) कुलपति तथा प्राचार्यों और खंड (5) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे और महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम भी बना सकेंगे जो उसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

दीक्षांत समारोह।

28. डिग्रियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह ऐसी रीति में आयोजित किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष।

29. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है वह अनुपस्थित है, तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे।

त्यागपत्र।

30. सभा, कार्य परिषद्, विद्या और गतिविधि परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही पदत्याग प्रभावी हो जाएगा।

निरर्हता।

31. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य चुने जाने और सदस्य बने रहने या विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नियुक्त किए जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि—

(i) वह विकृतचित्त है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें।

32. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता।

33. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, ऐसा पद केवल तब तक धारण करेगा या सदस्य तब तक ही रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है।

पूर्वछात्र संगम।

34. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्वछात्र संगम होगा।

(2) पूर्वछात्र संगम की सदस्यता का अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्वछात्र संगम का कोई भी सदस्य तब तक मत देने का या निर्वाचन में खड़े होने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह निर्वाचन तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले से संघ का सदस्य नहीं हो और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष की अवधि की डिग्री का धारक न हो:

परन्तु पहले निर्वाचन की दशा में एक वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी किए जाने की शर्त लागू नहीं होगी।

छात्र परिषद्।

35. (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में एक छात्र परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो कि छात्र परिषद् के अध्यक्ष होंगे;

(ii) बीस छात्र, जो अध्ययन, खेलकूद गतिविधियों और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में योग्यता के आधार पर विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(iii) बीस छात्र, जो छात्रों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे:

परंतु विश्वविद्यालय के किसी छात्र को यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए, तो छात्र परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित कोई मामला लाने का अधिकार होगा और जब किसी बैठक में उस मामले पर विचार किया जाए तो उसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

(2) छात्र परिषद् के ये कृत्य होंगे कि वह विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों को अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सामान्यतया विश्वविद्यालय के कार्य करने की बाबत सुझाव दे और ऐसे सुझाव मतैक्यता के आधार पर दिए जाएंगे।

(3) छात्र परिषद्, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार अधिवेशन करेगी और परिषद् का पहला अधिवेशन शैक्षणिक सत्र के आरंभ में आयोजित किया जाएगा।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे।

36. (1) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा अनुगामी उपखंडों में विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे।

(2) इस अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेशों का प्रारूप विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या और गतिविधि परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को उन किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या और गतिविधि परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है, वहां विद्या और गतिविधि परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार

कर सकेगी और उस दशा में, जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या और गतिविधि परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है, तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा, जो या तो उसे मान लेगी या उसे केंद्रीय सरकार को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) केंद्रीय सरकार को, विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे।

(8) केंद्रीय सरकार, कार्य परिषद् को खंड (7) में निर्दिष्ट अध्यादेशों पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगी और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले सकेगी या अध्यादेश को नामंजूर कर सकेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विनियम।

37. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम निम्नलिखित विषयों के बारे में बना सकेंगे, अर्थात्:—

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करना और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा, विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है; और

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद्, इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

38. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित बना रहेगा।

———————

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 27)

[17 अगस्त, 2018]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नई धारा 18क का अंत:स्थापन।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1989 का 33

किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना।

''18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी,

जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और उस दशा में, इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निदेश के होते हुए भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले को लागू नहीं होंगे।''।

———————

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 28)

[20 अगस्त, 2018]

वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यथा उपबंधित के सिवाय, यह 3 मई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

वृहत् शीर्षक का संशोधन।

2. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत् शीर्षक में, ''वाणिज्यिक न्यायालय'' शब्दों के पश्चात् ''वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

2016 का 4

धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 है।''।

धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(क) ''वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' से धारा 3क के अधीन पदाभिहित वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिप्रेत है।';

(ii) खंड (झ) में ''एक करोड़ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''तीन लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय शीर्ष का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, अध्याय शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

''वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक अपील न्यायालयों, वाणिज्यिक प्रभागों और वाणिज्यिक अपील प्रभागों का गठन''।

धारा 3 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता वाले उच्च न्यायालयों के संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी:

परंतु यह और कि किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिस पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो तीन लाख रुपए से कम नहीं और जिला न्यायालयों द्वारा प्रयोज्य धनीय अधिकारिता से अधिक नहीं होगा, जैसा वह उचित समझे।'';

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या राज्य के भाग के लिए ऐसा धनीय मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो तीन लाख रुपए या ऐसे उच्चतर मूल्य से कम नहीं होगा, जैसा वह उचित समझे।'';

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से या तो जिला न्यायाधीश के स्तर पर या किसी जिला न्यायाधीश के स्तर से निम्न किसी न्यायालय से ऐसे एक या अधिक व्यक्तियों को, जिनके पास वाणिज्यिक विवादों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुभव हो, वाणिज्यिक न्यायालय का या के न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी।''।

नई धारा 3क का अंत:स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

वाणिज्यिक अपील न्यायालयों का अभिहित किया जाना।

''3क. ऐसे राज्यक्षेत्रों के सिवाय, जिन पर उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता है, राज्य सरकार, संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा जिला न्यायाधीश के स्तर पर इतनी संख्या में वाणिज्यिक अपील न्यायालय अभिहित कर सकेगी, जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग और उन न्यायालयों को शक्ति प्रदत्त करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।''।

धारा 4 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) में, ''मामूली सिविल अधिकारिता'' शब्दों के स्थान पर, ''मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 9 का लोप।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 का लोप किया जाएगा।

धारा 12 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ग) के अंत में ''हिसाब में लिया जाएगा'' शब्दों के पश्चात्, ''और'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) के अंत में आने वाले ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।

नए अध्याय 3क का अंत:स्थापन।

11. मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''अध्याय 3क

संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता

संस्थित करने से पूर्व मध्यकता और समझौता।

12क. (1) कोई वाद, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा नहीं है, तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक वादी ऐसी रीति और प्रक्रिया के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा विहित की जाए, संस्थित करने से पूर्व मध्यकता का उपचार प्राप्त नहीं कर लेता है।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा संस्थित करने से पूर्व मध्यकता के प्रयोजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकारियों को प्राधिकृत कर सकेगी। 1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी, वादी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर मध्यकता की प्रक्रिया पूरी करेंगे: 1987 का 39

परंतु मध्यकता की अवधि को पक्षकारों की सहमति से दो मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परंतु यह और कि उस अवधि की संगणना, जिसके दौरान पक्षकार संस्थित करने से पूर्व मध्यकता में लगे रहते हैं, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन परिसीमा के प्रयोजनों के लिए नहीं की जाएगी। 1963 का 36

(4) यदि वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों में समझौता हो जाता है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर विवाद के पक्षकारों और मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(5) इस धारा के अधीन हुए समझौते की वही प्रास्थिति और प्रभाव होगा मानो यह माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन सहमत निबंधनों पर कोई माध्यस्थम् अधिनिर्णय हो। 1996 का 26

धारा 13 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(1) जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर वाणिज्यिक अपील न्यायालय को अपील कर सकेगा।

(1क) यथास्थिति, आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति निर्णय या आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपील प्रभाग को अपील कर सकेगा:

परंतु कोई अपील, किसी वाणिज्यिक प्रभाग या किसी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों से होगी, जो इस अधिनियम और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 द्वारा यथासंशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 में विशिष्ट रूप से प्रगणित है।''। 1996 का 26 1908 का 5

धारा 14 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 14 में, ''वाणिज्यिक अपील प्रभाग'' शब्दों के स्थान पर, ''वाणिज्यिक अपील न्यायालय और वाणिज्यिक अपील प्रभाग'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) में, ''आदेश 14क'' शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर ''आदेश 15क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 17 में, ''वाणिज्यिक न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 20 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 20 में, ''वाणिज्यिक न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर, ''वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 21क का अंत:स्थापन।

17. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

''21क. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन संस्थित करने से पहले मध्यकता की रीति और प्रक्रिया;

(ख) कोई ऐसा अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की अनुसूची में,—

(i) पैरा 4 के उपपैरा (ई) की मद (iv) में,—

(क) आरंभिक भाग में, ''पहले परंतुक के पश्चात्'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) ''परंतु यह और कि'' शब्दों के स्थान पर, ''परंतु'' शब्द रखा जाएगा;

(ii) पैरा 11 में, ''वाणिज्यिक न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर ''वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपील न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) पैरा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा और 23 अक्तूबर, 2015 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'12. परिशिष्ट ज, के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परिशिष्ट-झ

सत्य कथन

(पहली अनुसूची, आदेश 6—नियम 15क और आदेश 11—नियम 3 के अधीन)

मैं.....अभिसाक्षी सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं:

1. मैं उक्त वाद में पक्षकार हूं और इस शपथ-पत्र में शपथ लेने के लिए सक्षम हूं।

2. मैं मामले के तथ्यों से भलीभांति परिचित हूं और मैंने उससे संबंधित सभी सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों की परीक्षा भी की है।

3. मैं यह कथन करता हूं कि पैरा .... में किए गए कथन, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं और पैरा .... में किए गए कथन प्राप्त सूचना पर आधारित हैं जिनके मैं सही होने का विश्वास करता हूं और पैरा.... में किए गए कथन विधिक सलाह पर आधारित हैं।

4. मैं यह कथन करता हूं कि किसी भी तात्विक तथ्य, दस्तावेज या अभिलेख का मिथ्या कथन नहीं किया गया है या छिपाया नहीं गया है और मैंने ऐसी सूचना को सम्मिलित किया है जो मेरे अनुसार इस वाद के लिए सुसंगत है।

5. मैं यह कथन करता हूं कि मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में मेरे द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियों के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रकट कर दिए गए हैं और उनकी प्रतियां वादपत्र के साथ संलग्न है और यह कि मेरी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं हैं।

6. मैं यह कथन करता हूं कि पूर्व उल्लिखित अभिवचन में कुल मिलाकर.....पृष्ठ हैं जो मेरे द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हैं।

7. मैं यह कथन करता हूं कि इसके उपाबंध, मेरे द्वारा निर्दिष्ट और निर्भर किए गए दस्तावेजों की सत्य प्रतियां हैं।

8. मैं यह कथन करता हूं कि मुझे यह जानकारी है कि किसी मिथ्या कथन या छिपाए जाने के लिए मैं तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के दायित्वाधीन रहूंगा।

स्थान:

तारीख :

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं .....यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कथन मेरी जानकारी में सत्य हैं।

स्थान ..... पर तारीख .....को सत्यापित।

अभिसाक्षी''।'।

अधिनियम के उपबंधों का इसके आरंभ होने पर या उसके पश्चात् फाइल किए गए मामलों को लागू होना।

19. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् फाइल किए गए वाणिज्यिक विवादों से संबंधित मामलों में ही लागू होंगे।

निरसन और व्यावृत्ति।

20. (1) वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2018 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2018 का अध्यादेश सं॰ 3

(2) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

———————

केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 31)

[29 अगस्त, 2018]

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 2017 का 12

(क) खंड (4) में,—

(i) ''केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर, ''केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण'' शब्दों के स्थान पर, ''अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (17) में, उपखंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ज) किसी घुड़दौड क्लब के क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत बुक मेकर को योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से या ऐसे क्लब में किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर के क्रियाकलाप भी हैं; और'';

(ग) खंड (18) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (35) में, ''खंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर ''खंड (ख)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) खंड (69) में, उपखंड (च) में ''अनुच्छेद 371'' शब्द और अंक के पश्चात् ''और अनुच्छेद 371ञ'' शब्द, अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(च) खंड (102) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ''सेवा'' पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या उनका प्रबंध करना सम्मिलित है;'।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खड (ख) में, ''चाहे वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं'' शब्दों के पश्चात्, ''और'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा और सदैव अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा;

(ii) खंड (ग) में, ''क्रियाकलाप'' शब्द के पश्चात्, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(iii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी और सदैव अंत:स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई पूर्ति हैं, उन्हें अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवा की पूर्ति माना जाएगा।'';

(ग) उपधारा (3) में, ''उपधारा (1) और उपधारा (2)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 9 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसे लागू होंगे मानो वह माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है।''।

धारा 10 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) ''उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर ऐसी दर पर'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर'' शब्द, अंक और कोष्ठक तथा परन्तु से पहले दीर्घ पंक्ति में ''संगणित रकम'' शब्दों के स्थान पर ''संगणित कर की रकम'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में, ''एक करोड़ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''एक करोड़ पचास लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रुपए की जो भी अधिक हो, सेवाओं की पूर्ति कर सकेगा।'';

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;''।

धारा 12 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले ''उपधारा (2) के'' शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

धारा 16 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

''**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है—

(i) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(ii) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्दे किया जाता है।'';

(ख) खंड (ग) में, ''धारा 41'' शब्द और अंक के स्थान पर, ''धारा 41 या धारा 43क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''छूट–प्राप्त पूर्ति का मूल्य'' पद में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।';

(ख) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''(क) तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:—

(अ) ऐसे मोटरयान की और पूर्ति; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग—

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:—

(अ) ऐसे जलयान या वायुयान की और पूर्ति; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे जलयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या

(ई) ऐसे वायुयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) माल के परिवहन के लिए;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है:

परंतु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा—

(i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) जहां किसी ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो—

(I) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति—

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान, पट्टे, किराए या भाड़े पर देना सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा:

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय तब उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय सम्मिश्र या मिश्रित पूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता; और

(iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे छुट्टियों पर कर्मचारियों को दिए गए यात्रा फायदे:

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वहां उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदान करना बाध्यकर हो।''।

धारा 20 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) में, ''प्रविष्टि 84 के अधीन'' शब्दों और अंक के स्थान पर, ''प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क के अधीन'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(क) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि सरकार विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद् की सिफारिशों पर पहले परंतुक में निर्दिष्ट समग्र आवर्त को दस लाख रुपए से ऐसी रकम, जो बीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस प्रकार अधिसूचित की जाए, तक बढ़ा सकेगी।'';

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, ''जम्मू-कश्मीर राज्य'' शब्दों के पश्चात् ''और अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 24 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (x) में ''वाणिज्य आपरेटर'' शब्दों के पश्चात् ''जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है।'';

2005 का 28

(ख) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के बहु स्थान हैं, वहां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।''।

धारा 29 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 29 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, ''रद्दकरण'' शब्द के पश्चात् ''या निलंबन'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।'';

(ग) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।''।

धारा 34 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 34 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' शब्दों के स्थान पर ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''जमापत्र जारी'' शब्दों के स्थान पर ''किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमापत्र जारी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) ''कोई कर बीजक जारी किया गया है'' शब्दों के स्थान पर ''एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''नामे नोट'' शब्दों के स्थान पर ''किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे नोट जारी'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखा बहियां, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किन्हीं स्थानीय प्राधिकारियों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन हैं।''।

धारा 39 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) ''ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।'';

(ख) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।'';

(ग) उपधारा (9) में,—

(i) ''उस मास या तिमाही जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां आई हैं'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में ''वित्तीय वर्ष की समाप्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, समाप्ति'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 43क का अंत:स्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया।

''43क. (1) धारा 16 की उपधारा (2), धारा 37 या धारा 38 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(4) उपधारा (3) के अधीन जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसी जावक पूर्तियों में, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।

(6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्तत: और पृथक्त:,जावक पूर्तियों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति, कर का संदाय या इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु जिसकी विवरणी अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रुपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा।

(8) ऐसी जावक पूर्तियों के, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, संबंध में प्रक्रिया, रक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा,—

(i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;

(ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की नियत तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,

वह होगी, जो विहित की जाए।

धारा 48 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, ''प्रस्तुत करने के लिए'' शब्दों के पश्चात् ''और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में,—

(क) उपधारा (2) में, ''धारा 41'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 41 या धारा 43क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में,—

(i) खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;'';

(ii) खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;''।

नई धारा 49क और 49ख का अंत:स्थापन।

21. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग।

''49क. धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम पर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के मद्दे, केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश।

49ख. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ङ) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग किए जाने के क्रम और रीति को विहित कर सकेगी।''।

धारा 52 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (9) में, ''धारा 37'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 37 या धारा 39'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 54 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

(क) उपधारा (8) के खंड (क) में ''शून्य रेटेड पूर्तियों'' शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमश: ''निर्यात'' और ''निर्यातों'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (2) में,—

(i) उपखंड (ग) की मद (i) में, ''विदेशी मुद्रा में,'' शब्दों के पश्चात् ''या भारतीय रुपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञा दी जाए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपखंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ङ) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख;''।

धारा 79 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 79 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति शब्द में, धारा 25 की, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट ''विशिष्ट व्यक्ति'' सम्मिलित होंगे।'।

धारा 107 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खंड (ख) में, ''बराबर राशि का'' शब्दों के पश्चात्, ''अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 112 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) के खंड (ख) में, ''बराबर राशि'' शब्दों के पश्चात् '', अधिकतम पचास करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 129 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (6) में, ''सात दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''चौदह दिन'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 140 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 140 में, 1 जुलाई, 2017 से,—

(क) उपधारा (1) में, ''विवरणी में अग्रनीत'' शब्दों के पश्चात्, ''पात्र शुल्कों के'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और सदैव अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण 1 में,—

(i) ''उपधारा (3), उपधारा (4)'', शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4)'', शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (iv) का लोप किया जाएगा और उसका सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण (2) में,—

(i) ''उपधारा (5)'', शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपधारा (1) और उपधारा (5)'', शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और सदैव रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (iv) का लोप किया जाएगा और उसका सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(घ) इस प्रकार संशोधित स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् , निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा और सदैव अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण 3**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, ''पात्र शुल्क और कर'' पद में ऐसा कोई उपकर सम्मिलित है, जिसे स्पष्टीकरण 1 में या स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और ऐसा कोई उपकर जिसका सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संग्रहण किया गया है।'।

1975 का 51

धारा 143 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमश: एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।''।

अनुसूची 1 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 4 में, ''कराधेय व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''व्यक्ति'' शब्द रखा जाएगा।

अनुसूची 2 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के शीर्षक में, ''क्रियाकलापों'' शब्द के पश्चात् ''या संव्यवहारों'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे।

अनुसूची 3 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,—

(i) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''7. गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी स्थान से, गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना पूर्ति।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति।

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति।'';

(ii) स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण 2—पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, ''भांडागार में रखे गए माल'' पद का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में उसका है।'। 1962 का 52

———————

एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 32)

[29 अगस्त, 2018]

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति ऐसे किसी उपबंध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 2017 का 13

(i) खंड (6) के उपखंड (iv) में, ''विदेशी मुद्रा में'' शब्दों के पश्चात् ''या जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए, वहां भारतीय रुपयों में,'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (16) के स्पष्टीकरण की दीर्घ पंक्ति में ''संविधान के'' शब्दों के पश्चात् ''अनुच्छेद 243छ के अधीन पंचायत को या'' शब्द , अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति की बाबत, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति हो।''।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) में, ''जो कारबार शीर्ष है,'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 12 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (8) में निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह कि जहां माल का परिवहन भारत से बाहर किसी स्थान के लिए होता है, वहां पूर्ति का स्थान, ऐसे माल के गंतव्य का स्थान होगा।''।

धारा 13 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (क) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि इस खंड में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे माल की बाबत पूर्ति की गई सेवाओं की दशा में लागू नहीं होंगी जो भारत में मरम्मत के लिए या किसी अन्य अभिक्रिया या प्रसंस्करण के लिए अस्थायी रूप से आयात की गई है और ऐसी मरम्मत या अभिक्रिया या प्रसंस्करण के पश्चात्, जो ऐसी मरम्मत या अभिक्रिया या प्रसंस्करण के लिए, अपेक्षित हैं, उससे भिन्न, भारत में किसी उपयोग में लाए बिना अभिक्रिया या प्रसंस्करण के लिए निर्यात कर दी जाती हैं;''।

धारा 17 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्रभाजित न की गई रकम, तत्समय तदर्थ आधार पर परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय सरकार को पचास प्रतिशत की दर पर और, यथास्थिति, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों को पचास प्रतिशत की दर पर प्रभाजित की जाएगी और उक्त उपधाराओं के अधीन प्रभाजित रकम के प्रति समायोजित की जाएगी।''।

धारा 20 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 20 के चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि जहां अपील, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जानी है, वहां अधिकतम संदेय रकम क्रमश: पचास करोड़ रुपए और एक अरब रुपए होगी।''।

———————

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 33)

[29 अगस्त, 2018]

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 7 का संशोधन।

2. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:– 2017 का 14

''(4) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के प्रदाय के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिवर्ती प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने का दायी है।''।

धारा 9 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 9 के खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परंतु यह कि संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल तभी किया जाएगा, जब केंद्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का बकाया एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;''।

नई धारा 9क और धारा 9ख का अंत:स्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग।

''9क. धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी, संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के संदाय के लिए केवल तभी किया जाएगा जब ऐसे संदाय के लिए एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले उपयोग कर लिया गया हो।

इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम।

9ख. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 9 के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे किसी कर के संदाय के लिए, यथास्थिति, एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का क्रम और रीति विहित कर सकेगी।''।

———————

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018

(2018 का अधिनियम संख्यांक 34)

[29 अगस्त, 2018]

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 7 का संशोधन।

2. माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, ''केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्दों के स्थान पर ''केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड'' शब्द रखे जाएंगे। 2017 का 15

धारा 10 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(3क) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय पर, ऐसी रकम का, जो निधि में अनुपयोजित रह जाती है, पचास प्रतिशत, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, केंद्र के भाग के रूप में भारत की संचित निधि में अंतरित हो जाएगा और बकाया पचास प्रतिशत का वितरण राज्यों के बीच धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में किया जाएगा:

परंतु किन्हीं दो मास की अवधि के लिए धारा 7 के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की आवश्यकता के लिए निधि में संगृहीत रकम में कमी की दशा में, उसका पचास प्रतिशत, किन्तु जो केन्द्र और राज्यों को अंतरित ऐसी कुल रकम से, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, अधिक न हो, केंद्र से और शेष पचास प्रतिशत राज्यों से धारा 5 के उपबंधों के अनुसार अवधारित उनके आधार वर्ष के राजस्व के अनुपात में वसूल किया जाएगा।''।

———————

डा॰ जी॰ नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

MGIPMRND—1041GI—21.11.2019.